खण्ड-383, अंक-2
बुधवार, 9 पौष, शक संवत् 1909
(30 दिसम्बर, 1987 ई0)

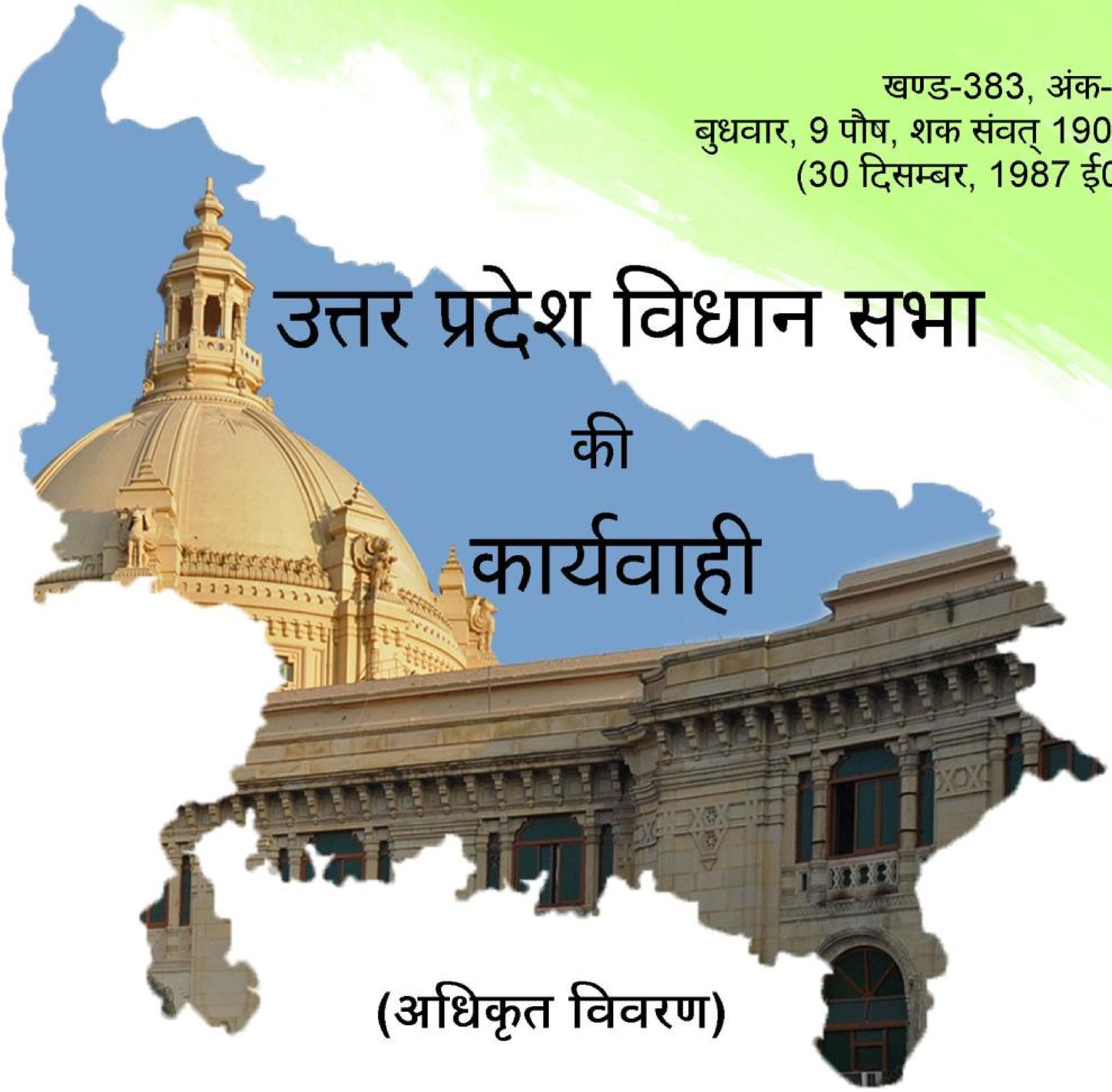

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 383 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ सख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–83
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	83–94
बलिया जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
वाराणसी जनपद के विकास खण्ड आराजी लाइन्स में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
विकास क्षेत्र हॉरिंग्टनगंज, जनपद फैजाबाद में आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की सूची में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में विकास शुल्क उगाही में उत्पीड़न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया के ग्राम जमुनियां में भीषण डकैती की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
प्लाईवुड प्रोडक्ट, सीतापुर में श्रमिक उत्पीड़न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का जमाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	97
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया)	97–135
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया)	135
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया)	136
उ0प्र0 नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 के सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति	136–143
वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी को अष्टम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1983–84 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	143
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौवालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी)	144
भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984–85 का प्रतिवेदन (सिविल) (सदन के पटल पर रखा गया)	144
वित्त लेखे 1984–85 एवं विनियोग लेखे 1984–85, उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	144
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी)	144

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 में किए गए संशोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) 144

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 145

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 145

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 145

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 145

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 146

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 146

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 146

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 147

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 147

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 147

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. 147

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 148–150

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1987 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 150

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित) .. 151

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित) 151

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 151

प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा 152

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 152

नत्थियां 153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 30 दिसम्बर, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री,	देवरिया
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़
कोकब हमीद, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
प्रभु दयाल प्रधान, श्री	मेरठ
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
बल्देव सिंह, कैप्टन	अलीगढ़
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
मोहम्मद हयात हाजी, श्री	मुरादाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
रामनाथ मुंशी, श्री	गाजीपुर
राम सिंह, श्री	हमीरपुर
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	बलिया
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सुरेन्द्र प्रताप मिश्र, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
हरनारायण सिंह, श्री,	रायबरेली
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

अ प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों हेतु बुलट प्रूफ जैकेट की कथित आवश्यकता

**1—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने कितने मंत्रियों एवं अधिकारियों को बुलटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराये हैं तथा उसकी आवश्यकता क्या है ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गयी है।

श्री मित्रसेन—

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास मंत्रियों एवं अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, प्रश्न पूछा है कि अधिकारियों और मंत्रियों की सुरक्षा के लिए बुलेट-प्रूफ जैकेट खरीदी गयी हैं कि नहीं । उत्तर दिया है कि नहीं खरीदी गयी हैं। मान्यवर, मंत्री और अधिकारी अपने को सुरक्षित समझते हैं। श्री मित्रसेन की चिन्ता स्वाभाविक है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है वह यह है कि क्या सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि मंत्रियों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जैकेट खरीदी जायेंगी? इसका आप उत्तर दिलवा दें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, प्रस्ताव कोई नहीं है। भारत सरकार ने 1986 में इस बात की जानकारी चाही थी कि किसी प्रदेश के किसी अधिकारी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की क्या कोई आवश्यकता है ? उसकी आवश्यकता की सूचना उस समय दे दी गयी थी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने आपसे यह जानकारी चाही कि किन-किन अधिकारियों और मंत्रियों की जान को खतरा है और उनके लिये जैकेट खरीदने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन अधिकारियों और किन-किन मंत्रियों की जान को खतरा है जिनके लिए आपने प्रस्ताव भेजा है और इस पर विचार किया है कि बुलेट प्रूफ जाकेट खरीदी जांय ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, किसी को जान का खतरा नहीं है और जो लोग बताते हैं उनकी सुरक्षा की जाती है। भारत सरकार ने किसी मंत्री और अधिकारी के लिए नहीं पूछा है।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

सुनाई नहीं पड़ा, मान्यवर, पुनः कहलवा दें।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किसी अधिकारी अथवा मंत्री को क्या खतरा है। मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की किसी अधिकारी अथवा मंत्री ने अपने खतरे की सूचना नहीं दिया है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह आजकल जो कोट पहनते हैं उससे उनका पेट निकला रहता है, क्या बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं पहनते हैं जिससे पेट निकला रहता है या और कोई कारण है?

(हंसी)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार ने मांगा है कि किन-किन अधिकारियों और मंत्रियों को खतरा है, तो वह सूचना प्रदेश सरकार ने क्या दिया है, यदि सूचना दी गयी है, तो वह क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने यह जानना चाहा था कि क्या प्रदेश को किसी की रक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत है, तो इसलिए प्रदेश से केन्द्र को यह सूचना 1 जनवरी, 86 को दे दी गई थी कि हमारे प्रदेश में तथा प्रदेशों के लिए जब जैकेट्स खरीदी जायें तो यहां पर दस्यु उन्मूलन कार्य में जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनके प्रयोग के लिए परीक्षण के तौर पर 100 जैकेट्स भेज दी जायें। लेकिन यह कोई आर्डर या खरीद का प्रस्ताव नहीं था।

श्री रामशरण दास–

मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी को जान को कोई खतरा है? अगर खतरा नहीं है तो उनके हर दरवाजे पर एक लकड़ी का फ्रेम लगाने की क्या आवश्यकता है, जिसमें मेटल डिटेक्टर लगा रहता है, जब उसमें से हम लोग निकलते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है चीं, हर बार उसमें से चीं की आवाज निकलती है, तो यह क्यों लगवा रखा गया है। खतरा नहीं है तो यह क्यों लगवा रखा है... यह मामूली बात नहीं है, यह कोई हंसने की बात नहीं है। खतरा नहीं है तो यह क्यों लगवा रखा है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से तो सम्बन्धित नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है कोई खतरा मुख्य मंत्री जी को नहीं है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद बढ़ रहा है और उस आतंकवाद के रहते उन्नाव जनपद में भी आतंकवाद बढ़ जाने के कारण गृह मंत्री जी को अपने जनपद उन्नाव में काफी खतरा है? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवाने की कृपा करें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जवाब दे दिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की आवश्यकता मंत्रियों को नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने यह तो बता दिया कि किसी मंत्री को खतरा नहीं है, किन्तु हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी अपने को खुद खतरे में महसूस कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने यहां मेटल डिटेक्टर लगवा रखा है, यदि उन्हें खतरा नहीं है तो मेटल डिटेक्टर लगवाने का औचित्य क्या है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम शरण दास–

फिर हमें क्यों बेइज्जत करते हैं, जब इन्हें खतरा नहीं है। फिर हमें यह इस तरह से क्यों बेइज्जत कर रहे हैं और ऐसी मूर्ख धारणाओं के कारण . . . . ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि किसी मंत्री ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसे खतरा है। यह बात सही हो सकती है, क्योंकि जब प्रदेश के हर नागरिक को अपनी जान का खतरा है और वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसने अपने लिए असुरक्षित होने की बात को विशेष रूप से नहीं कहा होगा। लेकिन दस्यु उन्मूलन कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए यह बुलेट 100 जैकेट्स मंगवाई गईं और यह दस्यु उन्मूलन कार्य गृह मंत्री का है और इसमें मुख्य मंत्री और गृह मंत्री दोनों शामिल हैं और दोनों लोग लगे हुए हैं, तो क्या इस सूची में गृह मंत्री और मुख्य मंत्री का नाम भी था। इसके अलावा जब केन्द्र को जानकारी दी गयी तो क्या केन्द्र सरकार से इस बारे में कोई उत्तर मिला है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, दस्यु उन्मूलन के लिए फील्ड में लगे हुए जो पुलिस कर्मी हैं, उनके लिए परीक्षण के बतौर जैकेट मंगवाने की बात थी कि जब वह आ जाएंगी तो उनके आने पर जानकारी की जायेगी कि उसका क्या प्रयोग है, क्या लाभ है? यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो उसके बारे में भी विचार कर लिया जाएगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 1986 को केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया । 1987 बीत गया । 1988 आने वाला है, तो 1 जनवरी, 1986 को जो पत्र लिखा गया वह पत्र क्या है?

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, पत्र में और कुछ नहीं है सिर्फ यह कहा गया है कि अगर वह 100 जैकेट की सप्लाई करें तो हम परीक्षण के तौर पर जो लोग दस्यु उन्मूलन में लगे हैं उनको पहना कर देख लिया जाएगा । अभी न तो वहां से जैकेट आयी और न ही कोई सूचना आयी ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है मेरे साथ अन्याय मत कराइये । मान्यवर, मेरा आरोप है कि उस पत्र में जो कान्टेंट है उसको छिपाया जा रहा है। मान्यवर, उस पत्र को पढ़वाइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, 100 जैकेट खरीदने का प्रस्ताव था, तो मान्यवर, एक जैकेट के हिसाब से 100 जैकेट का मूल्य क्या है इसका उत्तर दिलवाइये ।

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है इनका कहना ठीक है क्योंकि यह जनता के स्नेह से यहां आये हैं इसलिए इनको कोई खतरा होना भी नहीं चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो उनके साथ जो पुलिस की फोर्स चलती है क्या उसको खत्म करायेंगे और अकेले चलने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, बोफोर्स तोपों पर कमीशन तय नहीं हुआ, इसलिए जैकेट नहीं मंगवाई गई?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद झांसी की बेतवा नहर प्रणाली की नहरों की श्रेणी में परिवर्तन

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले की बेतवा नहर प्रणाली की नहरों को श्रेणी iii से श्रेणी i में कर दिया गया है जबकि उक्त नहरें श्रेणी i में आने वाली नहरों की परिभाषा पूर्ण नहीं करती और न ही वर्ष भर पानी खेतों को दे पाती है और कृषकों को सिंचाई अधिक देनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त नहर प्रणाली की नहरों को पुनः श्रेणी iii में करने पर विचार करेगा ता कृषकों को श्रेणी i की नहरों द्वारा दी जाने वाली सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

जी नहीं । बेतवा नहर प्रणाली की नहरों पर सिंचाई की दरें अनुसूची-2 के अन्तर्गत लगाई जाती हैं । इन्हें अनुसूची-3 से अनुसूची-1 के अन्तर्गत नहीं किया गया है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पिछली बार भी इस प्रश्न का जवाब यही आया था । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूची-2 की परिभाषा क्या है ? ऐसी कौन सी नहरें हैं जो अनुसूची-2 में हैं ? क्या बेतवा नहर प्रणाली की नहरें अनुसूची-2 में आती हैं ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, अनुसूची-2 में वह नहर प्रणाली शामिल की गयी है जिसमें पानी की सप्लाई अनिश्चित रहती है, अनएश्योर्ड रहती है। अनुसूची-1 में निश्चित रहता है कि साल भर पानी दिया जायगा लेकिन अनुसूची-2 में अनिश्चित रहता है। अनुसूची-2 में बेतवा नहर प्रणाली शामिल है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसूची एक तथा दो की सिंचाई दरों में क्या कोई अन्तर है, , यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 की जो सिंचाई दर है वह अलग-अलग है। मान्यवर, इसकी काफी लंबी लिस्ट है, आज्ञा हो तो पढ़ दूं । नहीं तो वह देख सकते हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, दोनों सिंचाई दरों में क्या अन्तर है बता दें ? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, हर फसल की दर अलग-अलग है । यह काफी लंबी लिस्ट है । माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि बेतवा नहर का पानी देने का रोस्टर इस समय क्या है ? क्या रोस्टर के मुताबिक पानी दिया जा रहा है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, बेतवा नहर की जो क्षमता है और जो पानी उपलब्ध रहता है तो पानी की उपलब्धता के अनुसार पानी दिया जाता है।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि रोस्टर क्या है?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, रोस्टर के संबंध में सिंचाई विभाग ने कृषि विभाग से परामर्श करके सारे प्रदेश में जितनी भी नहर प्रणालियां हैं सबका रोस्टर तैयार किया है और उसकी जानकारी पूरे प्रदेश में सबको करा दी गयी है और माननीय जन प्रतिनिधियों को भी उसकी जानकारी करा दी गयी है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान मूल प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं । माननीय सदस्य का कहना था कि बेतवा नहर प्रणाली अनुसूची-3 में थी अब उसको अनुसूची-1 में कर दिया गया है लेकिन मंत्री जी का कहना है कि अनुसूची-2 में है । कि बेतवा नहर प्रणाली जो अब तक तृतीय अनुसूची में थी, क्या उसकी नहर की सिंचाई की दर जो है, वह अनुसूची-2 के अनुसार ली जा रही है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, इसका उत्तर तो पहले ही स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है कि बेतवा नहर प्रणाली पहले भी अनुसूची-2 में थी और आज भी रिवाइज्ड अनुसूची के अनुसार वह अनुसूची-2 में ही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय राणा जी के इस प्रश्न का कि प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी की नहरों की सिंचाई की दरों में क्या अन्तर है, अभी तक माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी केवल यही बता दें कि प्रथम श्रेणी की नहर की सिंचाई की दरें क्या हैं ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, गेहूं की फसल की सिंचाई की दर 58 रु0 प्रति एकड़ है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी की नहरों की सिंचाई की दरों में अन्तर क्या है, यह प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने अभी तक नहीं दिया है ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, 58 रु0 प्रति एकड़ अनुसूची-1 की दर है और 35 रु0 प्रति एकड़ अनुसूची-2 की दर है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया है कि जिस श्रेणी में वह नहर थी, उसमें परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण उसके टैरिफ में भी अन्तर हो गया है। यह मामला अधिशासी अभियंता या अधीक्षण अभियंता के स्तर पर किया गया है । क्या माननीय सदस्य की भावना के अनुसार शासन स्तर से किसी व्यक्ति को भेज कर इसकी जांच करायेंगे ? जो मानक इस नहर से सिंचाई का निर्धारित किया गया है, उसको यह नहर पूरी करती है कि नहीं? क्या माननीय मंत्री जी वहां के क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से किसी व्यक्ति को भेज कर इसकी जांच कराने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, परीक्षण करा लेंगे ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अब तक हमारे यहां का क्षेत्र अनुसूची-3 में था, उसे अनुसूची-2 में कर दिया गया है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र को जितना पानी अभी मिल रहा है, वह पानी अनुसूची-3 के अनुसार मिल रहा है, परन्तु पैसा अनुसूची-2 के अनुसार लिया जा रहा है । मान्यवर, या तो अनुसूची-3 के अनुसार सिंचाई की दरें रखी जायं या तो अनुसूची-2 के अनुसार आधुनीकरण करा कर नहरों में पानी उपलब्ध कराने की कृपा करें ? मान्यवर, अगर अनुसूची-2 के अनुसार पैसा ले रहे हैं, तो उसके अनुसार पानी उपलब्ध करा दें। मान्यवर, अनुसूची-2 के अनुसार पैसा ले रहे हैं और पानी अनुसूची-3 के अनुसार दे रहे हैं । मान्यवर, हमारा कहना है कि जब पानी अनुसूची-3 के अनुसार दे रहे हैं, तो पैसा भी अनुसूची-3 के अनुसार लें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, 30 जून, सन् 1983 को इसका गजट नोटिफिकेशन किया गया है । उसमें इसका परीक्षण करके यह अनुसूची तैयार की गयी थी । अब माननीय सदस्य का जो सुझाव है कि वह पुनः उसका परीक्षण कराना चाहते हैं तो मैं उसका, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि पुनः उसका परीक्षण करके यदि उसमें आवश्यकता होगी तो परिवर्तन किया जायेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शासन स्तर के किसी व्यक्ति से करा लिया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो परीक्षण करा रहे हैं उसमें पूरे प्रदेश में जो नहरें निर्धारित रोस्टर से नहीं चल पाती हैं उन सबमें श्रेणी ''बी'' की सिंचाई दर निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य जिस नहर के बारे में चाहते हैं उसकी जानकारी करा दें, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा नहर कभी निर्धारित दर पर नहीं चलती है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मुद्दा मात्र इतना रह गया है, जिसे माननीय मंत्री जी भी ठीक प्रकार से समझ गए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि परीक्षण की आवश्यकता पड़ गयी है। माननीय मंत्री जी स्वयं किसान हैं । नहरें 2 की सूची में रहने के बाद भी पानी 3 की सूची के समान दे रही हैं इसमें क्या परीक्षण करेंगे ? या तो यह कह दें कि जितना पानी दे रहे हैं उसके हिसाब से ही पैसा लिया जायेगा या माननीय मंत्री जी यह आश्वस्त कर दें कि जितना पैसा लिया जायेगा उसके अनुसार पानी की व्यवस्था कर दी जायेगी इन दो में से एक बात का आश्वासन माननीय मंत्री जी दे दें ? आज सूखे की स्थिति है और सिंचाई की समस्या है । अतः 2 में से एक बात का आश्वासन माननीय मंत्री जी दें दें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, नहर प्रणाली जो हमारे प्रदेश में है उसमें हर नहर में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने का प्रयास सिंचाई विभाग ने किया है । माननीय सदस्य को यह आपत्ति है कि उसमें पानी जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, तो उसमें तो परीक्षण कराने की आवश्यकता है । यह तकनीकी मामला है । बिना इसका परीक्षण कराये कैसे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है इसलिए मैंने कहा कि परीक्षण करा लेंगे यदि उसमें कमी है, तब तो परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी ।

जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र, रायबरेली रोड, उतरौटिया में जल भराव की समस्या

*2–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र, रायबरेली रोड, उतरौटिया में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में तत्कालीन नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव) के पत्र के साथ संलग्न, प्रबन्धक एवं अन्य निवासियों का पत्र दिनांक 9-7-87 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो छात्रों की समस्याओं को देखते हुए जल निकासी हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार अविलम्ब जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी?

श्री सीताराम निषाद–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि दिनांक 9-7-86 को यदि कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ था तो क्या इस सन्दर्भ में कोई दूसरा पत्र माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ था, तो उसमें क्या कार्रवाई की गई थी?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, पत्र नहीं मिला था लेकिन फिर भी विभाग ने अपना उत्तरदायित्व समझकर उसकी जांच करायी थी और तहसीलदार से जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी

रिपोर्ट मंगायी गयी थी और उसमें यह भी कहा गया था कि यह जो संस्था है जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र रायबरेली रोड, उतरौटिया, यह एक निजी संस्था है, निजी संस्था के लिए सरकारी साधनों से उस पर कोई कार्य करना उचित नहीं पाया गया ।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उसका पुनः सर्वेक्षण कराकर बच्चों के जनहित में ध्यान में रखकर वहां पुनः सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूरी जानकारी हो गयी है। वह एक निजी संस्था है। मा0 सदस्य से अनुरोध करूंगा कि उस शिक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक से मिलकर उसको ठीक करा दें । यह निजी संस्था का काम है ।

जनपद आगरा की पेयजल आपूर्ति समस्या

*3–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रीष्म काल में आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति समस्या निवारणार्थ चम्बल नदी के जल को जमुना नदी में डालकर जलापूर्ति की कोई परियोजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूर्ण कर कार्यान्वित करा दी जायेगी ?

श्री सीताराम निषाद–

ग्रीष्म काल में आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति समस्या निवारणार्थ चम्बल नदी के जल को यमुना नदी में डालकर जल आपूर्ति की कोई परियोजना शासन के विचाराधीन नहीं है । अतएव शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति के लिये चम्बल का पानी यमुना में डालने की योजना नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि योजना नहीं है तो आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति की भयंकरता को देखते हुए क्या यमुना नदी पर बैराज बनाने की योजना है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, वर्तमान समय में आगरा नगर में पेयजल के लिये 115 क्यूसेक पानी प्रतिदिन की आवश्यकता है । इसको पूरा करने के लिये मथुरा में गोकुल में यमुना पर बैराज बनाने का प्रस्ताव है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की पेयजल आपूर्ति के घोर संकट को देखते हुए, जैसा आपने अभी अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि गोकुल और मथुरा में बैराज बनाने की योजना विचाराधीन है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पानी पूरा मथुरा में रोका जायगा तो आगरा के लिये अतिरिक्त पानी कहां से देंगे । दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पत्रावली को पुनः देख लें, मथुरा में पानी आने से पहले अभी पिछली बार मा0 नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर दिया

था कि आखला बैराज के बाद जो भी यमुना का जल है, वह सारा का सारा दिल्ली की गन्दी नालियों का जल है, यमुना का जल नहीं है । जो यमुना का पानी नहीं है, वह गन्दा पानी भी मथुरा में रोका जायगा तो फिर आगरा के लिये अतिरिक्त पानी की व्यवस्था किस स्थान से करेंगे ? इसकी व्याख्या चाहता हूं ।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, यह बैराज इसीलिये बनाया जा रहा है कि जिसमें बरसात का पानी वहां पर रोका जायगा और उससे यह जो विषम समस्या मथुरा और आगरा की है, उससे उसकी पूर्ति की जायगी । यह बहुत बड़ी योजना है । 28·28 करोड़ की योजना है और इसमें 2800 हैक्टेयर मीटर पानी प्राप्त होगा । मान्यवर, इससे 30 क्यूसेक पानी की मथुरा की आवश्यकता की पूर्ति की जायगी और 115 क्यूसेक की जो आगरा की आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति की जायगी । मैं समझता हूं कि मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार की है, जिससे मथुरा और आगरा दोनों जिलों की पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जायगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, क्या मा0 मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि गोकुल बैराज के लिये अब तक कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है और इसका काम कब तक शुरू होगा ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, अभी तक इस योजना के लिये इसी सितम्बर 1987 में सिंचाई विभाग को दो करोड़ रु0 प्राप्त हुआ है । इसी रु0 से इसकी भूमि अर्जन के काम की बात है, 50 एकड़ जमीन लेने की आवश्यकता है, उसका काम शुरू कर दिया गया है, उसकी डिजाइनिंग का काम बोरिंग करके शुरू कर दिया गया है । गेट बनने की बात है, एक करोड़ उसमें दिया जा रहा है । जो धनराशि अब तक उपलब्ध है, उसमें काम शुरू कर दिया जायेगा । योजना, काम शुरू होने से 4 वर्ष के अन्दर पूरी होनी है । बराबर धन उपलब्ध होता रहेगा तो यह काम चार वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, अभी माननीय बदन सिंह जी ने कहा कि आगरा शहर में पानी की समस्या अत्यन्त गंभीर है और उस समस्या के निवारणार्थ क्या चम्बल, लिफ्ट योजना से चम्बल से यमुना में पानी डालने की कोई योजना है, माननीय मंत्री जी ने उस पर उत्तर दिया कि कोई योजना नहीं है । मान्यवर, जहां तक बैराज का सवाल है, गोकुल बैराज बनने से आगरा की जो आज समस्या है, वह और भी गंभीर होने जा रही है । आगरा में बैराज बनाने के सम्बन्ध में 30 अप्रैल, 1987 को आगरा मंडल की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आगरा में बैराज बनाने के लिये माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, अभी तक आगरा में जो पानी की समस्या है, उसके सम्बन्ध में कीथम झील के बारे में एग्रीमेन्ट हुआ था कि 10 क्यूसेक पानी दिया जायेगा । लेकिन वहां की समस्या को देखते हुए कीथम झील से 100 क्यूसेक पानी अभी तक आगरा को दिया जाता रहा । मान्यवर, यह जो गोकुल बैराज बनाने की योजना है, इससे आगरा की समस्या का समाधान होगा । लेकिन, मान्यवर, जिस तरीके से आगरा की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से 2001 ई0 तक दूसरी समस्या पैदा होगी । 2001 ई0 के समय में आगरा के निकट एक बैराज बनाने के लिये विचार किया जा रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा में जो जल आपूर्ति की समस्या है उसके लिये जल की आवश्यकता है 600 मिलियन लीटर, पानी दिया जा रहा है 43 मिलियन लीटर, इतना बड़ा अन्तर है । अभी जैसा कि माननीय सत्य प्रकाश विकल जी ने भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आगरा में जमुना नदी पर बैराज बनाया जायेगा । अभी स्थल चयन की बात आयी तो कहा गया कि स्थल का परीक्षण कराया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं । मान्यवर, स्थल चयन के परीक्षण के सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि आगरा जिले के अधिकारियों ने और जिला समन्वय समिति ने, जिसमें सभी विधायकगण और सांसद महोदय भी सम्मिलित रहते हैं, अपनी संस्तुति की है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी, आप प्रश्न करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

जब समन्वय समिति ने और अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, तो कैसे कहा जा रहा है कि कोई बैराज नहीं बनाने जा रहे हैं ?

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाने की जो योजना है, वह अपने आप में क्या है, इसको बताने की कृपा करें ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, आगरा में उसके सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा–

एक तरफ मान्यवर, यह कह रहे हैं कि दूसरा बैराज बनाने की कोई योजना नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सर्वेक्षण कराया जा रहा है तो दो बातें हो गईं, कृपया इसको स्पष्ट कर दें ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं और जैसा मैंने अपने जवाब में कहा कि गोकुल बैराज की जो हमारी योजना है, उससे काम चलेगा, लेकिन जिस तरीके से आगरा की जनसंख्या बढ़ रही है, तो सन् 2001 ई0 तक वहां पर दूसरा बैराज बनाने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से हो जायेगी । यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं और उसके लिये सर्वेक्षण का काम अभी से कराया जा रहा है, मैं तो आप से ज्यादा पहले ही चिन्तित हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं इनसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मुख्य बात तो आगरा की पयजल आपूर्ति के संबंध में है । तो इसके लिये क्या वह चम्बल से पानी लाने की कोशिश कर कर रहे हैं, या बैराज बनाकर पानी लाने की योजना है अथवा वह कैसे पानी वहां लायेंगे, इसको बताने की कृपा करें ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, इस समय कीथम झील से पानी दिया जा रहा है । मान्यवर, दूसरी बात जो इन्होंने जाननी चाही है वह गोकुल बैराज बनाकर आगरा की पेयजल की समस्या हल की जायेगी और इसके बाद यदि पानी की और आवश्यकता पड़ेगी तो दूसरा बैराज बनाया जायेगा, जिसके सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है, इस प्रकार प्रश्न का उत्तर तो मान्यवर स्पष्ट है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न था कि चम्बल नदी का पानी यमुना नदी में डालकर आगरा शहर के लिये कोई परियोजना है, इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि नहीं ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जबकि मुख्य मंत्री जी ने बार बार आगरा में जाकर घोषणा की है कि हम बैराज यमुना नदी पर जरूर बनायेंगे । मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बैराज बनाने की योजना है । जब माननीय राणा साहब ने कहा कि समन्वय समिति ने वहां पर योजना बनाने के लिए अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है तो इसके विषय में इन्होंने कुछ नहीं कहा । इसके विषय में मेरा एक तारांकित प्रश्न था कि क्या बादशाही महल के निकट में यमुना नदी पर पुल बनायेंगे तो इन्होंने कहा कि नहीं बनायेंगे । मान्यवर, यह इस प्रकार सही उत्तर तो नहीं कहा जा सकता। यह हमें बतायें कि निश्चित रूप से यह आगरा की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह जी, इतना गरमाने की आवश्यकता नहीं है, आप शान्ति से पूछ लें, आपको उत्तर अवश्य मिल जायेगा ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैंने पहले ही सवाल का विस्तार से जवाब दे दिया है। सारे सदन को संतुष्ट करने की कोशिश की है। अब आपसे ही संरक्षण चाहूंगा कि आगरा वालों को ही आप समझायें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक अहम प्रश्न पूछना चाहता हूं अभी मैंने उल्लेख किया था कि 30 अप्रैल, 1987 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगरा की एक

बैठक में स्पष्ट तौर पर यह आश्वासन दिया था कि आगरा में यमुना पर एक बैराज बनेगा। अभी 6 दिसम्बर, 1987 को आगरा की मण्डलीय बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि आगरा की गम्भीर स्थिति को देखते हुए स्थल चयन करना बाकी है। आगरा में बैराज बनाया जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा की जानकारी है। यदि हां, तो वह क्या इन्कार करेंगे कि आगरा में बैराज नहीं बनाया जायेगा ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इतना मैंने बताया कि सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण का कार्य किस-किस जगह पर कराया जा रहा है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ताकि ग्रीष्मकाल तक पेयजल की आपूर्ति हो सके?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, अभी तो सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। जब वह पूरा हो जायेगा, तभी इसका उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह आगरा की जनता का जीवन-मरण का सवाल है। मैं सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री विजय सिंह राणा सदन त्याग कर चले गये)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री सत्य प्रकाश विकल भी सदन त्याग कर चले गये।)

*4–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में रेशम निदेशालय की स्थापना एवं निदेशक की नियुक्ति

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेशम उद्योग (सेरीकल्चर) के विकास हेतु एक पृथक निदेशक तथा निदेशालय स्थापित किया जाना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो निदेशालय की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

रेशम निदेशालय की स्थापना शासन द्वारा अगस्त, 88 में की जा चुकी है जिसमें निदेशक की नियुक्ति भी कर दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि रेशम उद्योग निदेशालय की स्थापना कर दी गई है और उसमें निदेशक भी नियुक्त कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्य की महत्ता व उपयोगिता को देखते हुए क्या निदेशक का कार्य एक ऐसे व्यक्ति को दे रखा है जिसके पास पहले से ही कई दायित्व हैं और उसमें एक इसे जोड़ दिया गया है, या फिर इसी काम के लिए नियुक्त किया गया है। यदि पूर्णकालिक व्यक्ति नहीं नियुक्त किया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे कि इस काम के लिए ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाय ताकि वह काम के प्रति न्याय कर सके?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, 12 अगस्त, 1987 को निदेशालय बनाया गया है और 27 अक्टूबर, 1987 को फिलहाल अभी एक वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, लेकिन मा0 सदस्य की जो इच्छा है, तो अभी तो इसका प्रारम्भ हुआ है। है। प्रारम्भ होने पर ही ऐसी शंकायें करना उचित नहीं है। कार्य प्रारम्भ हो जाने दीजिये इसके बाद आपकी बातों पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में रेशम का उत्पादन मौजूदा स्थिति में कितना है और प्रति वर्ष प्रदेश में रेशम की खपत कितनी है? जानना चाहूंगा कि उत्पादन और खपत की इन विसंगतियों को दूर करने के लिए और प्रदेश में रेशम के विकास के लिये क्या कोई दूरगामी योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं?

श्री राम औतार दीक्षित–

रेशम की खपत को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए ही निदेशालय की स्थापना की गयी है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि उत्पादन कितना है और खपत कितनी है?

श्री राम औतार दीक्षित–

इस समय मेरे पास उत्पादन सम्बन्धी सूचना नहीं है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, सिल्क उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, बनारस में हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में रेशम का निर्माण होता है और इसके विकास के लिये क्या-क्या सुविधायें या प्रोत्साहन दे रहे हैं? इसके अतिरिक्त मा0 मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत की खेती कितने हेक्टेयर में कराई जाती है?

श्री राम औतार दीक्षित–

जहां तक मा0 सदस्य ने रेशम की उपयोगिता और विशेष रूप से बनारस का उदाहरण दिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए रेशम निदेशालय की स्थापना की गयी है। दूसरा प्रश्न जो किया है कि कितने क्षेत्र में इसकी खेती होती है, तो 963.92 एकड़ जमीन में रेशम का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मा0 मंत्री जी ने श्री अशोक बाजपेयी जी के सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैं इस बात की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कि उत्तर प्रदेश में इस समय 20 हजार कि0 ग्रा0 प्रति वर्ष से अधिक रेशम की आवश्यकता है, जैसा कहा गया कि बनारस केन्द्र है तो 2 हजार कि0 ग्रा0 का कताई और उत्पादन हो रहा है। इसी वजह से रेशम के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बनारस में इस उद्योग में लगे बुनकरों ने बहुत बड़ी हड़-ताल की है, आवश्यकता इस बात की है कि इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि निदेशालय द्वारा क्या योजना बनायी जा रही है इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्योंकि निदेशालय स्वयं में कोई योजना नहीं है? मैं जानना चाहूंगा कि कौन-कौन जिले उत्तर प्रदेश में लिये हैं जिनमें रेशम उद्योग के सघन उत्पादन का प्रयास किया जायगा और तात्कालिक कौन-कौन सी योजनायें हैं, जिसके द्वारा इसके विकास का प्रयास किया जायगा ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मा0 सदस्य ने बहुत वृहद कर दिया है अपना प्रश्न, जो मूल प्रश्न किया था उसमें केवल इतनी जानकारी चाही थी कि रेशम निदेशालय कब तक स्थापित कर दिया जायगा फिर भी बताना चाहता हूं कि जनपद नैनीताल, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और बरेली में शहतूत/अर्जुन उद्यान प्रारम्भ किये जा चुके हैं और देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, इटावा, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, बेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, इलाहाबाद और रामपुर जनपदों में रेशम की खेती के लिए जमीन की उपलब्धता के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अपने पूर्व प्रश्न में यह जिज्ञासा प्रकट की थी रेशम के उत्पादन के संबंध में निदेशालय की क्या योजना है क्योंकि बनारस का उद्योग बिलकुल ठप्प हो रहा है। क्या निदेशालय ने इस आशय की कोई योजना बनाई है कि बुनकरों को सस्ते दर पर रेशम उपलब्ध कराया जाय जिससे कि वे बाजार में टिक कर रेशम के उद्योग को बढ़ा सकें? यदि ऐसी कोई योजना है, तो वह क्या है?

श्री राम औतार दीक्षित–

रेशम के उद्योग के संबंध में योजना है किन्तु इसमें बुनकरों को क्या छूट दी जायेगी, ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

[बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 राज्य हथकरघा नि0 लि0 का यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र सुबसा बेलौंस, बलिया को बन्द करने का निर्णय

*1—श्री राज किशोर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य हथकरघा नि0 लि0 का यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र सुबसा बेलौंझा जनपद बलिया 6 जून, 1986 से बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अंतर्गत ऐसा किया गया और क्या इस प्रतिष्ठान में 5 साल से अधिक समय से कार्यरत बुनकरों व महिला श्रमिकों की सेवाओं व उनके मुआवजा आदि के बारे में कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम आँतार दीक्षित—

जी हां। बन्द करने का निर्णय 6 जून, 86 में नहीं वरन् जून, 87 में लिया गया है।

निर्णय यूनीसेफ के एवं हथकरघा निगम के अधिकारियों द्वारा योजना की समीक्षा के उपरान्त लिया गया है। सुविधा प्रदान करने के बारे में कार्यवाही की गई। केन्द्र में लगे करघों में कार्यरत बुनकरों में दिये जाने का निदेश दिया गया। मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं है। केन्द्र में लगे करघों को कार्यरत बुनकर को दिए जाने एवं केन्द्रों को समीपवर्ती उत्पादन परियोजना से सम्बद्ध कर उत्पादन का कार्य कराये जाने का निर्देश दिया गया और तदनुसार सुबसाबेलौंस केन्द्र को मऊ परियोजना से सम्बद्ध कर दिया गया है।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसमें सुबसाबेलौंस जो कि बलिया जिले में है, जिसमें सैकड़ों महिलायें, पुरुष कर्मचारी कार्यरत थे, उनको एक झटके से निकाल कर, कारखाने को बन्द करके इस सरकार ने अपना मजदूर विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह केन्द्र किस साल में खोला गया? जिस वक्त यह खोला गया तो उस वक्त इस के बारे में या इस योजना के बारे में कोई समीक्षा नहीं की गयी थी? और इतने दिनों के बाद समीक्षा करने के परिणाम स्वरूप आप केन्द्र को बन्द कर देंगे तो सैकड़ों मजदूरों के भविष्य के बारे में क्या आप उनके लिये विचार नहीं करेंगे या उनके लिये कोई कार्यक्रम नहीं बनायेंगे? क्या इसका कोई औचित्य है?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप एक-एक करके प्रश्न पूछ लें। पूरे विस्तार में आपने जो रामायण कही है उससे आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया है।

श्री राज किशोर सिंह—

इस केन्द्र की स्थापना किस सन् में हुई?

श्री राम आँतार दीक्षित—

इस केन्द्र की स्थापना सन् 1980 में हुई।

श्री राज किशोर सिंह–

1980 में आपने इसे खोला और 1987 में इसे बन्द कर दिया । इन सात सालों में आपको क्या अनुमान हो गया कि अब इसे चलाने लायक सरकार नहीं है? सात वर्षों के बाद आपके आदमियों ने इसकी समीक्षा की और इसको बन्द कर दिया । इसके पहले क्या पूर्णरूपेण इस योजना के बारे में विचार नहीं किया गया था?

श्री राम औतार दीक्षित–

यह योजना बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए विशेषकर थी जो कि यूनीसेफ के द्वारा केवल पांच वर्षों के लिए खोली गयी थी ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहती है और दूसरी ओर 7 वर्ष के पश्चात् केन्द्र बन्द कर दिये जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बीमार केन्द्रों को पुनः चालू करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम औतार दीक्षित–

यह योजना, जैसा कि अभी बताया जा चुका है, यूनिसेफ द्वारा 5 वर्ष के लिये बनायी गयी थी, लेकिन बुनकरों की हालत को देखते हुए जो शेड बनाये गये हैं और करघे लगाये गये हैं, तो यह किया गया है कि वह शेड और करघे उन बुनकरों को दे दिये जायेंगे । इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वह बुनकर आयें और काम करें । हमारा उद्देश्य है कि हम उनको सूत देंगे और वह इन करघों से सूत तैयार करके कपड़ा बुनकर दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, बलिया जनपद औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उद्योग के नाम पर वहां पर केवल एक कताई मिल और एक गन्ना मिल है। यूनिसेफ के केन्द्र बेलौधा और सुखपुरा में खोले गये थे और उन दोनों को बन्द कर दिया गया है । वहां के मजदूर बेकार हैं और भुखमरी की कगार पर हैं। तो बलिया जनपद को पिछड़ा हुआ मानकर क्या उक्त दोनों केन्द्रों को चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित–

श्री राम गोविन्द चौधरी के उद्देश्य को मैंने समझा है और मैंने इस सम्बन्ध में यह बात की है कि जो शेड्स हैं वहां पर जो भी बेरोजगार बुनकर हैं, वह काम कर सकते हैं और इस निदेशालय से उनको छूट भी दी जायेगी, वह कपड़ा बनायें, उनकी बेकारी का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर एवं देवा के कतिपय गांवों के कल्याणी नदी के जल प्लावन से बचाने की योजना

*2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष सितम्बर 85 के बाढ़ में बाराबंकी जनपद के वि0 खं0 निन्दूरा फतेहपुर, देवा के कुल कितने गांव कल्याणी नदी की बाढ़ से प्रभावित हुये थे कितने लोगों को कुल कितना रुपया गृह अनुदान के लिये दिया गया था तथा

कुल कितने एकड़ भूमि की फसल प्रभावित हुयी थी ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि दिनांक 4-6-86 को जिलाधिकारी बाराबंकी ने प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग व सचिव, सिंचाई विभाग उ0 प्र0 शासन को पत्र लिखकर विकास खण्ड निन्दूरा के लगभग 100 गांवों को कल्याणी नदी के बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु कुछ सुझाव दिये थे ? यदि हां, तो उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सीताराम निषाद–

सितम्बर, 1985 की बाढ़ में कल्याणी नदी से तहसील फतेहपुर के विकास खण्ड नन्दूरा के 132 गांव, विकास खण्ड फतेहपुर के 32 गांव तथा नवाबगंज तहसील के विकास खण्ड देवां के 6 ग्राम प्रभावित हुए थे ।

उपरोक्त ग्रामों में बाढ़ से प्रभावित 7829 व्यक्तियों को रुपया 33,71000 गृह अनुदान जिला प्रशासन बाराबंकी द्वारा वितरण किया गया ।

उपपरोक्त ग्रामों की कुल 41284 एकड़ भूमि की फसल प्रभावित हुई थी ।

जी हां, जिलाधिकारी बाराबंकी का पत्र दिनांक 4-6-87 (4-6-86 नहीं) प्राप्त हुआ । यह पत्र जिलाधिकारी बाराबंकी के राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र दिनांक 7-5-87 के सन्दर्भ में है । जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 4-6-87 में दिये गये सुझावों के अनुसार कल्याणी नदी से जल प्लावन नदी की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराकर योजना का प्रारूप तैयार करके तकनीकी एवं वित्तीय साधता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 1985 की बाढ़ में बाराबंकी के 170 गांव बरबाद हुये थे और लगभग 50 हजार एकड़ फसल क्षति-ग्रस्त हुई और 8 हजार से ज्यादा घर गिर गये । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसकी अंतिम लाइनों में लिखा है कि कल्याणी नदी से जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराकर योजना का प्रारूप तैयार करके तकनीकी एवं वित्तीय साधता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि दो साल के बाद भी इतनी भयानक बाढ़ का अभी तक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है और न कोई प्रारूप ही तैयार किया गया है । इस सरकार के 3 साल बीत गये हैं और दो साल बाकी रह गये हैं । इनका आगे कोई भरोसा नहीं है कि यह आवे या न आवें । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज दो साल बीत जाने के बाद भी इस समस्या के समाधान हेतु अभी तक सर्वेक्षण और उसका प्रारूप तैयार न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, सन् 85 में दो नदियां-एक कल्याणी और एक दूसरी-में बाढ़ आयी थी और उनमें पानी बहुत ज्यादा हो गया था । गोमती नदी में भी बाढ़ आ गई थी । मान्यवर, हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहती है । इन दोनों नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की तरफ है । इनका ढाल बहुत है । दूसरी कठिनाई यह है कि इन नदियों का ढाल कम होने की वजह से इनमें पानी बहुत धीमी गति से बहता है । . . . . ((व्यवधान) । मैं जवाब दे रहा हूं । कान खोलकर सुनिये । . . (व्यवधान) । मान्यवर, विभाग से जो जानकारी

करायी गई है वह मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं । गोमती नदी का जल स्तर ऊंचा है जिसकी वजह से इसका पानी भी उलट कर इन नदियों में आ जाता है और वहां पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है । इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जो जांच करायी गई उसके अनुसार उसमें यह कठिनाई पायी गई कि इनका ढाल कम होने की वजह से चूंकि ऐसी स्थिति आ जाती है इसलिये जिलाधिकारी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इन नदियों को चौड़ा और गहरा कर दिया जाय । इसकी जांच करने पर यह देखा गया कि इससे भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि गोमती नदी का पानी उनमें उलट कर आ जायेगा और एक विषम स्थिति पैदा हो जायेगा । इसलिये इस कठिनाई को देखते हुए उसमें काम नहीं किया गया । लेकिन फिर दुबारा जब जिलाधिकारी ने पत्र लिखा और यह सुझाव दिया कि चूंकि तकनीकी कठिनाई से इन नदियों को चौड़ा और गहरा करना सम्भव नहीं हो पा रहा है इसलिये उन्होंने यह सुझाव दिया कि शारदा सहायक की वहां पर जो नहर है उसमें 4 स्थानों पर कुलावे बनाकर उसके पानी को निकलवा दिया जाय । इस संबंध में लिंक ड्रेन बनाकर उसका पानी निकालने के संबंध में विभाग की तरफ से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नत्थाराम रावत–

मान्यवर, मंत्री जी के लिखित उत्तर से सम्बन्धित कि जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 4-6-87 में दिये गये सुझावों के अनुसार कल्याणी नदी से जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराकर योजना का प्रारूप तैयार करके तकनीकी एवं वित्तीय साधता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, इस सम्बन्ध में मंत्री जी से निवेदन है कि अगली बरसात आने के पहले ही सर्वेक्षण आदि कराकर कल्याणी नदी की आप सफाई करा देंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, इसमें तकनीकी सर्वेक्षण कराकर यदि उससे पानी की निकासी हो सकती है, तो उस पर जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है और हमारे सप्लिमेंटरी का उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें बहुत अन्तर है । ऐसा लगता है कि हर चीज का सर्वेक्षण करा लिया गया है और गोमती का जल-स्तर नीचे चला जायेगा । सर्वेक्षण कराया जायेगा, ऐसा वे कह रहे हैं । लेकिन वित्तीय आधार पर यह किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा नहीं ? यदि किया गया है तो किसके द्वारा और नहीं कराया गया तो कब तक करा लिया जायेगा ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक ने जो जानकारी की, जो जांच पड़ताल की वह मैंने आपसे निवेदन किया । लेकिन चूंकि यह समस्या वहां पर है बहुत ज्यादा गांव वहां प्रभावित हैं इसलिये इस पर विचार हो रहा है कि जल निकालने के लिये कोई रास्ता निकल सकता है जैसे ड्रेन आदि बनाकर या किसी और प्रकार से उस समस्या का हल हो सकता है तो उस पर विचार करने के लिये तकनीकी सर्वेक्षण करने के लिए विचार हो रहा है। जो नदी को गहरा करने और चौड़ा करने की बात कही उसके अलावा और कोई रास्ता हो उसके लिये विचार हो रहा है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से बार बार इस समस्या के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जिलाधिकारी बाराबंकी ने सुझाव दिए हैं उसके अनुसार किन-किन मजदूरों का परीक्षण किया जा रहा है ? तो वह उत्तर दे दें कि इन इन मुद्दों पर परीक्षण करा लिया गया है ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, यह मैंने पहले भी जबाब दिया कि पहले पत्र में जिलाधिकारी ने यह सुझाव दिये थे कि दोनों नदियों को चौड़ा और गहरा करा दिया जाय । चूंकि इनका ढाल कम है और यह दोनों नदियां गोमती में मिलती है जिसका जलस्तर ऊंचा है और उनका पानी इसमें आ जाने से और ज्यादा गांव प्रभावित होंगे । तो इस कठिनाई को देखते हुये फिर जिलाधिकारी ने दूसरा पत्र लिखा उसमें सुझाव है कि शारदा सहायक में कुछ कुलावे बनाकर पानी की व्यवस्था की जाय । तो उसके अनुसार 8 जगह कुलावे बनाने हैं जिसमें से 4 जगह कुलावे बने हैं तथा 4 जगह और बनाकर, लिंक ड्रेन बनाकर पानी निकालने की व्यवस्था पर विचार हो रहा है ।

श्री श्रवण कुमार गुप्त, सहायक अभियन्ता, चाफ शाखा निर्माण खण्ड देवरिया के कार्य मुक्त किये जाने की मांग

*3–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता सिंचाई चाफ शाखा निर्माण खण्ड देवरिया का स्थानान्तरण प्रतिबन्धित स्थान पर हुआ था और क्या उन्हें 15 अक्टूबर, 1986 तक रोका गया था ? अभी तक उन्हें कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सच है कि श्री श्रवण कुमार गुप्त विगत दो वर्षों से इसी खण्ड में अधिशासी अभियन्ता जैसे जिम्मेदार पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इनके स्थान पर किसी अधिशासी अभियन्ता को पद स्थापित कर इन्हें कार्यमुक्त करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखपाल पाण्डे–

जी हां । चीफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया में श्री श्रवण कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं । इन्हें दि0 15-10-86 को अवमुक्त होना था किन्तु दिनांक 16-7-85 से यह अपने कार्य के साथ-साथ अधिशासी अभियन्ता के पद का कार्य भी देख रहे हैं । किसी अधिशासी अभियन्ता की पदस्थापना न होने के कारण उन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है । जी हां । यथाशीघ्र पदस्थापना की जायेगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15-10-86 तक इनका स्थानान्तरण रोका था और 16-10-86 को इनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया । अधिशासी अभियन्ता वहां पर दो साल से नहीं है तो इसका क्या कारण है ? तो क्या वहां अधिशासी अभियन्ता भेजकर उनका स्थानान्तरण पूर्व आदेशानुसार प्रतिबंधित स्थान पर किया जायेगा ?

श्री सीताराम निषाद –

मान्यवर, प्रदेश में करीब 85 अधिशासी अभियन्ताओं की कमी है । इसलिए ऐसे 85 स्थानों पर वरिष्ठ सहायक अभियन्ता कार्यवाहक अधिशासी अभियंता बनाकर जनहित में काम कर रहे हैं । जैसे ही पदोन्नति की कार्यवाही हो जायेगी जल्दी से वहां पर पद स्थापना कर दी जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 85 अधिशासी अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं, तो क्या इन पदों को भरने के लिए सरकार कोई तत्काल व्यवस्था करेगी ?

श्री सीताराम निषाद –

मान्यवर, कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न संख्या-4 (श्री राम शरण दास का नाम पुकारे जाने पर. . . .)

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर मुझे एक प्रश्न करने की अनुमति दी जाये । इसमें 10 लाख रुपया लिया गया है जिससे उसका स्थानान्तरण रोक दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष –

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुरोध है कि मुझे इजाजत दी जाये ।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है । प्रश्न कर लें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि कोई एक शिकायत पर प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती-पत्र दिया है कि श्री श्रवण कुमार गुप्त ने कहा है कि 10 लाख रुपया देते हैं, इसलिए मेरा कोई स्थानान्तरण नहीं करा सकता है । इसकी दरख्वास्त देकर विजीलेन्स से जांच के लिए मुख्य मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था, बीच में उसका स्थानान्तरण किया गया और फिर रोक दिया गया, ऐसा क्यों ?

श्री सीताराम निषाद –

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है । यह पाण्डेय जी के दिमाग की उपज है।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड गंगोह का जल सर्वेक्षण

*4–श्री राम शरण दास–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगोह और उसके चारों तरफ की देहात के पानी का लेबिल 42 फुट नीचे चला गया है ? क्या यह भी सही है कि वहां प्रत्येक वर्ष एक फुट पानी का लेबिल नीचे जाने की रफ्तार चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस इलाके में पानी के लेबिल को ऊपर उठाने के लिए कोई नहर या राजबहा निकालने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सीताराम निषाद –

सहारनपुर जनपद के गंगोह विकास खंड में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा भूजल स्तर मापन हेतु स्थापित निरीक्षण कूपों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उक्त विकास खण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में भूजल स्तर की अधिकतम गहराई (भूतल से) 13 फुट से 40 फुट के मध्य पायी गयी है । अधिकांश निरीक्षण कूपों में वर्ष 1983 तक भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट नहीं हुयी है । परन्तु वर्ष 1984 से 1986 के मध्य भूजल स्तर में लगभग 2 फुट प्रतिवर्ष की दर से गिरावट पायी गयी है ।

सन्दर्भित क्षेत्र में पानी का लैबिल ऊंचा उठाने के लिए सिंचाई विभाग की कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है ।

***5– कुंवर मानवेन्द्र सिंह–**

(3रे बुधवार के लिए स्थगित)

यूपिका के विभिन्न शो रूम के माल की स्थानान्तरण नीति

***6–श्री भगौती सिंह–**

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि यूपिका के विभिन्न शो रूम जो प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित हैं एक दूसरे को आवश्यकतानुसार माल स्थानान्तरित करते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में किस-किस शो रूम से कितने-कितने रुपये का माल स्थानान्तरित हुआ ? क्या नियमानुसार इनकी पूर्व स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी नहीं । मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् एक शो-रूम से दूसरे शो-रूम के माल स्थानान्तरण करने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध वर्ष 86-87 में नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

***7–श्री हर्ष वर्धन–**

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

***8–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–**

[दिनांक 1-7-87 को अता0 प्र0 सं0 77 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजियाबाद में ग्राम सालारपुर के निकट वैदिक संस्थान नामक आश्रम के अनधिकृत निर्माण का मामला न्यायालय के विचाराधीन

***9–श्री महेन्द्र भाटी–**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद तहसील दादरी स्थित नोएडा की प्रस्तावित हरित पट्टी में ग्राम सालारपुर के निकट महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित वैदिक संस्थान नामक आश्रम का निर्माण शासन अथवा नोएडा से विधि-

---

तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

वत अनुमति लेकर कराया गया है ? यदि नहीं, तो 1983 के मध्य में इस आश्रम के निर्माण पर नोएडा द्वारा रोक लगाये जाने पर भी इसका निर्माण अभी तक क्यों जारी है ? आश्रम के निर्माण हेतु लगभग 4 हजार बीघा भूमि का क्रय किस आधार पर किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित वैदिक संस्थान नामक किसी आश्रम के निर्माण की अनुमति शासन अथवा नोएडा द्वारा नहीं दी गयी है । नोएडा द्वारा रोक लगाये जाने पर भी महर्षि आश्रम द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कराया जा रहा था अतः नोयेडा द्वारा आश्रम के विरुद्ध सिविल जज गाजियाबाद में 31-5-87 को स्थाई निषेधाज्ञा एवं अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की आज्ञा हेतु वाद दायर किया गया । मा0 न्यायालय द्वारा दौरान मुकदमा उपरोक्त आश्रम के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी है और किसी भी निर्माण को करने पर रोक लगा दी है ।

आश्रम के निर्माण हेतु लगभग 683.42 एकड़ भूमि सीधे किसानों से क्रय की गयी है ।

शारदा सहायक नहर का सिंचाई नियम संग्रह के अनुसार सिंचाई कर

*10–श्री बलराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक द्वारा सिंचित क्षेत्रों में 25 अप्रैल, 87 से 10 जून 87 तक नहर बन्दी की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो नहर बन्दी पूर्व जिन कृषकों ने पलेवा करके गन्ना की बुआई ही किया है तथा पुनः सिंचाई हेतु पानी न उपलब्ध होने के कारण अन्य स्रोतों से सिंचाई कर रहे हैं तो उनसे गन्ना फसल की पूरी सिंचाई लेने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, शारदा सहायक नहर प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्रों में दिनांक 25-3-87 से 7-6-87 तक नहर बन्दी की घोषणा की गई थी । गन्ने की सिंचाई के लिये सिंचाई कर, सिंचाई नियम संग्रह भाग-2 ''चतुर्थ संस्करण'' के पैरा 153 में निहित, कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट 1873 के नियम 20 के अन्तर्गत लगाया जाता है । इस नियम के अनुसार गन्ने की सिंचाई 15 जनवरी से आरम्भ मानी जाती है । उक्त नियम के अनुसार पलेवा सिंचाई के बाद गन्ने की फसल बोये जाने पर गन्ने की पूरी सिंचाई का महसूल लिया जाता है ।

पी0 सी0 डी0 एफ0 को विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था

*11–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि पी0 सी0 डी0 एफ0 में सुरक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष भारी व्यय किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन सुरक्षा एजेन्सियों को यह कार्य सौंपा गया तथा वर्ष 85-86 में सुरक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं, आवश्यकतानुसार ही व्यय किया जा रहा है ।

पी0 सी0 डी0 एफ0 मुख्यालय लखनऊ तथा उसकी इकाईयों में विभिन्न एजेन्सियों को यह कार्य सौंपा गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक "क" पर प्रस्तुत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 153-154 पर)

ताज ट्रेपेजियम आगरा के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स कारखानों को स्थापित करने की योजना

*12–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि ताज ट्रेपेजियम के अन्तर्गत केवल इलेक्ट्रानिक्स के कारखाने ही लग सकते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 87-88 व 88-89 में कौन-कौन से कारखाने लगाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । इलेक्ट्रानिक्स एवं अन्य प्रदूषण रहित उद्योग ही स्थापित किये जा सकते हैं ।

यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा आगरा में एसिस्टेड सेक्टर में मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स इक्विपमेंट परियोजना लगाने हेतु सक्षम उद्यमी की खोज की जा रही है, जिसके मिल जाने पर अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी । इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अपने सिकन्दरा साइट "सी", आगरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 24 भूखण्डों का एक इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स भी विकसित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के स्थानान्तरित परगनाधिकारी श्री शुक्ल के विरुद्ध कथित आरोप

*13–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में बलिया जनपद रसड़ा तहसील अंतर्गत सीयर व नगरा विकास खण्डों में स्थानान्तरित परगनाधिकारी श्री शुक्ल के स्थानान्तरण के पश्चात पूर्व की तिथियों में अवैध धन लेकर 20 से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का लाईसेन्स फर्जी प्रक्रियायें पूरी कर दे दिया जिसके विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने अनेक शिकायती-पत्र जांच एवं कार्यवाही हेतु दिए ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

यह सही है कि माननीय सदस्य से स्थानान्तरित परगनाधिकारी श्री शुक्ल के विरुद्ध इस प्रकार के शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए । शिकायती-पत्रों को जिलाधिकारी, बलिया को जांच के लिये भेजा गया । प्राप्त जांच आख्या के अनुसार आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

*14—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[3रे बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*16—श्री पुष्कर सिंह—

[9वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश सरकार द्वारा बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित करने की योजना

*17—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या पर्यटन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौद्ध तीर्थ स्थलों (बुद्धिष्ट प्लेस) को विकसित करने की शासन ने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां ।

बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 में रु0 2.00 करोड़ की लागत से कुशीनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती एवं संकिसा में पर्यटक आवास गृह, कुशीनगर में बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा में मार्गीय सुविधा, स्टाफ क्वार्टर तथा जनरेटर सेट सारनाथ में वर्तमान आवासीय व्यवस्था में सुधार एवं अतिरिक्त आवासीय व्यवस्था तथा उपरोक्त सभी स्थानों में लैण्डस्केपिंग, पहुंच मार्ग का सुधार पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी कार्य स्वीकृत है । उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त बौद्ध तीर्थ स्थलों के पर्यटन दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास हेतु रु0 23044.66 लाख की एक वृहत् महायोजना पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की गयी है जो भारत सरकार के विचाराधीन है जिसमें समस्त स्थानों पर स्थल सुधार, मार्गीय सुविधा, सड़कों का सुधार, पेयजल व्यवस्था, दर्शनीय स्थलों का जीर्णोद्धार, दूर संचार सुविधा, निरन्तर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, पुल तथा फ्लाई ओवर एवं सांस्कृतिक केन्द्र आदि का कार्य प्रस्तावित है ।

योजना को धन उपलब्धता के आधार पर पूरा किया जायेगा ।

*18—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगित]

*19—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगित]

जनपद उन्नाव के पुरवां तहसील के कतिपय ग्रामों में होने वाले जल भराव के पानी को नहर में डालने में कठिनाइयां

*20—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील के ग्राम बछेबरा शीतला बख्श खेड़ा असरी आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल को जल भराव से बचाने के लिए

महना झील का पानी लिफ्ट पम्प से उठाकर मौरावां डी0 वाई0 नहर में डालने की योजना के क्रियान्वयन में क्या तकनीकी कठिनाइयां हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राकृतिक ढाल मौरावां राजबहा से महना झील की ओर है जिसके कारण झील का पानी राजबहा में डालने हेतु प्राकृतिक ढाल के विपरीत पोषक नहर बनानी होगी जिसमें भू-तल के नीचे बहुत अधिक खुदाई करनी होगी । ऐसी पोषक नहर बनाने एवं रख रखाव में बहुत अधिक लागत आयेगी तथा इसका लाभ लागत अनुपात भी बहुत कम होगा । अतः यह योजना व्यवहारिक नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर के ग्राम डोमहर माफी सहजनवां के नलकूप सं0 259 बीजी के संबन्ध में शिकायत

1–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा–

श्री मैनेजर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने कृपा करेंगे कि श्री रामलखन सिंह ग्राम्य प्रधान डोमहर माफी सहजनवां जनपद गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 16-12-86 द्वारा नलकूप सं0 259 बीजी के संबंध में जांच की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ के कतिपय ग्राम सभाओं की जल भराव समस्या का निराकरण

2–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की तहसील सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा दभी, करहला, दरियापुर तथा जुभगपुर की जलप्लावन समस्या का निराकरण करने हेतु दभी करहला नाले के पुनरुद्धार के लिए आर0 एल0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत आवंटित 5,00,000 रु0 की धनराशि से सिंचाई विभाग के गंगा नहर डिवीजन अलीगढ़ द्वारा नाले को गहरा करते समय किनारों की छटाई नियमानुसार तिरछी न करके सीधी करने से मिट्टी गिरकर नाला पुनः अवरुद्ध हो गया है तथा लगभग 2 कि0 मी0 भाग की खुदाई का कार्य अवशेष है ? क्या इस नाले का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करने के संबंध में जिलाधिकारी अलीगढ़ की रिपोर्ट पत्रांक 4444 दिनांक 9-3-87 शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस नाले के अधूरे कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

अलीगढ़ जनपद की तहसील सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा दभी करहला दरियापुर तथा जुभगरपुर की जल प्लावन समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से दभी

करहला नाले के पुनरोद्धार हेतु आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत रु0 5 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी परन्तु यह सही नहीं है कि अलीगढ़ प्रखण्ड गंगा नहर अलीगढ़ द्वारा नाले को गहरा करते समय किनारों की छटाई नियमानुसार तिरछी न करके सीधी करने से मिट्टी गिरकर नाला पुनः अवरुद्ध हो गया । नाले के किनारों की छटाई 1/2:1 के "स्लोप" पर की गई थी परन्तु मील 03-0 से 3-4 तक धलुई मिट्टी होने के कारण 1/2:1 का "स्लोप" नहीं रुक पाया जिस कारण कुछ मिट्टी ढह गई । इस "स्लोप" को 1:1 करा दिया गया तथा ढई मिट्टी निकालकर नाला साफ कर दिया गया है जिससे नाले द्वारा पानी निकासी में अब कोई अवरोध नहीं है ।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने पत्र संख्या: 4444, दिनांक वास्तव में 7-3-1987 सचिव सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ था ।

अब मिट्टी का कार्य अधूरा नहीं है ।

जनपद मेरठ में काली नदी के आस-पास खरखोदा क्षेत्र में भू-गर्भीय जलस्तर का उतार चढ़ाव

3—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि काली नदी के आस-पास विशेषतया खरखोदा (मेरठ) क्षेत्र में लगातार जल स्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो सरकार जल स्तर को उठाने के लिए क्या-क्या व्यवस्थायें कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

यह सही नहीं है कि काली नदी के आस-पास विशेषतया खरखोदा (मेरठ) क्षेत्र में लगातार जल स्तर गिर रहा है । प्रश्नगत क्षेत्र के भूगर्भीय जल स्तर में नगण्य उतार चढ़ाव देखा गया है ।

सिंचाई विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद आगरा में तहसील आगरा के कतिपय नलकूपों की कार्यशीलता

4—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में नलकूप संख्या 8, 9, 10, 11 व 12 कब से कार्यशील हैं और इनसे प्रति वर्ष कितनी भूमि की सिंचाई होती है? वर्ष 1983-84, 84-85 व 85-86 में इन नलकूपों से कितनी जमीन सिंचाई की गई? क्या नलकूपों से सिंचन क्षमता को और अधिक बढ़ाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद की तहसील आगरा में नलकूप संख्या 8, 9, 10, 11 व 12 आगरा समूह निम्नलिखित तिथियों से कार्यशील है:–

क्रम-सं0	नलकूप सं0 व समूह	कार्यशील होने की तिथि
1	2	3
1	8 आगरा	28–10–1979
2	9 आगरा	26–10–1979
3	10 आगरा	26–10–1979
4	11 आगरा	30–10–1979
5	12 आगरा	14–12–1982

इनसे गत पांच वर्षों की सिंचाई के आधार पर प्रति वर्ष औसतन सिंचाई निम्नानुसार है :–

क्रम-सं0	कूप सं0 व समूह	प्रतिवर्ष औसतन सिंचाई (एकड़ में)
1	2	3
1	8 आगरा	34.4
2	9 आगरा	64.8
3	10 आगरा	42.2
4	11 आगरा	विफल (खारा पानी के कारण)।
5	12 आगरा	70.4

इन नलकूपों से वर्ष 1983-84, 84-85 व 85–86 में निम्नानुसार सिंचाई की गयी :–

क्रम-सं0	नलकूप सं0 व समूह	सिचाई (एकड़ में) 1983–84	84–85	85–86
1	2	3	4	5
1	8 आगरा	23	38	47
2	9 आगरा	57	59	59
3	10 आगरा	45	36	42
4	11 आगरा	20	8	विफल
5	12 आगरा	14	41	118

उक्त नलकूपों से और अधिक सिंचन क्षमता बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और नलकूपों पर विद्युत उपलब्धि को देखते हुए जल वितरण प्रणाली प्रर्याप्त है ।

जनपद इटावा के तहसील विधूना में कतिपय वर्षों की फसली की आबपासी में छूट संबंधी पत्र पर जांच

5—श्री औसान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1986 तहसील विधूना जनपद इटावा में वर्ष 1388, 1389 व 1390 फसली की आबपासी में छूट संबंधी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । उल्लिखित पत्र की प्रति कलेक्टर इटावा को दिनांक 8 जनवरी, 1987 को भेजकर उन्हें निर्देश दिए गये हैं कि जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से मा0 विधायक को अवगत करा दें । मा0 विधायक को भी सूचित कर दिया गया है ।

उ0 प्र0 के कारागारों में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

6—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के कारागारों में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों जिनकी सेवायें वर्ष 1968-69 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन थीं, को वर्ष 1974 से कारागार विभाग के तत्सम्बन्धी कर्मचारियों के समान वेतन क्रम तो दिया जा रहा है किन्तु अन्य सुविधाओं जैसे पेन्शन, जीवन बीमा और सामान्य भविष्य निधि आदि नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? यह कर्मचारी किस विभाग के माने जाते हैं और उनकी सेवा नियमित किये जाने की क्या कोई व्यवस्था अभी तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में सरकार विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मामले की जांच कराई जा रही है । यह कर्मचारी उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी माने जाते हैं ।

यह कर्मचारी पहले से ही नियमित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ सेन्ट्रल डेरी फार्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती-पत्र पर जांच

7—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या पशुधन विकास मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12 अगस्त, 86 को एक शिकायती-पत्र अलीगढ़ सेन्ट्रल डेरी फार्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में दिया

था ? यदि हां, तो उसकी जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी, हां ।

जांच प्रगति पर है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में बनी नहरों की पटरियों पर खड़ंजा लगाने की मांग

8–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की मुख्य साधन नहरें हैं और इन नहरों की पटरियों पर खड़ंजा इत्यादि की आवश्यकता है ? वर्ष 1985-86 में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में धन के अभाव के कारण नहर सम्बन्धी कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1986-87 में नहरों की पटरियों पर खड़ंजा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

सिंचाई विभाग को इन नहरों की पटरियों पर खड़ंजा इत्यादि की आवश्यकता नहीं है ।

वर्ष 1985-86 में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में नहर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं था और न ही कोई कार्य कराया गया है । वर्ष 1986-87 में पटरियों पर खड़ंजा लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था क्योंकि सिंचाई विभाग को इसकी आवश्यकता नहीं है ।

जनपद आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में बने नालों की सफाई न होने के सम्बन्ध में शिकायत

9–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र एतमादपुर, आगरा में वर्ष 1985-86 व वर्ष 86-87 में विरूनी खांडा नाले की खुदाई तथा चूहरपुर, नागला सिरजी व इमलिया सूरज की नालों की सफाई में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह सच है कि सफाई सिर्फ कागजों में ही पूरी की गई है और मौके पर कार्य नाम मात्र का ही हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त दोनों वर्षों में किए गये कार्यों की सत्यता की मौके पर जांच जनता के बीच में कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर मण्डल में राजकीय नलकूपों की संख्या एवं सींच

10–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में राजकीय नलकूपों, जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले

पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में सामान्य एवं विश्व बैंक परियोजना के चलित नलकूपों की संख्या एवं प्रति नलकूप औसतन सींच निम्न प्रकार है:–

वर्ष		सामान्य नलकूपों की संख्या	औसतन सींच प्रति नलकूप (हेक्टेयर में)	विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों की संख्या	औसतन सींच प्रति नलकूप (हेक्टेयर में)
1		2	3	4	5
1982–83	..	1783	40.4	9	14.83
1983–84	..	1857	31.1	40	39.11
1984–85		1981	29.5	40	66.58
1985–86	..	2134	23.6	90	51.65
1986–87	..	2830	22.27	176	50.24

11–श्री श्याम बिहारी सिंह–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

मांट क्षेत्र के नौहझील ब्लाक में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

12–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने दि0 29 दिसम्बर, 86 को मांट क्षेत्र के नौहझील ब्लाक के जमुना किनारे के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मांट क्षेत्र के भूगर्भ में खारा पानी होने के कारण राजकीय नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के बजट अनुभाग में परफारमेंस बजट अधिकारी के पद का सृजन एवं आवंटित कार्य

13–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजट अनुभाग में परफारमेंस बजट अधिकारी का पद कब सृजित किया गया था? उक्त अधिकारी के पद ग्रहण के पश्चात् अगस्त, 1986 तक उक्त अनुभाग में कितने कार्यालय अधीक्षक कार्य कर रहे

थे? क्या उक्त अधिकारी के कार्य-ग्रहण के पश्चात् आय-व्ययक/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक अनुभाग में कोई अतिरिक्त कार्य जोड़ा गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य? यदि नहीं, तो अब कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) का पद उक्त अनुभाग के लिए क्यों सृजित किया जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बजट अनुभाग में परफारमेंस बजट अधिकारी (अराजपत्रित) का एक पद नवम्बर, 1980 में सृजित किया गया था। केवल एक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) मई, 1982 तक कार्यरत थे।

जी हां। वर्ष 1982 से आय-व्ययक/परफारमेंस बजट अनुभाग को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य सौंपे गये थे:–

1–साख सीमा की शीर्षकवार स्वीकृति।

2–भवन अग्रिम की स्वीकृति।

3–मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल के क्रय हेतु अग्रिम की स्वीकृति।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

14–श्री राम सजीवन–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

जिला उद्योग केन्द्र मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

15–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने जिला उद्योग केन्द्र मथुरा में भारी भ्रष्टाचार के बारे में मा0 मुख्य मंत्री को दिनांक 5-3-86 को कोई शिकायती-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई जांच की गयी? यदि हां, तो कौन-कौन से तथ्य सही पाये गए, एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न का प्रथम भाग:

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग:

जी हां।

प्रश्न का तृतीय भाग:

जांच आख्या प्राप्त हो गई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

मुरादाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल में राजकीय सिंचाई संकर्मों का प्रतिशत

16–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने कीकृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मुरादाबाद मण्डल का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 10.316 लाख हैक्टेयर है जिसमें से 3.258 लाख हैक्टेयर भूमि राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमांड क्षेत्र में है जो कृषि योग्य क्षेत्रफल का 31.6% है। गत पांच वर्षों में इन सिंचाई संकर्मों द्वारा निम्नलिखित वास्तविक सिंचाई हुई है:–

वर्ष	वास्तविक सिंचित क्षेत्र हेक्टयर	कुल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत	कुल राजकीय संकर्मों के कमाण्ड क्षेत्र का प्रतिशत
1981–82	187865	18.2	57.6
1982–83	205160	19.9	63
1983–84	204522	19.82	62.8
1984–85	212684	20.60	63.3
1985–86	191126	18.50	58.7

मेरठ मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा सींच का प्रतिशत

17–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इस राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मेरठ मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का 65.05 प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों (नलकूप, नहरें एवं बंदी) के कमाण्ड में है।

विगत पांच वर्षों (1982–83 से 1986–87) में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल की निम्नलिखित प्रतिशत क्षेत्रफल में वास्तविक सींच हुई है:–

वर्ष 1982–83	72.06 प्रतिशत
वर्ष 1983–84	71.18 प्रतिशत
वर्ष 1984–85	72 17 प्रतिशत
वर्ष 1985–86	71 32 प्रतिशत
वर्ष 1986–87	72.37 प्रतिशत

गोरखपुर मण्डल के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में राजकीय संकर्मों द्वारा सिंचन कार्य का प्रतिशत

18–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा

उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोरखपुर मंडल का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल, वर्ष 1984 की सांख्यकीय पत्रिका के अनुसार 1987·409 हेक्टेयर है जिसका 54·45% क्षेत्रफल राजकीय संकर्मों के कमाण्ड में है। राजकीय संकर्मों द्वारा विगत 5 वर्षों में, अर्थात् वर्ष 1981–82 से 1985–86 तक, गोरखपुर मण्डल के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के 20·25% क्षेत्र में असित सिंचाई हुई है।

बरेली मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल में राजकीय/संकर्मों द्वारा सिंचन कार्य का प्रतिशत

19–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बरेली मण्डल का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 13·14 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 5·31 लाख हेक्टेयर नहरों के व 2·01 लाख हेक्टेयर नलकूपों के कमाण्ड के अन्तर्गत है। इस प्रकार कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का 55·7 प्रतिशत राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है। विगत पांच वर्षों में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा निम्न प्रकार सींच हुई है:–

वर्ष	वास्तविक सीच (हेक्टयर में)			बरेली मण्डल के कुल कृषि योग्य क्षत्रफल से प्रतिशत
	नहर	नलकूप	योग	
1981–82 ..	2.61	0.62	3.23	24.6
1982–83 ..	2.77	0.79	3.56	27.1
1983–84 ..	2.91	0.62	3.53	26.9
1984–85 ..	2.93	0.73	3.66	27.8
1985–86 ..	2.94	0.56	3.50	26.6

20–श्री जयदीप सिंह बरार–

[उत्तर बुधवार के लिए स्थगित]

सिंचाई विभाग के राज्य कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय समझौता को लागू करने की मांग

21–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग के राज्य कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में 1984 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री की उपस्थिति में कोई

त्रिपक्षीय समझौता हुआ था? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या थीं एवं उसको अब तक लागू न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती के ड्रेनेज खण्ड प्रथम को स्वीकृत धन एवं व्यय में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध जांच कार्यवाही

22–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम, जनपद बस्ती को वित्तीय वर्ष 1984–85, 1985–86 तथा 1986–87 में कुल कितने रुपये प्राप्त हुये और किन-किन मदों में खर्च किये गये? क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियंता एवं अभियंताओं के विरुद्ध बाढ़ कार्यों की शिकायती जांच अधिशासी अभियन्ता श्री मौजी लाल यादव द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती को वित्तीय वर्ष 1984–85, 1985–86 तथा 1986–87 में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त धन तथा व्यय का विवरण निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष का नाम	शीर्षक का नाम	प्राप्त कराया गया धन	खर्च किया गया धन
1984–85	533–बाढ़ कार्य	176 00	169.00
	333–अनुरक्षण	16.50	20.36
	289–केन्द्रीय सहायता ..	59.00	71.23
1985–86	533–बाढ़ कार्य ..	71.65	84.54
	333–अनुरक्षण ..	15.55	21.37
	289–केन्द्रीय सहायता ..	47.60	54.13
1986–87	533–बाढ़ कार्य ..	121.30	119.15
	333–अनुरक्षण ..	48.10	48.96
	289–केन्द्रीय सहायता ..	81.00	140.18

जी हां। श्री मौजी लाल यादव, अधिशासी अभियंता द्वारा की गयी जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्पष्टीकरण मुख्य अभियंता (गण्डक) द्वारा मांगे गये हैं और कुछ शिकायतों के बारे में अधीक्षण अभियंता सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर से आख्या मांगी गयी है। प्रथम दृष्टया जो कार्य अनियमित पाये गये उनमें सम्बन्धित भुगतान भी संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा रोक दिये गये हैं।

23–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या यह सच है कि अधिक गड़बड़ी वाले स्थानों की जांच अधिशासी अभियंता श्री मौजी लाल यादव ने नहीं किया और इन स्थानों पर टी0ए0सी0 द्वारा जांच की गयी थी? यदि हां, तो टी0ए0सी0 द्वारा की गयी जांच पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। मुख्य प्राविधिक परीक्षक सिंचाई विभाग को किसी स्थान विशेष से संबंधित अनियमितताओं की जांच अभिदिष्ट नहीं की गयी थी अपितु व्यक्ति विशेष से प्राप्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच समय-समय पर शासन द्वारा उन्हें सौंपी गयी और तद्नुसार प्रश्नगत खंड की अनियमितताओं से संबंधित जिन शिकायती पत्रों पर प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ के माध्यम से जुलाई 85 से 21 मई 1987 तक जांच करायी गयी है, उनका विवरण संलग्न है चूंकि इन मामलों की जांच प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा करायी जा चुकी थी अतः श्री मौजी लाल यादव अधिशासी अभियंता से इनकी जांच नहीं करायी गयी।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक से प्राप्त विभिन्न जांच आख्याओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का निर्णय ले लिया गया है तथा एक अधिशासी अभियंता के खिलाफ आरोप-पत्र स्वीकृत करके जांच प्रारम्भ कर दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 155 पर)

बाढ़ खण्ड गोरखपुर को स्वीकृत धन एवं व्यय विवरण

24--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ खण्ड, गोरखपुर का वित्तीय वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 में कितने रुपये प्राप्त हुए हैं और कितने-कितने रुपये बाढ़ बचाव कार्य पर, बोल्डरों की आपूर्ति पर, नये बांधों के निर्माण पर और रख-रखाव आदि मदों पर, अब तक किन-किन स्थानों पर खर्च किये गये? क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ खण्ड गोरखपुर में अधिकारीगण कितने दिनों से नियम विरुद्ध यहां पड़े हुए हैं ? क्या यह सही है कि इस खण्ड में बोल्डरों की आपूर्ति बिना धन के पूर्व आवंटन के अनियमित ढंग से ली गयी है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बाढ़ खण्ड गोरखपुर को वित्तीय वर्ष 1983-84 में रु0 149.85 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रु0 159.62 लाख व्यय हुआ । नये बांध के निर्माण में रु0 67.12 लाख रख-रखाव में रु0 13.49 लाख एवं कटाव निरोधक कार्यों में रु0 77.29 लाख का व्यय हुआ। बोल्डर आपूर्ति की धनराशि रु0 34.81 लाख व्यय में सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 1984-85 में रु0 147.44 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रु0 193.57 लाख व्यय हुआ । नये बांध के निर्माण में रु0 68.16 लाख, रख रखाव में रु0 43.86 लाख एवं कटाव निरोधक कार्यों में रु0 81.55 लाख व्यय हुआ । बोल्डर आपूर्ति की धनराशि रु0 40.94 व्यय में सम्मिलित है । वित्तीय वर्ष 1985-86 में रु0 86.30 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रु0 123.49 लाख व्यय हुआ । नये बांध के निर्माण में रु0 17.92 लाख रख-रखाव कार्यों में रु0 39.49 लाख एवं कटाव निरोधक कार्यों में रु0 7.08 लाख व्यय हुआ । बोल्डर आपूर्ति की धनराशि रु0 53.38 लाख व्यय में सम्मिलित है । वित्तीय वर्ष 1986-87 में रु0 258.30 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रु0

254.78 लाख व्यय हुआ । नये बांध के निर्माण में 171.83 लाख, रख रखाव कार्यों में रु0 49.17 लाख एवं कटाव निरोधक कार्यों में रु0 33.78 लाख व्यय हुआ । बोल्डर आपूर्ति की धनराशि रु0 10.37 लाख व्यय में सम्मिलित है।

(1) स्थलों का नाम जिन पर कार्य किये गये का सम्पूर्ण विवरण सिंचाई राज्य मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है। मा0 सदस्य यदि चाहें तो अवलोकन कर सकते हैं ।

(2) बाढ़ खण्ड गोरखपुर में कोई अधिकारी नियम विरुद्ध कार्यरत नहीं है।

(3) बोल्डर की आपूर्ति धन के आवंटन एवं उसके लिए की गई मांग के अनुसार ली गई है। बोल्डर की आपूर्ति नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् ही ली गई है।

सिंचाई सचिव शाखा में बाध्य प्रतीक्षा में रहे सहायक को वेतन का भुगतान

25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सचिव शाखा में प्रवर वर्ग सहायक का एक पद माह अगस्त, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक रिक्त रहा तथा एक प्रवर वर्ग सहायक को उक्त अवधि में उक्त शाखा में बिना तैनाती के वेतन दिया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार शासन के धन का दुरुपयोग करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । उक्त अवधि में एक प्रवर वर्ग सहायक स्थानान्तरण/तैनाती के कारण बाध्य प्रतीक्षा में रहे और तद्नुसार उन्हें वेतन का भुगतान किया गया । अतः उत्तर-दायित्व निर्धारण एवं कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

इलाहाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्र में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा सिंचन कार्य का प्रतिशत

26—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इलाहाबाद मण्डल में कृषि योग्य क्षेत्रफल 20.97 लाख हेक्टेयर है, तथा राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में 14.693 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जो कृषि योग्य क्षेत्रफल का 68.45 प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों (1981-82 से 1985-86) में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल की लगभग निम्नलिखित प्रतिशत क्षेत्रफल में वास्तविक सींच हुई है :—

वर्ष 1981–82	36	प्रतिशत
वर्ष 1982–83	36·15	प्रतिशत
वर्ष 1983–84	36·5	प्रतिशत
वर्ष 1984–85	37	प्रतिशत
वर्ष 1985–86	36·75	प्रतिशत

वाराणसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा सिंचन प्रतिशत की जानकारी की मांग

27—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कुमायूं मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल में राजकीय संकर्मों द्वारा किये गये सिंचन कार्य की जानकारी की मांग

28—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम में कटाव रोकने हेतु प्रोजेक्ट की स्वीकृति

29—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम में कूड़ा नदी के किनारे उसका बड़सर बांध पर नौखनिया गांव के पास वर्ष 86-87 में कूड़ा नदी कटान कर रही थी, जिसको रोकने के लिए ड्रेनेज विभाग ने सितम्बर, अक्टूबर, 86 में कार्य कराया था ? यदि हां, तो कटाव को रोकने के लिये कितने मजदूरों ने काम किया तथा किन-किन प्रकार का सामान कितने रुपये में खरीदा गया ? क्या मजदूरों की मजदूरी तथा सामानों के मूल्य का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस कटाव को रोकने के लिये विभाग ने कोई स्कीम बनायी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। वर्ष 1986-87 में कूड़ा नदी के किनारे उसका–बिल्सर बांध पर ग्राम नौखनिया के पास कूड़ा नदी कटान कर रही थी जिसे रोकने के लिए ड्रेनेज खण्ड बस्ती द्वारा सितम्बर तथा अक्टूबर, 86 में कार्य कराया गया था। माह सितम्बर में 1560 मानव दिवस तथा अक्टूबर में कुल 2080 मानव दिवस लगे थे जिसकी कुल मजदूरी रु0 23,920.00 हुई और झांख, बांस, नारियल, सुतली, गैस, नाव किराया आदि के क्रय एवं प्रबन्ध में रु0 40,417.98 का कार्य कराया गया। मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। सामानों आदि के क्रय एवं प्रबन्ध का भुगतान रु0 7,488.00 दिनांक 20-7-86 को कर दिया गया है शेष रु0 32,929.98 के बीजक प्राप्त हो गये हैं तथा सम्बन्धित उप खण्ड को यह धनराशि दे दी गई है और उनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है। कटाव रोकने के कार्य का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है।

पूर्वी जमुना नहर के आधुनिकीकरण में किये गये व्यय का विवरण

30–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर का वर्तमान आधुनिकीकरण कार्य जो इस समय निर्माणाधीन है, से पूर्व उक्त नहर प्रणाली पर किस अवधि में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या उक्त परियोजना में भी इस नहर की दहन क्षमता जो सन् 1960 में लगभग 1800 क्यूसेक थी, को बढ़ाकर 4000 क्यूसेक करना था परन्तु विभाग की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के फलस्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये थे ? क्या ऐसे परिणाम मौजूदा आधुनिकीकरण के उपरान्त भी सम्भावित हैं ? यदि हां, तो ऐसा न होने देने के लिए विभाग ने क्या ठोस उपाय किये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पूर्वी यमुना नहर के आधुनिकीकरण का कार्य पूर्व में वर्ष 1952-53 से वर्ष 1962-63 की अवधि में कराया गया और उस अवधि में लगभग रु0 61.00 लाख व्यय हुए थे। इस परियोजना के अन्तर्गत केवल पूर्वी यमुना नहर की क्षमता को 2260 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 4000 क्यूसेक्स करना था। इसमें विभाग की कोई दोषपूर्ण प्रणाली नहीं रही तथा व्यय की गई धनराशि के अनुरूप लक्षित परिणाम की उपलब्धि रहीं। वर्तमान आधुनिकीकरण परियोजना प्राक्कलन के अन्तर्गत मुख्य नहर की लाइनिंग, राजवाहों तथा स्केप्स का पुनरोद्धार, तंग व नीचे पुलों को ऊंचा व चौड़ा करने एवं रेगुलेटर्स के आधुनिकीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वर्तमान परियोजना की समाप्ति पर जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद के क्षेत्रों में धान की सींच के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

31–श्री यदुनाथ सिंह–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

32—श्री बेनी बसाद वर्मा—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद इटावा की तहसील विधूना के किसानों, मजदूरों तथा व्यापारियों की मांगों के सम्बन्ध में कथित पत्र

33—श्री औसान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1985 तहसील विधूना, इटावा के किसानों, मजदूरों तथा व्यापारियों की मांगों के संदर्भ में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध न हो सका । इसके लिये माननीय सदस्य से भी अनुरोध किया गया तथा सम्पर्क स्थापित किया गया परन्तु संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हो पाया । अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सहायक अभियन्ताओं हेतु बने आवास को आवंटित करने की मांग

34—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि ओखला में सम्पर्क एवं क्रय अधिकारी का कोई पद है जिसके अधीनस्थ चार सहायक अभियन्ताओं हेतु आवास बने हुए हैं? यदि हां, तो इन आवासों में कौन-कौन अभियन्ता रह रहे हैं और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इन आवासों को अन्य अधिकारियों के लिए आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ओखला आवासों में रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची

35—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि ओखला स्थित आवासों में कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उनके नाम व पते क्या हैं? क्या शासन कालोनी में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सर्वश्री एस0 एस0 पान्डे, चिकित्सा अधिकारी आवास सं0—एफ0 एच0/ए-2, ओखला, पी0 पी0 सक्सेना, खंडीय लेखाकार, आवास सं0—एन/बी-9, ओखला, भगत सिंह राजपूत, अवर अभियन्ता (सिविल), आवास सं0—एन/बी-2, ओखला, गंगा शरण शर्मा, अवर अभियन्ता, (सिविल), एच/ए-1 ओखला, नूर मोहम्मद, अवर अभियन्ता (यांत्रिक), आवास सं0—एन/बी-6, ओखला तथा श्री चिरंजी लाल, सेवा निवृत्त चालक, आवास सं0—एच0 डब्लू/13 ओखला ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है।

कालोनी में रहने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची उपलब्ध है। मा0 सदस्य राज्य मंत्री सिंचाई के कक्ष में उसे देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, बाराबंकी द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली का कार्य

36–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले दस वर्षों में बाराबंकी जनपद में उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा कितनी लघु, औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया तथा वर्तमान समय में उनमें से कितनी इकाइयां उत्पादन एवं बिक्री का कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितनी इकाइयां ऐसी हैं जिनसे ऋण की वसूली नहीं हुई है ? उनके नाम क्या हैं तथा ऋण वसूली के क्या प्रयास किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जनपद बाराबंकी में पिछले 10 वर्षों में 45 लघु उद्योगों को ऋण स्वीकृत तथा वितरित किया गया। उनमें से वर्तमान में 15 इकाइयां उत्पादन एवं बिक्री का कार्य कर रही हैं तथा 16 इकाइयां बन्द पड़ी हैं शेष 14 इकाइयों में स्थापना कार्य प्रगति पर है। उक्त 45 इकाइयों में से 21 इकाइयों से ऋण की वसूली नहीं हुई है। उक्त 21 इकाइयों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध किये गये वसूली के प्रयासों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 156-157)

वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट (वाल्मी) की इमारत को बिना नक्शा पास कराये बनाया जाना

37–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि विभाग ने वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट (वाल्मी) की इमारत बिना नक्शा पास कराये आखला में (प्लाट नं0 67–68) निर्मित करा दी है जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे का निर्माण करने से रोक दिया है और अब सिंचाई विभाग इस इंस्टीट्यूट को दूसरे स्थान पर निर्मित कर रहा है ? यदि हां, तो शासन ने निर्माण कर कितना व्यय कर दिया है और इस कार्य में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? शासन ने उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक कांच विशेषज्ञ कार्यालय, फिरोजाबाद जिला आगरा पर विकलांग समिति द्वारा धरना एवं आन्दोलन

38–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि फिरोजाबाद जिला आगरा में सहायक कांच विशेषज्ञ कार्यालय पर विकलांग कल्याण समिति फिरोजाबाद द्वारा वहां विकलांगों की किसी कथित समिति को कोयला बेचने का बड़ा लाइसेंस दिलवाने तथा उसमें व्याप्त

भ्रष्टाचार के विरोध स्वरूप दिनांक 23-4-87 को तथा उसके आस-पास कई दिन तक विकलांगों ने धरना व आन्दोलन किया था ? यदि हां, तो आन्दोलनकारियों की मांगे क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

आन्दोलनकारियों की मुख्य मांग यह थी कि मे0 इण्डस्ट्रियल कन्जयूमर्स गुड्स एसोसियेशन फर्जी है अतः इन्हें कोयले का आवंटन न किया जाय । साथ ही उक्त एसोसियेशन द्वारा अर्जित लाभ में से उनको भी हिस्सा मिलना चाहिये ।

मामले की जांच उद्योग निदेशक से कराई जा रही है ।

सिंचाई कार्यशाला मण्डल, कानपुर में कार्य प्रभारित औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर नियुक्ति

39–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यशाला मण्डल कानपुर द्वारा गठित कमेटी में लिए गये साक्षात्कार दिनांक 14-3-86 के आधार पर लिपिकीय पदों पर चयनित कार्य प्रभावित औद्योगिक अधिष्ठान एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई कार्यशाला मण्डल, कानपुर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 14-3-86 एवं 28-6-86 को कार्यप्रभारित औद्योगिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/प्रोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर की जा चुकी है ।

ब्लाक ग्रामों जिला सुल्तानपुर के कुछ कच्चे पक्के कार्यों में फर्जी भुगतान की शिकायत

40–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको सम्बोधित तथा अधीक्षण अभियन्ता 6वां वृत्त लखनऊ व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड 3 सुल्तानपुर को पृष्ठांकित श्री तेज भान सिंह भूतपूर्व विधायक ग्राम व पो0 अचलपुर का दिनांक 18-3-86 का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें ब्लाक जामो के कुछ कच्चे पक्के कार्यों में गम्भीर अनियमितता फर्जी भुगतान आदि की शिकायत की गई थी, प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र में जांच के समय शिकायतकर्ता ने स्वयं की उपस्थित तथा वर्षा के पूर्व ही जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच शिकायत कर्ता के अनुसार की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । शिकायतकर्ता ने मौके पर जांच के समय उपस्थित होने की मांग की थी लेकिन वर्षा से पूर्व जांच की मांग नहीं कि थी । शिकायतकर्ता जांच के लिए दिनांक 11-2-87 को उपस्थित हुये और उन्होंने श्री उदय भान सिंह व श्री त्रिभुवन सिंह प्रधान ग्राम सभा मवई को जांच में उपस्थित होने के लिए अधिकृत किया । इन दोनों प्रतिनिधियों के समक्ष शिकायतों की जांच दिनांक 19-2-87 को की गई, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

सई नदी पर ग्राम भटगंवा पाण्डे (लटौआ) हेतु पम्प नहर बनाने के संबंध में पत्र

41—श्री शारदा प्रताप —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भटगंवा पाण्डे (लटौआ) में लगे राजकीय नलकूप संख्या 87 के फेल हो जाने के कारण उक्त गांवों की करीब 1500 एकड़ भूमि बगैर सिंचाई के पड़ी हुई है तथा उक्त गांवों की भूमि की सिंचाई के लिए दिनांक 5 नवम्बर, 86 को प्रश्नकर्ता द्वारा सई नदी पर पम्प नहर बनाये जाने हेतु एक पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस क्षेत्र में सिंचाई योग्य क्षेत्र के लिए 25 क्यूसेक्स से कम की नहर बनने की सम्भावना हो सकती है परन्तु वर्तमान नीति के अनुसार 25 क्यूसेक्स से कम की नहर बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम लखनावली एवं बेगमपुर, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद का बाढ़ से बचाव

42—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी में हिण्डन नदी पर प्रस्तावित तटबन्ध के बाहर गांव लखनावली एवं बेगमपुर को हिन्डन नदी की ओर छोड़कर तटबन्ध बनाना शासन के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि ग्राम लखनावली एवं बेगमपुर के समाप्त होने का खतरा है ? यदि हां, तो क्या शासन इन गांवों को नष्ट होने से बचाने के लिये कोई स्थायी हल खोजेगा ? यदि नहीं, तो क्या इन गांवों को तटबन्ध के अंदर नहीं रखा जा सकता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रस्तावित अलाबांस बांध के निर्माण के उपरान्त जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम लखनावली एवं बेगमपुर हिन्डन नदी और बांध के बीच स्थित रहेंगे अतः यह गांव नदी की बाढ़ से प्रभावित रहेंगे । तकनीकी दृष्टि से इन ग्रामों को विस्तापित करके प्रस्तावित आलाबांध के पीछे अन्य ऊंचे स्थानों पर बसाना ही इस समस्या का स्थायी निदान होगा जिसके लिए राजस्व विभाग को लिखा गया है ।

बांध की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांध को नदी के तट से कम से कम 250 कि0मी0 की दूरी पर बनाना आवश्यक है जबकि प्रभावित ग्राम इस दूरी के अन्दर स्थित हैं ।

बलिया जनपद में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिपिक एवं निरीक्षकों का स्थानान्तरण

43—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत आपूर्ति कार्यालय के संबंधित लिपिक व निरीक्षक तथा जनपद के मार्केटिंग निरीक्षकों की सांठ-गांठ से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कार्ड पर सामान नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार 3 वर्ष से अधिक दिनों से कार्यरत आपूर्ति व विपणन कर्मचारियों को स्थानान्तरित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शासन की मनसा के अनुसार लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत निरीक्षकों को जिले से बाहर स्थानान्तरण हेतु आयुक्त वाराणसी मंडल को निर्देश दे दिये गये हैं ।

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के काउन्टर बदलने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी बलिया को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

जिला आजमगढ़ के ग्राम देवारा महुला व सहबदिया की जमीन घाघरा नदी में बह जाना

44–श्री राम जनम

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ग्राम देवारा महुला व ग्राम सहबदिया की कितनी जमीन घाघरा नदी में अब तक विलीन हो चुकी है ? क्या यह सही है कि महुला बढ़वाल बांध पर व्यय हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 18 करोड़ रुपया दिया गया था जिसे अन्यत्र खर्च कर दिया गया है ? जिसके कारण कार्य नहीं होगा ? दिनांक 24-2-87 को जो मुख्य अभियन्ताओं की कमेटी महुली गयी थी उस कमेटी द्वारा पता चला है कि सरकार रुपया देने में असमर्थ है जिससे कार्य नहीं हो सकता ? यदि हां, तो क्यों ? इस वर्ष कितना रुपया उक्त बांध पर खर्च किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

तहसीलदार सगड़ी द्वारा दिए गये विवरण अनुसार ग्राम देवरा महुला, सहब दिया, सुल्तानपुर एवं महुला की 663.8 एकड़ भूमि नदी में विलीन हो चुकी है ।

जी नहीं ।

दिनांक 24-2-87 को उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने जो संस्तुति की उसके अनुसार सभी कार्य बाढ़ 1987 के पूर्व कर दिए गए । लगभग 40 लाख रु0 के कार्य वर्ष 1987-88 में किए गए हैं ।

ग्राम अमौनी, तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी में नलकूप सर्वेक्षण

45–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 30-5-85 को क्षेत्रीय विधायक श्री मरगूब अहमद खां का पत्र ग्राम अमौनी, डा0 रामपुर जनक जिला बाराबंकी के हरिजनों के पत्र के साथ सिंचाई के वास्ते एक ट्यूबवेल शासन लगाने के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम अमौनी में ट्यूबवेल लगवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

क्षेत्रीय विधायक श्री मरगूब अहमद खां का कोई पत्र उपलब्ध नहीं है किन्तु इस संबंध में श्री बंशीलाल ग्राम अमौनी पो0 रामपुर जनक तहसील राम सनेहीघाट जनपद बाराबंकी एवं श्री मयंकर सिंह एडवोकेट विधायक के पत्र प्राप्त हुए हैं ।

उक्त क्षेत्र का प्रारंभिक सर्वेक्षण कराने के उपरान्त यह पाया गया कि पर्याप्त एरिया उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में नलकूप नहीं लग सकता है ।

जिला आजमगढ़ में दोहरीघाट कैनाल की उपशाखाओं में साईफन का निर्माण

46–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में दोहरीघाट कैनाल की उप शाखा फतेहपुर माईनर व सरायनेश माइनर व मधुबन माइनर व सूर्यपुर माइनर पर साईफन की समस्या है ? यदि हां, तो साईफन बनवाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, इन माइनरों पर कुछ अतिरिक्त साइफनों की आवश्यकता है । यह माइनर मूल परियोजना के साथ बनी थी । इन पर स्वीकृत लम्ब-छिन्नक के अनुसार साइफन निर्माण हो चुका है । अतिरिक्त साइफनों हेतु जिला योजना में धन की मांग की जा रही है । धन प्राप्ति पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जिला आजमगढ़ के दोहरीघाट विकास खण्ड में ताल पटाक्ष ड्रेन की खुदाई व सफाई

47–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम गुलौरी विकास खण्ड दोहरीघाट जनपद आजमगढ़ में ताल पताछ ड्रेन की खुदाई न सफाई के संबंध में प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 24-2-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । तालपटाक्ष नाले की क्षमता वृद्धि हेतु भारी सफाई की आवश्यकता है । समिति संसाधनों के परिपेक्ष्य में सफाई कार्य धनाभाव के कारण नहीं हो सका है । अब सूखा राहत में इस कार्य हेतु धन की व्यवस्था होने पर वर्ष 1988 में बाढ़ के पूर्व सफाई कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

उद्योग निदेशालय कानपुर द्वारा पंजीकृत इकाइयों से ही निर्धारित मानकों के अनुरूप टेण्डर

48–श्री मैनेजर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उद्योग निदेशालय कानपुर द्वारा मई जून 1987 में आई0 एस0 के अनुसार लकड़ी/स्टील फर्नीचर के टेण्डर मांगे गये हैं ? यदि हां, तो किन पंजीकृत इकाइयों ने आई0 एस0 के अनुसार टेण्डर दिये हैं उनके पास अपने यंत्र एवं कार्यशालायें हैं ? यदि नहीं, तो ऐसी इकाईयों के टेण्डर स्वीकार करने का क्या औचित्य है ? यदि हां, तो उन कार्यशालाओं/यंत्र का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा और कब तक किया गया ? क्या यह सही है कि आई0 एस0 स्पेसीफिकेशन के अनुसार उपरोक्त टेण्डर मांगे जाने पर नमूने बदल गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन टेण्डर देने वालों से नमूने भी मांगे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी हां ।

जी हां । इकाईयों का पंजीकरण एस0पी0 एस0 या एन0 एस आई0 सी0/डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0 के अन्तर्गत तभी किया जाता है जबकि उनके पास आवश्यक यंत्र एवं कार्य-शालायें उपलब्ध होती हैं अतः जिन पंजीकृत इकाइयों ने आई0 एस0 के अनुसार टेण्डर दिये

है सामान्यतः उनको ही इस दर अनुबन्ध के अन्तर्गत लेने पर विचार किया जायेगा । प्रश्न नहीं उठता ।

समय-समय पर जिले के सम्बन्धित सामान्य प्रबन्धकों द्वारा उनकी जांच की जाती है ।

नमूने बदलने या न बदलने का प्रश्न नहीं है क्योंकि इससे पूर्व जारी दर अनुबन्ध में भी कोई नमूने नहीं मांगे गये थे बल्कि निर्धारित मानकों के अनुरूप ही वस्तुओं के दर मांगे जाते थे और अब जो मानक निर्धारित किये गये हैं, के अनुरूप ही वस्तुओं के भाव मांगे गये हैं । उपरोक्त से स्पष्ट है ।

अपट्रान कलर्ड पिक्चर ट्यूब विभाग में असिस्टेंट मैनेजर पद पर नियुक्ति के संबंध में पूछ-ताछ

49—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिल्ली स्थित अपट्रान कलर्ड पिक्चर ट्यूब विभाग से दिनांक 10-5-87 को असिस्टेंट मैनेजर (पर्सनल एवं एडमिनिस्ट्रेशन) के रिक्त पद, विज्ञाप्ति दिनांक 28-4-87 की नियुक्ति के संबंध में पंजीकृत डाक द्वारा पर्सनल मैनेजर से सूचना मांगी थी जो प्रश्नकर्ता को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लि0 को मा0 विधायक श्री अफसर यू0 अहमद का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 19-5-87 को प्राप्त नहीं हुआ परन्तु उनका उसी दिनांक का साधारण पत्र दिनांक 21-5-87 को प्राप्त हुआ । दिनांक 22 मई 87 को श्री अहमद ने दूरभाष पर प्रबन्धक (पी0 एण्ड ए0) अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लि0 से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित किया तथा उन्होंने एक अभ्यर्थी की नियुक्ति के संबंध में पूछ-ताछ की । प्रबन्धक (पी0 एण्ड ए0) ने उनके पत्र में लिखित बातों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी ।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री अहमद को उनके उपरि-संदर्भित पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा गया ।

अपट्रान कलर्ड पिक्चर ट्यूब विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के रिक्त पद पर नियुक्ति

50—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली स्थित अपट्रान कलर्ड पिक्चर ट्यूब विभाग में दिनांक 28-4-87 को एक पद असिस्टेंट मैनेजर (पर्सनल एवं एडमिनिस्ट्रेशन) के रिक्त स्थान हेतु विज्ञापन अंग्रेजी के समाचार पत्र दि हिन्दुस्तान टाइम्स में किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर नियुक्ति कर ली गयी है ? यदि हां, तो नियुक्ति किस योग्यता के आधार पर की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त पद पर प्रोफेसनल योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन समिति की संस्तुति के अनुसार नियुक्ति कर ली गई है ।

सिंचाई विभाग, जौनपुर में आवंटित धनराशि एवं कार्यों का विवरण

51–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में वित्तीय वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक सिंचाई विभाग को कितनी-कितनी धनराशि वर्षवार दी गई है और विभाग द्वारा उक्त अवधि में कौन-कौन से कार्य जनपद में कराये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, महानगर, लखनऊ के कार्यालय अधीक्षक श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव के आस्तियों-दायित्वों की जांच

52–श्री परागी लाल चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि0 महानगर लखनऊ के कार्यालय अधीक्षक (श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव) ने उक्त कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय तथा कार्यमुक्त होते समय अपनी अस्तियों एवं दायित्वों का विवरण शासन को उपलब्ध कराया था ? यदि नहीं, तो इस हेतु उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उनके ज्ञात आर्थिक स्रोतों को देखते हुए उनके उच्च स्तर के रहन-सहन की गोपनीय जांच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव मूलतः सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं और वे उत्तर प्रदेश नलकूप निगम में दिनांक 30-5-84 से 3-9-86 तक प्रतिनियुक्ति पर रहे । जहां तक गोपनीय जाच कराये जाने का प्रश्न है, इनके विरुद्ध निगम में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ के कार्यालय अधीक्षक श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्ध नलकूप मण्डल, झांसी में पदभार न ग्रहण करने सम्बन्धी अनुशासनात्मक कार्यवाही

53–श्री परागी लाल चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6774/ई-4/2बी-228 मिस/नलकूप निगम लखनऊ दिनांक 26-8-86 द्वारा की गयी स्थापना के आधार पर किसी कार्यालय अधीक्षक को उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि0 लखनऊ से कार्यालय अधीक्षण अभियंता नलकूप मण्डल झांसी को स्थानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय अधीक्षक ने झांसी में कार्यभार ग्रहण किया ? यदि नहीं, तो आदेशों की अवहेलना के आरोप में उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । उ0 प्र0 नलकूप निगम लि0 लखनऊ से वापसी पर श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) की पदस्थापना कार्यालय ज्ञाप संख्या-6774/ई-4/7बी-228 मिस/नलकूप निगम दिनांक 26 अगस्त, 1986 द्वारा नलकूप मण्डल झांसी में की गई थी ।

अस्वस्थता के कारण श्री श्रीवास्तव ने झांसी में कार्य भार ग्रहण नहीं किया । उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र निगम, जूनियर इंजीनियर, शारदा सहायक खण्ड, 49 के विरुद्ध अनियमितताओं एवं आरोपों की गोपनीय जांच

54–श्री परागी लाल चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सईदुज्जमा विधायक का कोई पत्र दिनांक 16-4-87 सिंचाई सचिव के कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें शारदा सहायक खण्ड 49 में कार्यरत किसी जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध अनियमितताओं/आरोपों की गोपनीय जांच कराने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उक्त आरोप क्या थे तथा गोपनीय जांच के आधार पर संबंधित जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । श्री सुरेन्द्र निगम अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत विषयक पत्र प्राप्त हुआ जिसे मुख्य अभियन्ता को जांचोपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भेजा गया।

श्री नूर अहमद, कार्यालय लिपिक, शारदा सहायक खण्ड 36, जौनपुर के विरुद्ध स्टेशनरी क्रय में अनियमितताओं की जांच

55–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड 36 कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री नूर अहमद ने सन् 1985 में मेसर्स एन0 के0 पेपर ट्रेडर्स शाह मदार जौनपुर से स्टेशनरी अधिक मूल्य पर खरीद कर फर्जी बिल एवं रसीदों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया है ? क्या उक्त स्टेशनरी खण्डीय कार्यालय को आवंटित की गयी है ? क्या रजिस्टर का प्रतिमाह अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड 36 जौनपुर द्वारा निरीक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा सहायक खण्ड 36 जौनपुर के कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री नूर अहमद ने सन् 1985 में मेसर्स एन0 के0 पेपर ट्रेडर्स शाह मदार जौनपुर से कोई भी स्टेशनरी क्रय नहीं किया है और न ही उनके द्वारा कोई बिल एवं रसीद के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है । आवश्यकतानुसार स्टेशनरी रजिस्टर का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाता है ।

किराया नियंत्रण अधिकरण का गठन करने की मांग

56–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मण्डलीय सहायक खाद्य आयुक्तों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण निष्कासन अधिनियम 1972 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत उनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय किराया नियंत्रण अधिकरण गठित करने के लिए भूतपूर्व स्व0 खाद्य मंत्री प्रोफेसर बासुदेव सिंह जी ने खाद्य सचिव को कब और क्या लिखित निर्देश दिये थे ? खाद्य सचिव ने उस पर क्या कार्यवाही की ? क्या इस प्रकार के अधिकरण का गठन किया गया ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि गठित किया जायगा, तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह–

भूतपूर्व खाद्य मंत्री स्व0 प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने खाद्य सचिव को 23-5-1985 को यह लिखित सुझाव दिया था कि रेन्ट कन्ट्रोल के हजारों अनिर्णीत मुकदमों को निपटाने का कार्य मण्डलों में नियुक्त खाद्य विभाग के सहायक आयुक्तों को सौंपना उचित होगा, जो सप्ताह में दो नियत दिन इन वादों को निपटा सकते हैं। उनको क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों की भांति विभागाध्यक्ष बनाकर और सक्रिय और प्रभावी रूप में कार्यरत किया जाना है । उन्होंने इस विषय में परीक्षणोपरान्त शीघ्र आख्या की अपेक्षा की थी।

सम्यक परीक्षणोंपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसा ट्रिब्यूनल स्थापित करने तथा इसके लिए किसी सहायक आयुक्त की सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इस प्रकरण को समाप्त किये जाने पर मा0 खाद्य मंत्री स्व0 श्री वासुदेव सिंह का अनुमोदन दिनांक 14-6-85 को प्राप्त कर लिया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ट्रिब्यूनल स्थापित करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

पब्लिक ट्यूबवेल, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता स्वर्गीय श्री अवध बिहारी मिश्रा के आश्रितों को सम्पूर्ण देयों का भुगतान

57–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियंता श्री अवध बिहारी सिंह पब्लिक ट्यूबवेल फैजाबाद की मृत्यु जीप दुर्घटना में हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनके वारिसों को उनके संबंधित सभी देयों के भुगतान कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड, फैजाबाद में श्री अवध बिहारी सिंह नाम के अधिशासी अभियंता कार्यरत नहीं थे अपितु वहां पर श्री अवध बिहारी मिश्रा, अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु जीप दुर्घटना में हुयी थी । स्वर्गीय श्री मिश्रा को देय ग्रेच्युटी के 3/4 भाग को छोड़कर सभी देयों का भुगतान उनके उत्तराधिकारियों को किया जा चुका है ।

58–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

जिला सहारनपुर के ब्लाक बलिया खेड़ी के नया बांस उर्फ नया गांव नाले की खुदाई पर व्यय

59–श्री राम शरण दास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलिया खेड़ी में बहने वाले नया बांस, उर्फ नया गांव के खाले (नाला) की खुदाई 1 जनवरी, 1987 से 31 अगस्त, 1987 के बीच करा दी गई है ? यदि हां, तो उस पर कितने धन का खर्च आया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । नाले की खुदाई पर 10,516 रुपया व्यय हुआ ।

60—श्री शारदानन्द अंचल—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

सीयर क्षेत्र, जिला बलिया में ड्रेनेज की जांच

61—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास क्षेत्र सीयर व नगरा में तालों व नालों के जल निकास के लिए प्रश्नकर्ता ने कितने पत्र 1985-86 86-87 में शासन को लिखा है लेकिन शासन से निर्देश जाने के बावजूद उक्त क्षेत्र के सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता व अवर अभियन्ता के षड़यंत्र के कारण प्राक्कलन के मुताबिक कार्य नहीं होता जिससे जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ? क्या सरकार जनहित में सीयर क्षेत्र के ड्रेनेज प्रकरण की जांच कराते हुए इस समस्या का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

62—श्री बलराम यादव—

[उसे बुधवार के लिए स्थगित]

ग्राम बरवलिया के लिए सिंचाई की सुविधा

63—श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के ग्राम बरवलिया में पम्प नहर का निर्माण हुआ था किन्तु वास्तव में यह पम्प नहर मीनापुर में बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ग्राम बरवलिया के कास्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निकट भविष्य में अन्य पम्प नहर का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय, सिंचाई विभाग लखनऊ में गायब पत्रावलियों की जांच

64—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि अध्याप्ति निदेशालय, सिंचाई विभाग लखनऊ के किसी लिपिक द्वारा 438/82, 439/82, 441/82, 442/82 जो कि बिहारीपुर माइनर से संबंधित एवं 445/83 फतेहपुर माइनर 506/86 जौनपुर छदान माइनर से संबंधित एवं 445/83 फतेहपुर माइनर 506/86 जौनपुर छदान माइनर व 520/86 गोरखपुर, नलकूप संख्या 254 कम्पाउण्ड से संबंधित पत्रावलियां गायब किए जाने के संबंध में माह अगस्त, 1987 में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिंचाई खण्ड उन्नाव के नरीचक रजबहा की पुलिया के ध्वस्त होने की जांच

65—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि सिंचाई खण्ड उन्नाव के नरीचक रजबहा की पुलिया अपने निर्माण के तीन वर्ष के भीतर ही ध्वस्त हो गयी है ? क्या इस संबंध में स्थानीय अवर अभियन्ता ने पुलिया ध्वस्त हो जाने के कारण बताये हैं? यदि हां, तो वह कारण क्या है और इसी प्रकरण में मा0 राज्य मंत्री सिंचाई को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-5-87 जिसकी प्राप्ति मा0 मंत्री जी ने पत्र संख्या 972/यू0एस0एम0/87 दिनांक 20-5-87 द्वारा की है, पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुलिया का निर्माण वर्ष 1982-83 में कराया गया था जो दिनांक 8-5-87 को टूटी ।

जी हां, स्थानीय अवर अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार सामान से लदे एक ट्रक के पुलिया से तेजी से निकलने के प्रयास में यह घटना हुई ।

इस घटना की जांच के लिए एक जांच समिति जून, 1987 में बनायी गयी थी । इस निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की जांच सार्वजनिक निर्याण विभाग की प्रयोगशाला में कराई जा रही है ।

जनपद देहरादून में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों के टेण्डर स्वीकृति में कथित विलम्ब

66—श्री हर्षवर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 20 अगस्त, 88 का पत्र जो देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों की निविदाओं को स्वीकार करने में अनावशयक विलम्ब के कारण लगभग 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के तथ्य क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उ0 प्र0 के सहकारी कताई सिविंग मिलों के चेयरमैनों द्वारा सहकारी अधिनियमों की कथित उपेक्षा

67—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कितनी सहकारी कताई सिविंग मिल हैं तथा उनके चेयरमैन क्या राजनैतिक व्यक्ति हैं एवं उनका नाम क्या है ? क्या शासन को यह जानकारी है कि सिविंग मिल के कुछ चेयरमैन मिल के अधिनियमों, बाइलाज के विरुद्ध जनहित में प्रशासन एवं मिल की नीतियों की उपेक्षा कर लखनऊ में अपना कार्यालय एवं आवास बनाये हैं जिस पर मिल का अतिरिक्त व्यय आवास गाड़ी में डीजल एवं अन्य व्यय प्रतिमाह खर्च हो रहा है ? यदि हां, तो कितना?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में 11 मिलें कार्यरत हैं । केवल सहकारी कताई मिल लि0, फतेहपुर के अध्यक्ष राजनैतिक व्यक्ति हैं और इनका नाम श्री राम लखन दुबे है। सहकारी अधिनियम एवं बाईलाज की उपेक्षा करके कोई कार्यालय एवं आवास लखनऊ में नहीं बनाया गया है बल्कि मिल के हित में प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार एक शिविर कार्यालय दारुलशफा स्थित "ए" ब्लाक के कमरा नं0–185 में स्थापित किया गया है। शिविर कार्यालय की स्थापना से मिल पर पड़ने वाला मासिक व्यय निम्नवत् है :––

1–आवास का किराया (विद्युत व्यय को मिलाकर)	275/- रु0
2–चपरासी एवं लिपिक	1100/- रु0
3–पेट्रोल एवं कार का रखरखाव (औसतन व्यय)	507/- रु0

उक्त के अलावा कार्यालय की साज-सज्जा पर रु0 12,805/- का अनावर्तक व्यय हुआ है ।

पशु पालन विभाग में सहायक परियोजना अधिकारी का श्रेणी–2 स्तर का सृजित पद

68–श्री बलराम यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में सहायक परियोजना अधिकारी पशुपालन के पद का सृजन करते समय इस पद को किन पदों के समकक्ष तथा किन पदों से उच्च श्रेणी का दर्शा कर नियुक्ति विभाग एवं वित्त विभाग से स्वीकृति ली गयी है ? इस पद का परमोशन पद क्या है ? क्या स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति करते समय इसका ध्यान रखा जाता है ?

श्री हुकुम सिंह–

पशुपालन विभाग में सहायक परियोजना अधिकारी के पद विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रेणी–2 स्तर के सृजित किए गए हैं ।

इस पद का प्रमोशन पद श्रेणी–1 है ।

जी हां ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये राशन कार्डों को बनाने की व्यवस्था

69–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या खाद्य और रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या और पुराने राशनकार्डों के भारी मात्रा में गायब होने और पुराने कार्डों के नष्ट होने के कारण नये कार्डों के दिये जाने की क्या व्यवस्था है ? क्या जनपद देवरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में नये राशन कार्डों के न बनाये जाने से वितरण की असुविधा को देखते हुए प्रत्येक गांव में नये राशन कार्ड बनाये जाने के लिए सरकार क्या जिला प्रशासन को आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समस्त परिवारों को, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं अथवा जिनके राशन कार्ड गायब हो गये हैं या पुराने होने के कारण नष्ट हो गये हैं, को नये राशन कार्ड उनकी प्रार्थना पर जांचोपरान्त जारी करने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड के वितरण का कार्य सम्पन्न कराने के लिये खण्ड विकास अधिकारियों को इसका दायित्व सौंपा गया है।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर राशन कार्ड वितरित कराने के संबंध में शासन द्वारा पहले ही आदेश दिये गये हैं, जिसके अन्तर्गत देवरिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती में अनुरेखकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत

70–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती में कार्यरत अनुरेखकों का वर्ष 1980 से बकाया वेतन बढ़ोत्तरी के एरियर का भुगतान अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती में कार्यरत अनुरेखकों को समयमान वेतनमान नवम्बर, 1987 में स्वीकृत कर दिया गया है जिसके कारण उन्हें अभी एरियर का भुगतान नहीं दिया जा सका है।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती में अनुरेखकों को समान वेतन

71–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती में दो अनुरेखक कार्यरत हैं जिनमें कनिष्ठ अनुरेखक को वरिष्ठ अनुरेखक से अधिक वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उक्त खण्ड में दो अनुरेखक कार्यरत हैं। अब दोनों का वेतन निर्धारण उपरोक्त समान हो गया है।

कनिष्ठ अनुरेखक को वरिष्ठ अनुरेखक से अधिक वेतन नहीं दिया जा रहा है। विलम्ब हेतु दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत लगाये गये राजकीय नलकूपों की स्थिति

72–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद के अंतर्गत स्थित विकास क्षेत्र हरिगटनगंज अमानीगंज (खण्डासा) एवं मिलकीपुर में वर्ष 1980 से दिसम्बर 86 तक कितने राजकीय नलकूप किन-किन गांवों में कब-कब लगाये गये और

प्रत्येक को अलग-अलग अब तक कितनी-कितनी लम्बी कच्ची पक्की गूलें निर्मित की गयी हैं तथा उनके द्वारा वर्षवार निर्धारित सिंचन क्षमता के विरुद्ध कितने क्षेत्रफलों की सिंचाई की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विवरण संलग्न–1 पर है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 158-159 पर)

अधिशासी अभियन्ता गंगा नहर खण्ड, अलीगढ़ द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

73–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता गंगा नहर खण्ड अलीगढ़ द्वारा वर्ष 84-85 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत लगभग आठ लाख रुपये का कार्य बिना पूर्वानुमति के कराया गया था ? यदि हां, तो इस योजना में इनके द्वारा कराये गये कार्यों के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराकर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ द्वारा रुपया–7.72 लाख के ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि शासन द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट में नहीं थे, और न ही इन कार्यों को कराने की कोई पूर्व अनुमति शासन से प्राप्त की गई ।

प्रश्नगत अधिशासी अभियन्ता को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र प्रमुख अभियन्ता से मांगे गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

74–श्री सुखपाल पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों की आबादी को यमुना नदी के कटाव से सुरक्षा की योजना

75–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि यमुना हिन्डन दोआब बांध के किनारे बसे बुलन्दशहर जिले के याकूतपुर डेरी एवं जिला तिलवाड़ा ग्राम के पास यमुना नदी तेजी से कटाव कर रही है तथा इन गांवों की सुरक्षा अत्यन्त खतरे में है? यदि हां, तो इस कटाव को रोकने के लिए शासन के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बुलन्दशहर जिले के याकूतपुर व डेरी ग्रामों की आबादी तथा यमुना नदी के बीच यमुना–हिन्डन दोआब बांध बना हुआ है। यद्यपि बाढ़ के समय नदी की धारा से नदी के बायें किनारे पर कटाव होता है परन्तु अभी तक बांध और बांध के पीछे बसे उक्त ग्रामों की आबादी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है ।

तिलवाड़ी ग्राम हिन्डन नदी के बायें किनारे पर बसा है अतः आबादी यमुना नदी से प्रभावित नहीं है।

किसी भी ग्राम की भूमि को कटाव से बचाने के लिए कोई कटाव निरोधक कार्य विचाराधीन नहीं है।

बुलन्दशहर के ग्राम चौहड़पुर के निकट एक पुल निर्माण की मांग

76—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में काट स्केप के ट्रेल चैनेल में कासना स्थित आउटफाल के नीचे ग्राम चौहड़पुर के निकट एक लकड़ी का पुल बना हुआ था जिसमें ग्रामीणों का आना जाना था ? क्या यह पुल सन् 1984 में टूट गया? यदि हां, तो क्या उस पर पक्का पुल बना दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला बुलन्दशहर में गंगा नहर की मांट शाखा के काट स्केप की टेल चैनल में आउट फाल के नीचे ग्राम चौहड़पुर के निकट, विभाग द्वारा अलाबांस बांध के सर्वेक्षण कार्य हेतु एक लकड़ी का पुल, वर्ष 1982-83 में बनाया गया था जिसे ग्रामीण भी प्रयोग करने लगे थे ।

पुल की लकड़ी गलने और कमजोर होने के कारण वर्ष 1986 (वर्ष 1984 नहीं) की बाढ़ में पुल गिर गया ।

जी नहीं, क्योंकि अलाबांस बांध का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, उक्त स्थान पर पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर के कतिपय ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

77—श्री राम शरण दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 100 नकुड़ ग्रुप उप खण्ड तृतीय नकुड़ नलकूप खण्ड, सहारनपुर के लिए सर्विस रोड एवं नाली के लिए ग्राम रादौर एवं कोला खेड़ी के कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ग्राम रादौर एवं कोलाखेड़ी के किसानों को उनके भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम रादौर व कोलाखेड़ी के कृषकों की भूमि पर सर्विसे रोड एवं नाली व पम्प गृह बनाने हेतु भूमि ली गयी थी ।

पम्प गृह की भूमि जिसकी मात्रा 0.129 एकड़ है का मुआवजा दिया जा चुका है। सर्विस रोड व नाली की भूमि का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है।

सर्विस रोड एवं नाली के भूअध्यापित प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर को भेज दिये गये हैं भूमि अध्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर मुआवजा दिया जाएगा ।

द्वादश मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ में अवर अभियन्ता अधिष्ठान से गायब पत्रावलियों की जांच

78—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री के संज्ञान में है कि द्वादश मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ में अवर अभियन्ता अधिष्ठान एवं जांच से सम्बन्धित कुछ पत्रावलियां गायब हो गयी थीं और उनमें से कुछ पत्रावलियां गायब होने के पश्चात् लगभग दो माह बाद मिल भी गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रावलियां गायब होने के पश्चात् कार्यालय में कहां प्राप्त हुईं ? क्या यह सही है कि उक्त पत्रावलियों को गायब किये जाने में कार्यालय अधीक्षक का हाथ होने की किसी सहायक ने लिखित रूप में शिकायत भी की है? यदि हां, तो कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, द्वादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ में अवर अभियन्ता अधिष्ठान से सम्बन्धित तीन एवं जांच से सम्बन्धित एक पत्रावली गायब होने की सूचना सम्बन्धित सहायक द्वारा कार्यालय अधीक्षक, द्वादशम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ को दी गयी थी? अवर अभियन्ता अधिष्ठान से सम्बन्धित एक पत्रावली सम्बन्धित लिपिक को उसी की पत्रावलियों में पांच माह बाद वहां मिलीं । पत्रावलियों के गायब होने में कार्यालय अधीक्षक के हाथ होने के सम्बन्ध में एक सहायक ने लिखित रूप से अधीक्षण अभियन्ता, द्वादशम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ को शिकायत की है। इस प्रकरण में जांच की जा रही है।

उ0 प्र0 मिल्क डेरी फेडरेशन लखनऊ में जनरल मैनेजर (प्रशासन) की नियुक्ति तथा हरिजन तथा पिछड़ी जाति का आरक्षित कोटा

79—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या पशुधन मंत्री की जानकारी में है कि उ0 प्र0 मिल्क डेरी फेडरेशन लखनऊ में जनरल मैनेजर (प्रशा0) के पद पर एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया गया है जिसका कार्य उसके पूर्व सेवा काल (पी0 सी0 एफ0 एवं आवास विकास परिषद्) शिकायत युक्त रहा है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी की नियुक्ति का क्या औचित्य है? क्या यह भी सही है कि इस फेडरेशन में आज भी सेवा में हरिजन एवं पिछड़ी जाति का आरक्षित कोटा पूरा नहीं है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ में जनरल मैनेजर (प्रशा0) के पद पर पी0 सी0 एस0 के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी श्री विनय प्रिय दूबे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं।

इनके पूर्व सेवाकाल के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुयी है। पी0 सी0 डी0 एफ0 में उनकी प्रतिनियुक्ति कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप की गयी है।

जहां तक फेडरेशन की सेवाओं का सम्बन्ध है इनमें पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित कोटा पूर्ण है, किन्तु हरिजन जाति के लिये आरक्षित कोटा अभी पूर्ण नहीं है। इस हेतु दो बार प्रयास किया गया है। और पुनः विशेष विज्ञापन कराकर आरक्षित कोटा पूर्ण न होने का मुख्य कारण इस वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थियों का अभाव रहा है जिसके लिये कोई अधिकारी विशेष दोषी नहीं है।

फतेहपुर सीकरी ब्लाक के अन्तर्गत मूडा उद्योग हेतु हरिजनों को वित्तीय सहायता

80—श्री बदन सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के अन्तर्गत स्थित ग्राम मंडी मिजरियां के हरिजन (जाटव) मूंडा उद्योग में बड़ी संख्या में लगे हैं? यदि हां, तो इन हरिजनों को वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन शासन द्वारा न देने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। जनपद में आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के अन्तर्गत स्थित ग्राम मंडी मिजरियां में 512 हरिजन परिवार हैं, जिनमें से 40 परिवार मूड़ा उद्योग के कारीगर हैं, इनमें 28 कारीगरों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील किरावली, आगरा के कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु उटंगन नदी पर बैराज बनाकर एक चैनल बनाने की मांग

81—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के तहसील किरावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के पश्चिमी भाग में स्थित चालीस गांवों में खारा पानी के कारण बोरिंग निरर्थक हो जाने एवं सिंचाई के अन्य साधनों के अभाव में सैकड़ों किसान परिवार तबाही के शिकार हो जाने से सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान से होकर इस क्षेत्र में बहने वाली उटंगन नदी में चैनल बनाने की मांग सरकार से लम्बे अर्से से कर रहे हैं? यदि हां, तो उटंगन नदी में चैनल निर्माण करने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्रश्नगत ग्रामों में उटंगन नदी पर बैराज बनाकर एक चैनल बनाने की मांग की गई थी। बैराज बनाने का प्राथमिक सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि बैराज निर्माण हेतु जल ग्रहण क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यह योजना व्यवहारिक नहीं पाई गई। अतएव चैनल बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

दुग्ध विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की नियुक्ति

82—श्री राज किशोर सिंह—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद के लिए 30 जून, 85 में हुई परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होकर नियुक्तियां कर ली गयी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

दुग्धशाला विकास विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 30 जून, 1985 को ली गयी लिखित परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। चयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की समीक्षा शासन स्तर पर की जा रही है।

बाराबंकी प्रखण्ड, शारदा नहर बाराबंकी के पंचम उप-खण्ड के अस्थायी भण्डार एवं फील्ड आफिस का निर्माण आदेश

83—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि शारदा नहर बाराबंकी के पंचम उपखण्ड के कार्यालय हेतु ग्राम बस्तौली जनपद लखनऊ में भवन का निर्माण मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक के मौखिक आदेश से बन गया है? यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय हुआ और क्या इस निर्माण की स्वीकृति नियमानुसार किसी अधिकारी द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाराबंकी प्रखण्ड, शारदा नहर, बाराबंकी के पंचम उप-खण्ड के अस्थायी भण्डार एवं फील्ड आफिस का निर्माण मुख्य अभियंता के मौखिक आदेश के अनुसार नहीं कराया गया है, अपितु परियोजना प्राक्कलन में निहित प्राविधान के अन्तर्गत कराया है। अस्थायी भण्डार एवं फील्ड आफिस के निर्माण पर 59,894·30 रुपये व्यय हुये हैं तथा इसकी स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता द्वारा फरवरी, 1987 में की गयी थी।

शारदा नहर, बाराबंकी के पंचम उप-खण्ड में वर्ष 1987 में सिंचाई कर तथा निर्माण कार्य में व्यय धन

84—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर बाराबंकी के पंचम उपखण्ड में वर्ष 86-87 में किसानों से कितनी सिंचाई कर वसूल किया गया? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त उपखण्ड में निर्माण कार्यों तथा मरम्मत आदि में किन-किन कार्यों पर कितना धन व्यय किया गया और इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा कर दी गई थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा नहर, बाराबंकी के पंचम उपखण्ड में वर्ष 86-87 में रुपये 20,81,336-87 का सिंचाई कर लगाया गया है। पंचम उप-खण्ड शारदा नहर, बाराबंकी में वर्ष 1986-87 में निर्माण कार्यों तथा मरम्मत के कार्यों पर निम्न व्यय किया गया:–

क्रम-सं0	कार्य का विवरण		मात्रा	व्यय
1	नई नहरों का निर्माण	..	12.6 कि0मी0	244974.02
2	नए नालों का निर्माण	..	20.35 कि0मी0	223092.09
3	नहरों का पुनरोद्धार	..	22.00 कि0मी0	429940.95
4	नालों का पुनरोद्धार	..	22.50 कि0मी0	788106.10
5	नहरों पर पक्के कार्य	..	45 अदद	2529343.32
6	नालों पर पक्के कार्य	..	62 अदद	2207737.92
7	नहरों की सिल्ट सफाई	..	98 कि0मी0	284772.00
8	नहरों का रख-रखाव	..	176 कि0मी0	318072.34
9	नालों का रख-रखाव	..	15 कि0मी0	13293.75

इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा कर दी गयी।

बस्ती जनपद में ड्रेनेज खण्ड प्रथम के अन्तर्गत बांसी पनघटिया बांध पर ग्राम बंजरहा के पास बोल्डर की पीचिंग ठोकर निर्माण में धांधली की जांच

85–श्री हर्षवर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में ड्रेनेज खण्ड प्रथम के अंतर्गत आने वाले बांसी पनघटिया बांध में बंजरहा के पास बोल्डर की पीचिंग ठोकर निर्माण हेतु पत्थर आपूर्ति में लगभग 25 लाख रु0 की धांधली का कोई मामला संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियंता की जानकारी में आया है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जनपद में ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के अंतर्गत आने वाले बांसी पनघटिया बांध के कि0 मी0 17.5 से 18.2 तक (ग्राम बंजरहा के पास) बोल्डर पिचिंग, लोचिंग अप्रन एवं डम्पनर बनाने का कार्य हुआ। इसमें अनुमानित से अधिक बोल्डर उपयोग करने का मामला जानकारी में आया है। इसकी जांच दो अधिशासी अभियंताओं की समिति द्वारा करायी जा रही है। जांच के बाद ही अधिक उपयोग हुए बोल्डर की मात्रा व लागत का अनुमान लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इसी स्थान पर एक जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ ने भी किया है तथा रुपया 1,95,947.93 की वसूली बोल्डर में अधिक वायड्स होने के कारण निकाली है, जिसकी वसूली कर ली गई है।

86–श्री सरदार सिंह–

[1ले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री बजरंग बली मिश्रा कार्यालय अधीक्षक द्वादशम कार्यालय सिंचाई विभाग के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

87—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वादशम मंडल सिंचाई कार्यालय लखनऊ में कार्यरत श्री बजरंग बली मिश्रा कार्यालय अधीक्षक स्तर 2 के विरुद्ध प्रश्नकर्ता व अन्य विधायकों का शिकायती-पत्र दिनांक 30-8-86 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र के बिन्दुवार जांच आख्या क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय अधीक्षक की निकट भविष्य में पदोन्नति होने वाली है और इसी लिए श्री मिश्रा ने उपरोक्त जांच को दबा दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

प्राप्त शिकायती-पत्रों पर जांच प्रगति में है।

श्री बजरंग बली मिश्रा, कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) की पदोन्नति कार्यालय अधीक्षक (स्तर-1) के पद पर प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा की जा चुकी है। जांच की कार्यवाही को उनके द्वारा दबाया नहीं गया है।

उ0 प्र0 नलकूप निगम में अधिशासी अभियंता के पद पर चयन के लिए सेवा नियमावली

88—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निगम में अधिशासी अभियंता के रूप में प्रोन्नति की क्या प्रक्रिया है और उसका मानक क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह मानक अन्य निगमों के समान है? क्या नलकूप निगम की कर्मचारियों के हितों के विपरीत अन्य नियमावली है जो सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 नलकूप निगम में अधिशासी अभियंता के पद के चयन के लिए सेवा नियमावली में कम से कम 7 वर्ष के अनुभव (लोअर ग्रेड-सहायक अभियंता के पद पर नलकूप निगम, सिंचाई विभाग या नलकूप निर्माण से संबंधित अन्य संगठनों का) निर्धारण किया गया है। सेवा नियमावली में समूह "क" के सभी पदों के चयन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किया गया है:—

> "निगम के समूह 'क' के सभी पद चयन पद होंगे और चयन द्वारा भरे जायेंगे, निगम के वे कर्मचारी भी चयन में भाग ले सकते हैं जो अर्हताओं, आयु और अनुभव के आधार पर पात्र हों।"

यह मानक अन्य निगमों के समान नहीं है। अन्य निगमों तथा राजकीय विभागों में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति के लिए अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया है।

यह सेवा नियमावली सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के लिए लागू नहीं होती है। अतः सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस सेवा नियमावली के बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपभोक्ता राशन कार्डों का निरीक्षकों द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन

89–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से संबंधित उपभोक्ताओं के राशन कार्डों को क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा मौके पर न जाकर कार्यालय में ही बैठे-बैठे सत्यापित एवं निरस्त करने का अधिकार है? यदि नहीं, तो हसनगंज बार्ड लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षक उक्त कार्य को कार्यालय में बैठकर क्यों करते हैं? क्या सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाले निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

यह सत्य नहीं है कि हसनगंज क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय के निरीक्षक मौके पर न जा करके क्षेत्रीय कार्यालय में बैठकर ही राशन कार्डों का सत्यापन व निरस्तीकरण करते हैं। वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति कहीं से स्थानान्तरित होकर आते हैं एवं अपने राशन कार्ड का समर्पण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं, उन्हें राशन कार्ड तत्काल निर्गत कर दिया जाता है और बाद में उसका सत्यापन किया जाता है। राशन कार्डों की मौके पर जांच की जाती है और यदि राशन कार्ड में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो तदनुसार कार्यालय अभिलेखों में संशोधन करके संबंधित विक्रेता को सूचित कर दिया जाता है।

नियमों का उल्लंघन करने की जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसकी जांच करने के उपरान्त कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार विषय शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

90–श्री हर्षवर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ह0 व0/1004 दिनांक 21-8-87 द्वारा प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से कतिपय जानकारी मांगी गयी थी? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी नहर एवं बाढ़) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, गोरखपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु उसे भेजा और मुख्य अभियन्ता (गण्डक) से आख्या मांगी गयी है।

श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेयी, अवर अभियन्ता सिंचाई बाइफरकेशन उप खण्ड पीलीभीत का स्थानान्तरण

91–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई अवर अभियन्ता सिंचाई बाइफरकेशन उप खण्ड पीलीभीत का स्थानान्तरण वर्ष 1984 में मुख्य अभियंता बहु उद्देश्यीय के अधीन किया गया था और आज तक इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो इन्हें अब तक रोके जाने के क्या कारण हैं?

श्री बीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

शारदा नहर हरदोई के सहायक अभियन्ता चतुर्थ के विरुद्ध विभागीय जांच पर कृत्य कार्यवाही

92–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई के सहायक अभियन्ता चतुर्थ का पांच लाख के घोटाले के संबंध में वर्ष 84-85 में स्थानान्तरण करके इनके विरुद्ध विभागीय जांच करायी गयी थी जिसमें ये दोषी पाये गये? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील छिबरामऊ मुख्यालय पर मिनी इण्डस्ट्रियल स्टेट का निर्माण

93–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ मुख्यालय पर मिनी इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत है? यदि हां, तो भूमि अधिग्रहीत किये जाने के बावजूद निर्माण प्रारम्भ न कराये जाने का कारण क्या है? निर्माण में विलम्ब से निर्माण लागत में होने वाली वृद्धि से विभाग पर पड़ने वाले व्यय भार के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या शासन शीघ्र ही उक्त निर्माण पूर्ण करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

उ0 प्र0 राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा निर्माण हेतु निविदा अभी आमंत्रित की गयी है और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहा है।

चूंकि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहा है, अतः निर्माण में विलम्ब से मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं है।

जी हां ।

यदि कोई व्यवधान उत्पन्न न हुआ तो अप्रैल, 1988 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

कोई प्रश्न प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुशवाहा, अवर अभियन्ता बेतवा नहर प्रखण्ड झांसी का वेतन भुगतान

94—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियंता बेतवा नहर प्रखण्ड झांसी श्री एम0 पी0 अग्रवाल ने अपने अधीनस्थ अवर अभियन्ता श्री कुशवाहा को एक वर्ष का वेतन किन कारणों से भुगतान नहीं किया था? क्या यह सही है कि उक्त अवर अभियन्ता को श्रम न्यायालय ने बकाया वेतन एक माह के अन्दर भुगतान किये जाने के आदेश विभाग को दिये थे? यदि हां, तो एक माह में अधिशासी अभियन्ता ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील न करके अवर अभियन्ता को बहत्तर हजार रुपये का भुगतान कर दिया था? यदि हां, तो उक्त धनराशि का भुगतान किस मद से किया गया तथा क्या भुगतान हेतु अधीक्षण अभियन्ता की औपचारिक अनुमति भुगतान के पूर्व प्राप्त कर ली गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा सहायक खण्ड बाराबंकी द्वारा पोषित कतिपय नहरों को समाप्त करने का प्रस्ताव

95—श्री भगौती सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को लिखे गये पत्र दिनांक 24-6-85 को दृष्टिगत रखते हुए शारदा सहायक खण्ड बाराबंकी द्वारा पोषित चिनहट नौबस्ता कलां, रजौली आदि नहरों को समाप्त कर विश्व बैंक द्वारा सिंचाई हेतु नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक खण्ड बाराबंकी द्वारा पोषित चिनहट, नौबस्ता कलां रजौली आदि नहरों को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 1986-87 में चिनहट लिंक हेड का निर्माण हो जाने से चिनहट राजबहा के कि0 मी0 5.2 के नीचे चिनहट का शेष भाग तथा गोयला, खरगपुर, नौबस्ता, गनेशपुर आदि नहरों से सुगमतापूर्वक सिंचाई हो रही है। पुराने चिनहट हेड से नहर के कि0 मी0 5.2 तथा रजौली राजबहा एवं मियांपुर माइनर द्वारा समुचित सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है।

विश्व बैंक परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत कथित क्षेत्रों में पब्लिक नलकूप लगाने का औचित्य नहीं है।

बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र

96–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अटैसवा तथा हनुमंतपुर विकास खण्ड बक्शी का तालाब जिला लखनऊ में स्थित विश्व बैंक के नलकूपों से वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में कितने-कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है और इनके सिंचाई क्षेत्र में कितनी-कितनी जमीन है? यदि सिंचाई नहीं की गयी है, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में विश्वबैंक नलकूप नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप निगम लि0 द्वारा निर्मित तथा राज्य को स्थानान्तरित राजकीय नलकूप सं0–140 तथा 141 एल0 जी0 है। जिनसे वर्षवार निम्नवत सींच हुई है :–

वर्ष	सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)		विवरण
	कूप सं0 140	कूप सं0141	
1	2	3	4
1983–84	..	..	.. विद्युत लाइन व केबिल में खराबी के कारण कूप नहीं चले।
1984–85	..	26	26 ..
1985–86	..	31	15 ..
1986–87	..	37	24 ..

कूप सं0–140 के क्षेत्र में 250 एकड़ सी0 सी0 ए0 तथा कूप सं0-141 के क्षेत्र में 300 एकड़ का सी0सी0ए0 है। वर्ष 1983-84 में विद्युत तथा केबिल की खराबी के कारण नहीं चले, शेष वर्षों में सिंचाई हुई है।

विद्युत लाइन एवं केबिल में खराबी हेतु विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सोनहटी खुर्द, जनपद बस्ती के ट्यूबवेल हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

97–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में ग्राम सोनहटी खुर्द, तहसील बस्ती में श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव आत्मज स्व0 श्री बलभद्र प्रसाद के चक में लगे सरकारी ट्यूबवेल के लिए ली गयी उनकी भूमि का मुआवजा अभी तक न दिए जाने, उक्त ट्यूबवेल की नालियों की मरम्मत न किए जाने तथा पिछले 11-12

वर्षों में उनकी फसल की क्षति पूर्ति न किये जाने के विषय में शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-3-87 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? सरकार कब तक श्री श्रीवास्तव को उनकी भूमि तथा फसल का मुआवजा मय ब्याज के दिला देगी तथा नालियों की पक्की मरम्मत करा देगी? क्या सरकार उक्त ट्यूबवेल के रख-रखाव पर होने वाले व्यय तथा इससे होने वाली आमदनी को देखते हुए इसे वर्तमान स्थान से हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में सिंचन क्षमता का ह्रास

98–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 8 वर्षों से प्रदेश में कुल सिंचन क्षमता से वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत प्रत्येक वर्ष घटता जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या यह सत्य है कि मुख्य कारण फर्जी सिंचन क्षमता का सृजन दिखाना, बनाए गए सिंचन संकर्मों का त्रुटिपूर्ण डिजाइन तथा घटिया स्तर का निर्माण खराब रख-रखाव तथा शीर्ष स्तरों पर पर्यवेक्षक का न होना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर सिंचन क्षमता के अधिकतम उपयोग को बढ़ायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

99–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद आजमगढ़ सिंचाई खण्ड–2 में खैरुद्दीनपुर माइनर निर्माण में व्यय धनराशि

100–श्री दीपचन्द सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ सिंचाई खण्ड–2 में खैरुद्दीन माइनर जिसका विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में अधिकांश भाग पड़ता है, इसका निर्माण कार्य किस वर्ष से शुरू किया गया तथा कितना धन व्यय हुआ? क्या उक्त माइनर में जल की आपूर्ति की गयी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ सिंचाई खण्ड–2 में 5.0 कि0 मी0 लम्बी खैरुद्दीनपुर माइनर का निर्माण किया गया है। जिसमें से 3.4 कि0 मी0 लम्बाई विधान सभा क्षेत्र शाहगंज (जौनपुर) में पड़ती है। इस माइनर का निर्माण वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1986-87 में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। निर्माण कार्य पर रुपया 31665-00 मात्र व्यय हुआ है। इस माइनर से जल की आपूर्ति वर्ष 1980-81 से ही की जा रही है।

महराजगंज, गोरखपुर में नियम विरुद्ध जगहों पर शराब की दुकानों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

101—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष प्रश्नकर्ता ने कई शिकायती-पत्रों द्वारा यह मांग की थी कि गोरखपुर जिला के तहसील महराजगंज में शराब की दुकान पार्क स्थल, विद्यालय एवं हरिजन बस्तियों में खोले गये हैं जो विभागीय नियमों के विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो अब तक ऐसी दुकानों को न हटाए जाने के क्या कारण हैं? क्या यह भी सच है कि जन प्रतिनिधियों ने इस बात की भी शिकायत की है कि उक्त सभी दूकानें एक एवं सात तारीख एवं सार्वजनिक छुट्टी के दिन भी प्रातः 6 बजे से रात 12 बजे तक खुलती हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित दुकानों में से धर्मपुर स्थित देशी शराब की दुकान को पुराने स्थान से अन्यत्र हटा दिया गया है। शेष दुकानें पार्क स्थल, विद्यालय या हरिजन बस्तियों में खोला जाना नहीं पाया गया।

महीने की एक व सात तारीख को तथा बंदी के दिनों में जो आबकारी दुकानें उक्त क्षेत्र में खुली पाई गई हैं उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी है तथा अनुज्ञापियों को प्रशमित कर दण्डित किया गया है। इस तरह के अवैध कार्यों के प्रति आबकारी विभाग सजग है।

श्री कामेश्वर उपाध्याय एवं श्री आर0 के0 पी0 सिंह अवर अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड देवरिया के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

102—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभियन्ता श्री कामेश्वर उपाध्याय एवं श्री आर0 के0 पी0 सिंह अवर अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच श्री माँजी लाल यादव अधिशासी अभियन्ता द्वारा करायी गयी कब ये लोग ग0 न0 नि0 खण्ड-10 गोरखपुर के अधीन चतुर्थ उपखण्ड में कार्यरत थे? यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री यादव की जांच में सभी आरोप सच पाये गये? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं। आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित हुए जिनके अनुसार श्री कामेश्वर उपाध्याय, सहायक अभियन्ता को व श्री आर0 के0 पी0 सिंह, अवर अभियन्ता को अधिक बांस की बल्ली की पूर्ति ठेकेदारों से लेने, निर्धारित गहराई से कम गहराई तक बल्ली की पाइलिंग कराने, बांस बेहया व झाऊ को ठीक प्रकार से नहीं लगवाने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।

103–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[दिनांक 1-7-87 को अता0 प्र0 सं0 69 द्वारा उत्तरित]

श्री बी0 पी0 सिंह सिंचाई खण्ड द्वितीय गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

104–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को श्री सच्चिदानन्द मल्ल ग्राम पोस्ट जजौती जनपद आजमगढ़ का शिकायती पत्र सहायक अभियन्ता श्री बी0 पी0 सिंह सिंचाई खण्ड द्वितीय गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 20-1-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच कब-कब किस अधिकारी ने की और क्या परिणाम निकला ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव के बसहा झील से जल निकासी के लिए नाला निर्माण योजना

105–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के तहसील पुरवा अन्तर्गत पड़ने वाले गांवों के किसानों की बसहा में जल प्लावन के कारण कृषि उपज में लगातार हो रही अपूरणीय क्षति को बचाने हेतु पानी की निकासी के लिये नाला निर्माण के लिये 64 लाख रुपये धनराशि की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो बसहा से नाला निकालने के कार्य में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । उन्नाव जनपद के अन्तर्गत बसहा झील की समस्या के सम्बन्ध में रुपये 64.00 लाख की कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है । किन्तु अनुमानित लागत 39.25 लाख की एक योजना वर्ष 1984-85 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई थी । इन प्रस्तावों में नये नालों का निर्माण शामिल था । परन्तु निर्माण मार्ग पर जनप्रतिनिधियों में मतैक्य न होने तथा काश्तकारों से बिना मूल्य भूमि प्राप्त न हो सकने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका तथा इस योजना को निरस्त करना पड़ा था ।

जनपद उन्नाव में पुरवा रजबहा पर पुलिया निर्माण का आदेश

106–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश के अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता षष्टम मण्डल सिंचाई विभाग महानगर लखनऊ द्वारा जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा अन्तर्गत मोहल्ला पीरजादी गढ़ी के पश्चिम तरफ पुरवा रजबहा पर आने हेतु पुलिया का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पुलिया का निर्माण स्थल पुरवा रजबहा के मील 1-2-0 पर है । इस स्थल के ऊपर की ओर 2 फर्लांग की दूरी पर एक पुलिया तथा 2 फर्लांग नीचे एक पुलिया पहले से निर्मित है । अतः इतने करीब एक और पुलिया के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राज राइस मिल गौहनिया इलाहाबाद के विरुद्ध दर्ज प्रथम पुलिस रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

107–श्री अनुग्रह नारायन सिंह–

क्या खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-2-87 को इलाहाबाद के मार्केटिंग विभाग राज राइस मिल गौहनिया के विरुद्ध धूरपुर थाने में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो वह क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

दिनांक 28 फरवरी, 1987 को नहीं, वरन् 21 फरवरी, 1987 को इलाहाबाद जनपद के जसरा केन्द्र स्थित फर्म मेसर्स राज राइस मिल, गौहनिया के भागीदारों के विरुद्ध पुलिस थाना, धूरपुर, इलाहाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य रूप से जसरा केन्द्र स्थित मैसर्स राज राइस मिल, गौहनिया के गोदामों में संग्रहीत सरकारी लेवी के चावल कामन सेला 1950 बोरा (वजन 1852 कु0 50 किलोग्राम) की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को न करके मिल मालिक की सांठ-गांठ से केन्द्र प्रभारी श्री जे0 वी0 वर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक द्वारा उसे अवैध रूप से बेचकर रु0 4,44,022.80 का गबन किये जाने का आरोप है ।

इस प्रकरण में प्रथम दृश्या दोषी पाये गये जसरा केन्द्र प्रभारी श्री जे0 वी0 वर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक को, उनके विरुद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व, दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 को निलम्बित कर दिया गया था । प्रकरण से सम्बन्धित अन्य श्री डी0 डी0 सिंह, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, इलाहाबाद को भी दिनांक 19 मार्च, 1987 को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त फर्म मैसर्स राज राइस मिल, गौहनिया का खाद्यान्न थोक लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है तथा खाद्यान्न थोक लाइसेंस की जमानत एवं राइस मिल के लाइसेंस की जमानत को समस्त धनराशि भी जब्त कर ली गयी है । मामले में पुलिस विवेचना अभी जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा कैनाल खण्ड सीतापुर की इंटौंजा रजबहा के कटान से हुई क्षति का मुआवजा

108–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शारदा कैनाल खण्ड सीतापुर की इटौंजा रजबहा ग्राम फतेहपुर खमराही (संसारपुर) के पास किस तारीख को कटी और किस तारीख में उसकी मरम्मत हुई ? मरम्मत में विलम्ब का कारण क्या है ? नहर के कटने से कितने

बीघे खेती और कितनी अन्य सम्पत्ति का नुकसान हुआ ? क्या सरकार किसानों की फसल तथा जल भराव से नष्ट हुये कुओं आदि का मुआवजा देने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा नहर खण्ड, सीतापुर की इंटौंजा रजबहा, ग्राम फतेहपुर खमराई (संसारपुर) के पास दिसम्बर 17 व 18, 1986 के मध्य रात्रि में कटी । दिनांक 18 दिसम्बर, 86 को मरम्मत आरम्भ की गयी तथा दिनांक 19 दिसम्बर, 86 को मरम्मत का कार्य पूरा हुआ ।

कृषकों द्वारा खेतों से तथा सरकारी भूमि से मिट्टी उठाने में आपत्ति एवं विरोध करने के कारण मरम्मत का कार्य अधिक तेज गति से नहीं हो सका ।

नहर कटने से 44-41 एकड़ क्षेत्र की फसल को नुकसान हुआ जिसका मुआवजा देने का प्रकरण बनाया जा चुका है । इसका परीक्षण कर अधिशासी अभियन्ता द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी किसी अन्य सम्पत्ति को क्षति की जानकारी नहीं है।

शारदा सहायक खण्ड 36 के अन्तर्गत खोली जाने वाली ड्रेन पर व्यय धन

109–श्री दीपचन्द सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर शारदा सहायक खण्ड 36 के अन्तर्गत कोइरीडीह राजेपुर इटौरी, भरौठा, धरिइल से होते हुए खलीलपुर जो ड्रेन खोली जा रही है उक्त ड्रेन पर अब तक हर वर्ष कितना धन वर्ष 85-86 में व्यय किया गया ? क्या वह ड्रेन चालू हालत में है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड-36 के अन्तर्गत कोइरीडीह, राजेपुर, इटौरी, भरोठा से होते हुये खलीलपुर तक जो ड्रेन खोदी जा रही है उसे मेंहरांवा ड्रेन पर निर्माण कार्यों पर वर्ष 1985-86 से अब तक वर्षवार व्यय का विवरण निम्न है:–

क्रमांक	वर्ष	मिट्टी का कार्य	पक्के कार्य	सफाई एवं मरम्मत का कार्य	योग
		रु0	रु0	रु0	रु0
1	1985-86	8425.00	..	..	8425.00
2	1986-87	1728.00	28377.00	..	30105.00
3	1987-88	7863.00	..	13602.00	21465.00
	योग	18016.00	28377.00	13602.00	59995.00

ड्रेन की कुल प्रस्तावित लम्बाई 9-6 कि0मी0 है । स्थानीय काश्तकारों के अवरोध के कारण ड्रेन की खुदाई कि0मी0 4-66 से 4-81, कि0मी0 5-1 से 5-47 एवं कि0 मी0 5-5 से 5-61 तक पूर्ण नहीं हो सकी है। शेष भाग में ड्रेन का निर्माण हो चुका है तथा ड्रेन आंशिक रूप से वर्ष 1985 से कार्यशील है । ड्रेन के अवशेष भाग में कार्य पूर्ण कराने का विशेष प्रयास किया जा रहा है ।

आजमगढ़ सिंचाई खण्ड-2 के अन्तर्गत कतिपय माइनरों की सिंचन क्षमता तथा प्रभावित ग्रामों की संख्या

110—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ सिंचाई खण्ड-2 के अंतर्गत खैरुद्दीन माइनर व छबुवा से परासिन माइनर वर्ष 85-86 से वर्ष 86-87 तक कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी तथा उक्त माइनर से कितने ग्रामों को प्रभावित किया गया ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पहल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ में सिंचाई खण्ड-2 के अन्तर्गत खैरुद्दीनपुर माइनर व छबवा कला माइनर पर वर्ष 85-86 से 86-87 तक सिंचित क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	माइनर का नाम	प्रस्तावित सींच (हे0)	वास्तविक सींच (हे0) 85-86	वास्तविक सींच (हे0) 86-87	अभ्युक्ति
1	खैरुद्दीन पुर माइनर	394	136	132	..
2	छबवा कला मा0	54	..	..	माइनर का निर्माण अपूर्ण होने के कारण इससे अभ सिंचाई नहीं हो रही है

खैरुद्दीनपुर माइनर से ग्राम लाखा(प0), रसूलपुर, गोडिला, कुजियारी, चौकिया, खैरुद्दीनपुर, तथा बहिरापारा प्रभावित होते हैं । चूंकि छबवा कला माइनर जिसकी प्रस्तावित लम्बाई 2-66 कि0मी0 है का निर्माण 1-8 से नीचे न्यायालय के स्थगन के कारण अवरुद्ध है अतः इस माइनर से अभी कोई ग्राम सींच द्वारा प्रभावित नहीं हुये हैं ।

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर में जलभराव समस्या का निराकरण

111—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11-6-86 को एक पत्र मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा क्या मांग की गयी थी और उक्त पत्र के संबंध में उक्त अभियन्ता द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नगत पत्र में जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर में जल भराव समस्या के निराकरण हेतु अमरोहा ड्रेन के कार्य को प्रारम्भ कराये जाने तथा यथोचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था ?

चूंकि प्रश्नगत ड्रेन नगरमहापालिका के क्षेत्र में है अतः सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

112—श्री विष्णु देव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बांदा जनपद की कतिपय मण्डियों द्वारा धान की खरीद

113—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी एवं अतर्रा मंडियों में वर्ष 1985-86 में कितने कुन्तल धान की खरीद हुई तथा इस धान के क्षेत्र में वर्ष 85-86 में कितना धान अनुमानित पैदा हुआ ? क्या यह सही है कि अनुमानित धान के पैदावार का चौथाई भाग भी शासन ने नहीं खरीदा? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

बांदा जनपद के नरैनी एवं अंतर्रा क्रय केन्द्रों पर वर्ष 85-86 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कुल 416.33 कुन्तल धान की खरीद हुई, तथा वर्ष 85-86 में उक्त क्षेत्र में अनुमानित 5,78,000 कुन्तल धान की पैदावार हुई।

निर्धारित गुणा-निर्दिष्टियों के अनुरूप धान न होने, खुले बाजार में धान के मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक होने व बाद में सरकार द्वारा धान से निर्यात प्रतिबन्ध हटा लेने के कारण धान की खरीद कम हुई ।

मसौनी पम्प कैनाल को पूरा कराने हेतु उपलब्ध धन

114—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

सन् 1986 के विधान सभा के प्रथम सत्र के छठे बुधवार को प्रश्नकर्ता के पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य योजना से मसौनी पम्प कैनाल को पूरा कराने के लिए कब तक धन उपलब्ध हो जायेगा और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

115—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बाराबंकी में कल्यानी नदी से क्षति को बचाने हेतु एक तटबंध बनाने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

116—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी की बाढ़ से प्रतिवर्ष 150 गांवों की करोड़ों की फसल क्षति होने तथा इसकी सुरक्षा हेतु तटबंध बनाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 1497/वी एस एम/87 दिनांक 25 जून 87 द्वारा की है, शासन द्वारा विचार किया गया है ? यदि हां, तो तटबंध बनाने हेतु क्या विभाग को निर्देशित कर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । कल्यानी नदी से जलप्लावन की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराकर योजना का प्रारूप तैयार करके तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

पुरवा, उन्नाव को मिनी औद्योगिक शेड बनाने की योजना

117–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के तहसील पुरवा पर मिनी इण्डस्ट्रियल स्टेट विकसित करने की योजना थी? यदि हां, तो उक्त स्थल पर इण्डस्ट्रियल शेड कब तक बन जाना था ? निर्धारित समय के भीतर इण्डस्ट्रियल शेड विकसित न करने के कारण क्या हैं ? इस ढिलाई के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? इण्डस्ट्रियल स्टेट कब तक विकसित हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मिनी औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल शेड बनाने का प्रस्ताव नहीं है । केवल भूखण्ड ही विकसित किये जाने हैं । स्वीकृत मिनी औद्योगिक आस्थान में शेड का निर्माण नहीं किया जाना है, अतः विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता है । औद्योगिक आस्थान के विकसित होने में एक वर्ष का समय और लगने की संभावना है ।

ग्राम सभापुर, बांदा में पैसुनी डाइवर्जन की मुख्य नहर पर सड़क पुल बनाने विषयक पत्र

118–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में पैसुनी डाइवर्जन की मुख्य नहर पर ग्राम सभापुर के पास सड़क पुल बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-11-86 को श्री राम निवास उप सचिव सिंचाई-3 अनुभाग से 10 अप्रैल, 1987 को मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई विभाग झांसी को समुचित निर्देश के साथ भेजा था ? यदि हां, तो क्या किसानों की कठिनाई को ध्यान में रखकर पुल का निर्माण शीघ्र करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पैसुनी डाइवर्जन के जिस स्थान पर पुल की मांग की गई है वहां पर कोई रास्ता नहीं है । अतः पुल बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा की पेय जल आपूर्ति हेतु यमुना नदी पर एक बैराज निर्माण की मांग

119–श्री बदन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति के लिए महल बदशाही के निकट यमुना नदी पर एक बैराज का निर्माण ले चुका है ? यदि हां, तो बैराज बनाने का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बांदा जनपद के कतिपय ग्रामों में सिंचाई योजना का प्रस्ताव

120–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के क्षेत्र बदौसा फतेहगंज में शासन द्वारा सिंचाई सुविधा की क्या-क्या योजनाएं तैयार की हैं और कब तक इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बांदा जनपद तहसील नरैनी के बदौसा ग्राम पूर्व बाधेन नदी के पार सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए बान गंगा नदी पर रसिन ग्राम के पास रसिन बांध परियोजना प्रस्तावित है । इस बांध का लगभग आधा जलागम क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है । मध्य प्रदेश शासन से योजना पर सहमति प्राप्त हो जाने तथा योजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी । फतेहगंज क्षेत्र में कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है ।

टिहरीबांध से प्रभावित व्यक्तियों की सिंचाई विभाग में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति

121–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 4862/ए0एन0/79-23/सिं0-7/106-65 दिनांक 9-10-79 के अन्तर्गत टिहरी बांध से प्रभावित व्यक्तियों को आशुलिपिक के पद पर सिंचाई विभाग में नियुक्तियां दी जा रही हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को नियुक्तियां मिली हैं ? क्या ऐसे भी प्रकरण हैं कि डूब क्षेत्र के अभ्यर्थी लगातार दो वर्षों से अधिक समय से आशुलिपिक के पदों पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ? कृपया इनके विनियमितीकरण की कार्यवाही विशेष वरीयता के प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आशुलिपिक की विभागीय परीक्षा में इन डूब क्षेत्र के व्यक्तियों को पूर्ण वरीयता दी जा रही है ? यदि हां तो अब तक कितने लोगों को वरीयता दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ सिंचाई खण्ड–2 द्वारा छनवा कला माइनर का निर्माण

122–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ सिंचाई खण्ड–2 द्वारा छनवा से परासिन माइनर का निर्माण कितने वर्ष से चल रहा है और अब तक हर वर्ष कितना धन निर्माण कार्य व मेन्टिनेन्स में हुआ ? क्या उक्त माइनर में जल की आपूर्ति की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ में सिंचाई खण्ड–2 के अन्तर्गत 2.66 कि0मी0 लम्बी छनवा कलां माइनर का निर्माण वर्ष 1980-81 से चल रहा है। नहर का निर्माण शीर्ष से कि0 मी0 1.80 तक पूर्ण हो चुका है तथा 1.8 से नीचे 0.86 कि0 मी0 में निर्माण कार्य वर्ष 1982-83 से चल रहे बाद में न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अवरुद्ध है। प्रश्नगत माइनर के निर्माण एवं रख-रखाव पर वर्षवार व्यय निम्नवत है:–

क्रमांक	वर्ष	निर्माण कार्य पर व्यय	रख-रखाव पर व्यय
1	1980–81	54.00	..
2	1982–83	2290.00	..
3	1983–84	102.00	..
4	1984–85	11091.80	..
5	1985–86	4641.00	..
6	1986–87	1528.00	..
	योग	19706.80	..

माइनर अपूर्ण होने के कारण इस माइनर में जल की आपूर्ति नहीं की गई।

जौनपुर के जगदीशपुर पम्प नहर हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

123–श्री अर्जुन सिंह यादव–

द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम बुध के अता0 प्र0 सं0 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के जगदीशपुर पम्प नहर के ग्राम केशवपुर का सम्पूर्ण भू-प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त ग्राम के आराजी संख्या 28 के काश्तकार ने भू प्रतिकर के विषय में प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो भू-प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राजकुमार गुप्ता सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-22 के बकायों का भुगतान

124–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राज कुमार गुप्ता, सेवा निवृत्त अवर अभियन्ता (ओवर सियर) तत्कालीन शारदा सहायक खण्ड–22 बाराबंकी जो 7 मई, 1975 के पूर्व सेवा निवृत्त किये गये थे, को उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण सं0–4 के आदेश क्रमशः दिनांक 9-5-80 और 31-7-85 के अनुसार उनके बकायों का भुगतान न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री राज कुमार गुप्ता अवर अभियन्ता को दिनांक 8 मई, 1975 से सेवा निवृत्त किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संख्या–4 के आदेश क्रमशः दिनांक 9-5-80 व 31-7-1985 के अनुपालन में माननीय सिविल जज, लखनऊ के न्यायालय में बैंक ड्राफ्ट संख्या–टी0टी0/ए0/75-972124 दिनांक 6-2-87 व संख्या एल0/ए0/32-913975 दिनांक 6-2-87 द्वारा क्रमशः रुपया 9032-73 व रुपया 11207-40 दिनांक 7-2-87 को जमा कर दिया गया है। जी0 पी0 एफ0 तथा सिक्यूरिटी का भुगतान श्री गुप्ता को पहले ही किया जा चुका है।

श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्व0 सत्यराम ताड़ी पर्यवेक्षक क्षेत्र-3 बांसी को उनके पति के बकाये धनराशि का भुगतान

125–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्व0 सत्यराम ताड़ी पर्यवेक्षक, क्षेत्र–3 बांसी जनपद बस्ती निवासी ग्राम ककरासों पोस्ट बेलथरा रोड जनपद बलिया को उनके पति के प्राविडेन्ट फण्ड जीवन बीमा पेन्शन निर्धारण तथा माह जनवरी, 1984 के वेतन की धनराशि अब तक न मिलने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-8-86 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

स्व0 श्री सत्यराम ताड़ी पर्यवेक्षक के माह जनवरी, 1984 के वेतन का भुगतान बैंक ड्राफ्ट दिनांक 29-1-87 द्वारा कर दिया गया है और उनकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी महालेखाकार, इलाहाबाद के रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 4-5-87 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। उनके जी0 पी0 एफ0 एवं सामूहिक बीमें की धनराशि के संबंध में आबकारी अधीक्षक, बस्ती द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधवा श्रीमती पुष्पा कपिलाचार्य को उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 में नियुक्त करने हेतु शासनादेश का कार्यान्वयन

126–श्री शारदा प्रताप–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि एक विधवा श्रीमती पुष्पा कपिलाचार्य को करुणा-मूलक आधार पर यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के भुवाली स्थित घड़ियों के कारखाने में रोजगार दिये जाने के लिये शासन द्वारा वर्ष 1984 में तथा पुनः वर्ष 1985 में आदेश दिये गये थे और यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा इन आदेशों का पालन यथाशीघ्र करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो तीन वर्ष बाद भी शासन के इन आदेशों का कार्यान्वयन न करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 की सहायक कम्पनी मे0 यू0 पी0 डिजीटल्स में श्रीमती पुष्पा कपिलाचार्य को रोजगार देने के लिये शासन की ओर से सन् 1984 तथा 1985 में लिखा गया था । राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से यह अवगत कराया गया कि यू0 पी0 डिजीटल्स में रिक्त स्थान नहीं है और स्थान रिक्त होने की दशा में ही विचार किया जा सकता है । इस संबंध में आदेशों का कार्यान्वयन न करने के लिये कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

127–श्री शारदा प्रताप–

क्या उद्योग मंत्री जी उक्त कारखाने का नियंत्रण निजी क्षेत्र में देने से पहले और बिना विलम्ब किये असहाय विधवा को रोजगार दिलाकर शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उक्त कारखाने का नियंत्रण निजी क्षेत्र में देने का शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है । श्रीमती पुष्पा कपिलाचार्य को रोजगार देना उक्त इकाई में उपयुक्त स्थान रिक्त होने पर ही विचारणीय हो सकेगा ।

सिंचाई विभाग के हरदोई से उन्नाव जाने वाली नहरों के रोस्टर में 3 सप्ताह का फर्क

128–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 सिंचाई विभाग ने हरदोई से उन्नाव की ओर जाने वाली तीनों मुख्य नहरों का माह सितम्बर, 87 व अक्टूबर, 87 का रोस्टर बनाया है? यदि हां, तो क्या रोस्टर में 3 सप्ताह का फर्क है? यदि हां, तो तीन सप्ताह बाद पानी देने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। हरदोई से उन्नाव की ओर जाने वाली तीन नहरें कभी भी एक साथ तीन सप्ताह के लिए बन्द की जानी प्रस्तावित नहीं थीं ।

129–श्री शारदानन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बांदा के सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

130–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के लिखित पत्र में दिनांक 9-9-86 अथवा दिनांक 8-9-86 को मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव (श्री विजय शंकर पाण्डेय) ने बांदा जनपद के सिंचाई विभाग (तृतीय) द्वारा किये गये कार्यों में व्यापक धांधली एवं भ्रष्टाचार की जांच टेक्निकल आडिट सेल (टी0 ए0 सी0) से कराने के आदेश सिंचाई सचिव को दिया था ? यदि हां, तो पत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों का विवरण क्या है और टी0 ए0 सी0 की जांच रिपोर्ट का विस्तृत विवरण क्या है? कितने कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शिकायती पत्र संलग्न है।

प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ की जांच में निम्न अनियमितताएं प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुई:—

(1) बिना कार्य की आवश्यकता का आकलन बनाया जाना।

(2) बिना जमानत के 10 दिन की सूचना पर ही रुपया 81,335 की आपूर्ति लेना।

(3) पीचिंग की गहराई कम होना तथा पत्थर का आकार भी छोटा होना।

(4) लगभग दो लाख रुपये के मिट्टी का कार्य अल्प सूचना पर निविदा प्राप्त कर कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर कराना।

(5) मेढा ढाल के फाउन्डेशन में गीली मिट्टी का प्रयोग किया जाना।

(6) डवले का बेस समतलन होना तथा अन्दर की चुनाई में पत्थर व मड प्लास्टर का प्रयोग न होना।

उपर्युक्त अनियमितताओं के लिए एक अधिशासी अभियंता, 3 सहायक अभियंतागण और 4 अवर अभियंतागण प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं और उल्लिखित अनियमितताओं के लिए इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग के माध्यम से मांगे गये हैं।

(देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ 160-162 पर)

131—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के लिखित पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव (श्री विजय शंकर पाण्डेय) ने बांदा के सिंचाई विभाग (तृतीय) के अंतर्गत रक्सी पंचमपुर बांदा में श्री बारे लाल पुत्र श्री मेखइयां आदि कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने के संबंधित प्रकरण में सचिव सिंचाई को मजदूरी दिलाने के संबंध में आदेश पारित किये थे? यदि हां, तो क्या मजदूरों को मजदूरी मिल गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री आर0 सी0 गुप्त तत्कालीन मुख्य अधिशासी राजकीय कताई मिल मेरठ के कार्यकाल में हुई हड़ताल एवं हिंसात्मक घटनाओं की जांच

132—श्री अकबर हुसैन बावर—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत श्री आर0 सी0 गुप्त, राजकीय कताई मिल कम्पनी नं0 1 अकबरपुर राजकीय कताई मिल कम्पनी नं0 1 रायबरेली तथा राजकीय कताई मिल मेरठ में मुख्य अधिशासी के पद पर कार्य कर चुके हैं? क्या यह सही है कि उनके कार्यकाल में लम्बी-लम्बी हड़तालें, तालाबन्दी और हिंसात्मक घटनायें हुई हैं? यदि हां, तो उससे हुई क्षति की धनराशि का ब्योरा क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

श्री गुप्त के कार्यकाल में अकबरपुर एवं मेरठ इकाइयों में कोई लम्बी हड़तालें अथवा तालाबन्दी नहीं हुई। रायबरेली इकाई में श्री गुप्ता के कार्यकाल में लम्बी हड़तालें तथा तालाबन्दी हुई थी। श्री गुप्ता के कार्यकाल में रायबरेली इकाई में हुई हड़तालों एवं तालाबन्दी में मशीनरी प्लान्ट तथा बिल्डिंग इत्यादि की कोई क्षति नहीं हुई थी अतः क्षति की धनराशि शून्य है।

राजकीय कताई मिल कम्पनी-1 के संयुक्त प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

133—श्री अकबर हुसैन बावर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का राजकीय कताई मिल कम्पनी नम्बर 1 में जे0 एम0 डी0 के पद पर श्री आर0 सी0 गुप्ता के चयन के बारे में पत्र दिनांक 18 मार्च, 1986 के प्राप्ति के बाद अब तक क्या कार्यवाही की गयी? आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी? जांच परिणाम क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सन्दर्भित पत्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य कताई मिल्स कम्पनी (नं0-1) को भेजा गया था। पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, द्वारा श्री आर0 सी0 गुप्ता, से टिप्पणी प्राप्त की गई थी तथा कार्यालय अभिलेखों का भी पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया था। जांचोपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि श्री गुप्ता के रायबरेली एवं अकबरपुर इकाई में मुख्य अधिशासी के पद पर कार्यकाल की अवधि में हुई हड़ताल इत्यादि श्रमिक संघों की आपसी प्रतिस्पर्धा, मिल स्थित दलगत राजनीति, श्रमिक संघों के अपरिपक्व नेतृत्व आदि के कारण हुई थी। श्री गुप्ता श्रमिक अशान्ति के उत्तरदायी नहीं पाये गये थे। श्री गुप्ता के मेरठ इकाई में मुख्य अधिशासी के पद पर कार्यकाल की अवधि में कोई हड़ताल/तालाबन्दी नहीं हुई थी। उक्त इकाईयों में सन्दर्भित अवधि में हुई हिंसात्मक घटनाओं के लिये भी श्री गुप्ता उत्तरदायी नहीं पाये गये थे।

शारदा सहायक खण्ड 32, आजमगढ़ द्वारा नहर एवं पटरी हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

134—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोफीपुर, जिला आजमगढ़ मसलमपट्टी मार्ग के लिए जिन कास्तकारों की जमीन नहर व पट्टी आदि के लिये ली गयी है, शारदा सहायक खण्ड 32 आजमगढ़ कार्यालय से उसका मुआवजा का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ द्वारा केवल ग्राम सोफीपुर में नहर एवं उसकी पटरी के निर्माण हेतु 2.929 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिसके लिए प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। मसलमपट्टी मार्ग हेतु भूमि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गई।

जिला बरेली में सरकारी नलकूप संख्या 193 की कमाण्ड एरिया

135—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में सरकारी नलकूप नं0-193 विभाग द्वारा कब लगवाया गया, उसका कमाण्ड एरिया कितना था और अब कितना है ? क्या यह सही है कि उक्त नलकूप की एक नाली जिस पर हरिजन जाति के लोगों को 83 बीघा जमीन जहां पर मिली है, की आबपाशी जो उक्त नलकूप से होती थी वर्ष 1976 से बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और उस नाली को खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

193 आंवला ग्रुप वर्ष 1980-81 में सिंचाईरत हुआ था।

जब नलकूप लगवाया गया था उस समय कमाण्ड क्षेत्र 400 एकड़ था। इस कूप का कमाण्ड घटाकर अब 249 एकड़ कर दिया गया है।

इस नलकूप का निर्माण वर्ष 1980-81 में हुआ था। अतः इस कूप की किसी नाली को 1976 में बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामोद्योग बोर्ड, बरेली द्वारा उद्योगों को ऋण वितरण

136—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद बरेली में वर्ष 1986-87 से अब तक कुल कितने उद्योगों को ऋण दिया गया तथा इसमें से कितने उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं ? ग्रामोद्योग के नाम पर चलाई जा रही इस संस्था द्वारा ग्रामीण उद्योगों को शहर में स्थित उद्योगों के मुकाबले इतनी कम संख्या में सहायता देने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी स्पष्ट निदेश देने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष कम से कम 80 प्रतिशत सहायता ग्रामों में स्थित उद्योगों को दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बरेली में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 86-87 में कुल 365 इकाईयों को ग्रामोद्योग हेतु ऋण वितरित किया गया है। इनमें से 155 इकाईयां ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में उद्योगों हेतु कम सहायता देने का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले आवागमन, दूर संचार, विद्युत शक्ति जैसी अवस्थापना सुविधाओं की कमी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

137—श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 29-12-87 के अता0 प्र0 सं0 155 द्वारा उत्तरित]

138—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

[उत्तर बुधवार के लिए स्थगित]

वाराणसी-आजमगढ़ रोड पर स्थित दानगंज बाजार में उद्योग की स्थापना का विचार

139—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से आजमगढ़ रोड पर स्थित दानगंज बाजार में पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण किसी उद्योग लगाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी से आजमगढ़ रोड पर स्थित दानगंज बाजार में राज्य सरकार द्वारा बृहत उद्योग लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत तीन इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं तथा 5 इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

ग्राम परसिया, तहसील सदर, जिला गोरखपुर की श्रीमती सरबती देवी के नाम ताड़ी की दुकान का लाइसेन्स

140—श्रीमती शारदा देवी—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की सदर तहसील में ग्राम परसिया की श्रीमती सरबती देवी को ताड़ी की दुकान का लाइसेन्स दिनांक 4-1-85 को दिया गया था? यदि हां, तो बकायेदार श्रीमती सरबती देवी को ताड़ी की दुकान का लाइसेन्स देने का क्या औचित्य है? इसके लिए कौन दोषी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

श्रीमती सरबती देवी ने परसिया ताड़ी दुकान के अनुज्ञापन हेतु जी—28 प्रपत्र में आवेदन करते समय इस तथ्य को छिपा लिया था कि वे वर्ष 1981-82 की आबकारी राजस्व की बकायेदार हैं जिसके कारण जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा परसिया ताड़ी का अनुज्ञापन श्रीमती सरबती देवी को दिया गया था।

यह ज्ञात होने पर कि श्रीमती सरबती देवी वर्ष 1981-82 के आबकारी राजस्व की बकायेदार हैं, उनका लाइसेंस जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बकायेदार होने के बावजूद उनको लाइसेंस देने के लिए जांच चल रही है। जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

विकास खण्ड सरदार नगर, जिला गोरखपुर में ड्रेनों की सफाई व खुदाई में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

141—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय देवरिया द्वारा विकास खण्ड सरदार नगर गोरखपुर में स्थित डुमरी ड्रेन बिलारी ड्रेन, मुहम्मदपुर ड्रेन, छबैला ड्रेन, चौरी ड्रेन, आमकोल ड्रेन, बाई सी नाला

की मरमत व खुदाई व सफाई का 15 अप्रैल, सन् 1986 से 31 मई 87 तक कितनी धनराशि खर्च किये हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त ड्रेनों की सफाई खुदाई व मरम्मत का काम केवल कागज में ही दिखाकर फर्जी मस्टर रोल बनाकर हर साल हजारों रुपये निकालकर संबंधित विभाग के अधिकारी हड़प लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0 ए0 सी0 से इसकी जांच मौके पर कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

डुमरी नाले की सफाई पर अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय देवरिया द्वारा 15 अप्रैल, 1986 से 31 मई, 87 तक रुपया 6265/- व्यय किया गया है। आम कोल नाले की सफाई पर रुपया 9627/- अधिशासी अभियन्ता गंडक नहर निर्माण खण्ड–6 देवरिया ने व्यय किया है शेष नालों की सफाई पर कोई व्यय इस अवधि में नहीं किया गया है। मस्टर रोल पर कोई कार्य एवं भुगतान नहीं किया गया है। सफाई का कार्य कार्यादेश के द्वारा कराये गये हैं जिसकी माप पुस्तिका में दर्ज है तथा भुगतान से पूर्व सहायक अभियन्ता द्वारा चेकिंग की गयी है। कोई फर्जी भुगतान की गुंजाइश नहीं है अतः किसी जांच अथवा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

विकास खण्ड सरदार नगर, जिला गोरखपुर में ड्रेनों की खुदाई व सफाई

142–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड सरदार नगर में स्थित मुहम्मदपुर डुमरी चौरी बिलारी छबैला आमकोल बाइसी नाला ड्रेन पर कितनी धनराशि दिनांक 15 मार्च, 85 से 10 अप्रैल, 87 तक खर्च की गयी? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का मात्र कागजात में दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो ड्रेनों की स्थिति पहले ही जैसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्यों है? क्या मंत्री जी उक्त सम्पूर्ण ड्रेनों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत ड्रेनों पर 15 मार्च, 85 से 10 अप्रैल, 1987 की अवधि में रु0 40,360.00 सफाई कार्य पर एवं रु0 2,96,882.25 निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया । सभी कार्य कार्यादेश/अनुबंध के द्वारा किया गया है जिनकी माप माप-पुस्तिका में दर्ज है। भुगतान से पूर्व सहायक अभियन्ता द्वारा माप की चेकिंग की गयी है इस प्रकार कोई फर्जी भुगतान की गुंजाइश नहीं है । ड्रेनों पर 3 पुलों का निर्माण किया गया है, जो मौके पर कार्य कर रहे हैं। सीमित संसाधन के कारण प्रश्नगत अवधि में किसी भी नाले की सफाई पूरी लम्बाई में नहीं हुई। इनमें से बाईसी नाले की सफाई इस अवधि में नहीं हुई। चौरी व छबैला नाला अभी निर्माणाधीन है। जिन ड्रेनों पर सफाई कार्य कराया गया है उन्होंने सन्तोषजनक ढंग से कार्य किया है अतः किसी जांच अथवा दोषी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

143—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

[3रे मंगलवार में अता0 प्रश्न संख्या 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम गाठैली विकास खण्ड गोवर्द्धन जिला मथुरा में लगाया गया राजकीय नलकूप

144—श्री मूल चन्द्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गाठैली वि0 खं0 गोवर्द्धन जनपद मथुरा में कोई राजकीय नलकूप लगवाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि करन सिंह बघेल जो दूसरे ग्राम के हैं उक्त नलकूप पर सम्पूर्ण कब्जा किए हुए हैं और लघु सीमान्त कृषकों व हरिजनों को कतई लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर और क्यों किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिलों में गन्ना सप्लायर किसानों को पशु आहार हेतु शीरा नियन्त्रित दर पर उपलब्धि

145—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना तथा आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे की चीनी मिलों में गन्ना सप्लायर किसानों को संबंधित मिलों द्वारा पशुओं के आहार हेतु शीरा नियंत्रित दर पर अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चीनी मिलों का शीरा नियंत्रित दर पर आसवनियों आदि के अतिरिक्त पशु आहार निर्माण करने वाली इकाईयों को भी दिलाया जाता है । यदि गन्ना सप्लायर पशु आहार निर्माण इकाई लगाते हैं तो उन्हें भी शीरा दिलाने पर विचार किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा मथुरा में स्थापित बिल्डिंग मैटीरियल काम्प्लेक्स में शेड संख्या—7 का आवंटन

146—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र मथुरा में एस-7 शेड के लिए विकास सिंडीकेट कारपोरेशन मथुरा द्वारा आवंटन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-7 दिनांक 4-4-85 के आधार पर मांगी गयी सभी औपचारिकताएं विकास सिंडीकेट कारपोरेशन मथुरा के भागीदार श्री रामफल शर्मा द्वारा पूरी कर दी गयी है ? यदि हां, तो 75,000 रु0 का एडजेस्टमेंट इस विकास सिंडीकेट कारपोरेशन मथुरा के नाम न कराने के क्या कारण है ? क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव, उद्योग श्री वी0 एन0 श्रीवास्तव द्वारा अपने पत्र संख्या 2970 क/18-7-86-82/86 दिनांक 19-12-86 के द्वारा प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा मथुरा में स्थापित बिल्डिंग मेटीरियल कोम्प्लेक्स शेड संख्या एस0 7 का आवंटन श्री मुहम्मद हनीफ मेसर्स मथुरा टेनरी मनोहरपुरा, मथुरा के नाम किया गया था । श्री मुहम्मद हनीफ ने मथुरा टेनरी मथुरा के नाम से उपरोक्त शेड के आवंटन हेतु रु0 75,770/ इस निगम में जमा किया था । इस निगम के संदर्भित पत्र संख्या-7 दिनांक 4-4-85 द्वारा श्री मुहम्मद हनीफ मथुरा से ही कुछ वैधानिक प्रपत्र मांगे गये थे । इसलिये शेड संख्या एस0 7 का आवंटन तथा मुहम्मद हनीफ के द्वारा जमा की गई धनराशि रु0 75,770/ का समायोजन मेसर्स विकास सिंडीकेट कारपोरेशन, मथुरा के नाम करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

उपरोक्त कारणों से मेसर्स विकास सिंडीकेट कारपोरेशन, मथुरा के आवेदन पर विचार करना सम्भव नहीं है।

ग्राम सुपाना, जिला मथुरा के कृषक श्री राम सिंह द्वारा अधिशासी अभियन्ता आगरा अपर कैनाल मथुरा व अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मंडल सिंचाई कार्य आगरा को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

147–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सुपाना तह0 छाता जिला मथुरा के किसान राम सिंह पुत्र श्री पूरन ने दिनांक 24-7-87 को इस आशय का प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता आगरा अपर कैनाल मथुरा व अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मंडल सिंचाई कार्य आगरा को दिया था कि चक नं0 1, 323, 372 पर बिना सिंचाई किये हुए सिंचाई अंकित कर दी गयी है? यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मंडल सिंचाई कार्य आगरा द्वारा अपने पत्र संख्या 9133 पी/60 दिनांक 28-7-86 के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा का पत्र संख्या 7663/3/पी-110/1 दिनांक 14-8-87 भी इस संदर्भ में मिला ? यदि हां, तो क्या इसमें की गयी कार्यवाही सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

148–149–श्री हर्ष वर्धन–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 165-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

150–श्री सरदार सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा निवेदन है कि एक तो सरकार गई गुजरी यों ही है, यह असम्बली से भागते हैं ।

आज हमारे केवल 6-7 प्रश्न हुए हैं, किन्तु अब इस तरह से होगा तो हमारा हक मारा जाएगा । इस पर आप कुछ ऐसा करें कि जवाब सबके आ जाया करें । 1-1 सवाल के ऊपर 25-25 सप्लीमेंटरी सवाल लोग करते हैं, इससे हमारा अहित हो जाता है । इसमें मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में मान्यवर, आप इसको देखें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी जो सुखपाल जी का सवाल था, उस पर आपने जो अनुमति दी, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, केवल विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कभी-कभी सदन में ऐसे मामले आ जाते हैं, जो सैद्धान्तिक होते हैं, जिसमें इधर या उधर का कोई मामला नहीं होता है, पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं होता है । हमारे इस तर्क से सभी सदस्य सहमत होंगे कि प्रशासनिक आधार पर किसी अधिकारी का एक बार ट्रांसफर कर दिया जाए, सचिव स्तर से और मंत्री के स्तर से उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, किन्तु फिर नीचे के स्तर के अधिकारी उसका पालन न करें, तो यह डेमोक्रेसी के विरुद्ध बड़ा घिनौना कुचक्र है । प्रजातन्त्र की और इस सदन की गरिमा को गिराने वाली यह बात है । यह सैद्धान्तिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका निराकरण होना चाहिए कि ऊपर से जिनका ट्रांसफर आर्डर हो गया, क्या उनका ट्रांसफर किसी लोभवश, किसी दबाव वश अथवा किन्हीं निहित स्वार्थों के कारण नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे और ऊपर के आदेश को अमान्य कर देंगे ? क्या यह हमारे प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य होगा, जिसमें दिया हुआ है कि कौन क्या कार्य करेगा । यह हमारा विधिक सवाल है, इसका निराकरण होना चाहिए। इस विषय में श्री श्रवण कुमार का क्या मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, किन्तु इस पर हमेशा के लिए फैसला हो जाए, इसलिए इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति में संदर्भित कर दें, जिससे स्पष्ट हो जाए कि किन परिस्थितियों में उनका ट्रांसफर हुआ था और फिर क्या-क्या स्थितियां आईं जिनके चलते नीचे के अधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन न कर, उसके विपरीत उसका ट्रांसफर रोक दिया गया । इससे हमारी स्थिति धूमिल हुई है । इसमें हमारे इधर और उधर के किसी सदस्य की बात नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग गपियारे में इस तरह की बात करते हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य लोग भी इस बात का रोना रोया करते हैं कि हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं होती है, अधिकारी जो चाहते हैं, मनमानी करते रहते हैं । इसलिए सत्ता और विपक्ष दोनों की बात मैं रखना चाहता हूं कि इस प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में प्रस्तुत कर दिया जाए ।

*श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, इसी कार्यसूची में आज मेरा एक प्रश्न इसी प्रकार नत्थी 'ग' में सातवें नम्बर पर था, जिसे तीसरे बुधवार के लिए स्थगित किया गया है। यह भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े मामले से सम्बन्धित है। इस मामले में हमने और हमारे साथी दो विधायकों रवीन्द्रनाथ तिवारी और गौरी शंकर भइया ने राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन देकर स्पष्ट आरोप लगाया था कि देहरादून जनपद में यमुना नदी पर बनने वाले लखवाड़ और व्यासी बांधों की निविदाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने तीन करोड़ रुपया लेकर उसकी स्वीकृति दी है । इसमें साढ़े तीन महीने से ऊपर हो गया है, इसको स्थगित करने का कोई न्यायपूर्ण कारण नहीं है। मैं अपने अधिकारों का संरक्षण आपसे चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि आप इसी सत्र में इसका उत्तर हमें दिलवायें और इस प्रकार हमारे अधिकारों की रक्षा करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में ही इस समय हमारा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आज की ही कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 66 कि ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह है कि क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 20 अगस्त, 87 का पत्र जो देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों की निविदाओं को स्वीकार करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण लगभग 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो पत्र के तथ्य क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई, इसका जो जवाब हमारे पास यह आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, मेरे पास श्री नूर मोहम्मद, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र की प्रति है, उसकी फोटो कापी मैं आपके पास भेज रहा हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है–जनपद देहरादून में यमुना नदी पर बनने वाले लखवाड़ एवं व्यासी बांधों के लिए आमंत्रित निविदाओं को स्वीकार करने में अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित आपका पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1987 प्राप्त हुआ । इसे मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, सिंचाई विभाग को भेज रहा हूं । वहां से जवाब आया कि "पत्र प्राप्त हो गया है। मान्यवर, उसके बाद आज जवाब आ गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, एक प्रश्न तो यह था और एक तारांकित में था तो वह तो स्थगित ही हो गया और अब अतारांकित प्रश्न में जवाब आ गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, मेरा निवेदन है जैसा कि कि हर्ष वर्धन जी ने भी कहा कि हम लोगों ने राज्यपाल को 10 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था । 24 जुलाई को मान्यवर, दूसरा ज्ञापन दिया उसमें दूसरा आरोप था कि मुख्य मंत्री जी ने एक अरब रुपये की धनराशि को कमीशन के रूप में अर्जित किया है । मैं दोनों ज्ञापन की कापियां आपके पास भेज रहा हूं और आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रख रहा हूं मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सत्ता पक्ष इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों को बहुमत का लाभ उठाकर दबाने का प्रयास करेगा और मान्यवर, आपका संरक्षण नहीं होगा तो हमें न्याय कैसे मिलेगा इस लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसमें न्याय करें । मान्यवर, मैं जो सचिव का पत्र आया, जो इधर से पत्र गया और जो 10 जुलाई को ज्ञापन दिया और जो 24 जुलाई को ज्ञापन दिया इन सबकी कापियां आपके पास भेज रहा हूं और मान्यवर, इस तरह के जो जवाब आ रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है इसमें आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । भ्रष्टाचार के इस मामले को दबाने का सुनियोजित षड्यंत्र सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है इस पर अंकुश लगाया जाए।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, हमें भी तो सुन लें ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जहां तक प्रश्नों का संबंध है जो प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं जितनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानकारी उस समय तक प्राप्त हो जाती है उसके अनुसार दिए जाते हैं । कभी कोई जानकारी ऐसी होती है जिसके प्राप्त न होने पर प्रश्न का उत्तर अधूरा रहता है, तो मजबूरी में यह लिखना पड़ता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । इसका यह मतलब नहीं है कि तथ्यों को छिपाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें चाहे किसी मंत्री परिषद् का कोई सदस्य हो या अधिकारी हो उसको छिपाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है । अगर ऐसी बात सामने आती है, तो बड़े-बड़े आदमी के खिलाफ कार्यवाही होगी । जहां तक प्रश्नों के उत्तर आने की बात है तो यह माननीय सदस्यों की बात सही है कुछ प्रश्नों के उत्तर आने में विलम्ब हो जाता है और उत्तर उनको नहीं मिल पाते हैं तो उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि या तो सदन नहीं होता है या और किसी वजह से उनके पास उत्तर नहीं पहुंच पाते हैं इसमें हम शीघ्र से शीघ्र माननीय सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सब बैठें। मैं माननीय सदस्यों के भावों का आदर करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा कि "सूचना एकत्र की जा रही है" ऐसा कम से कम जवाब दें और कोशिश करें कि समय के अन्दर प्रश्नों का जवाब आ जाए। सत्रकाल जो यह चल रहा है यह तो बहुत कम दिनों का है, मैं देखूंगा कि आपके जवाब सत्रकाल में ले लिए जाएं ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । अभी अम्मार साहब ने स्पष्टीकरण दिया कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो बक्शा नहीं जायेगा चाहे वह कितना बड़े से बड़ा क्यों न हो । लेकिन मान्यवर, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर माननीय हर्ष-वर्धन ने और तिवारी जी ने करोड़ों रुपयों की रिश्वत के आरोप लगाये हैं । तो उनके खिलाफ यह क्या कार्यवाही करेंगे यह बता दें ?

*श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर जहां तक माननीय हर्षवर्धन जी का प्रश्न है उसमें 3 करोड़ रुपयों की रिश्वत की शिकायत थी उसको छिपाने में सरकार की नीयत हो सकती है लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि माननीय श्री त्रियुगी नारायण मिश्र का ता0 प्रश्न जो क्रम सं0 4 पर है यह 28-4-87 का प्रश्न है । यह प्रश्न 2 बार स्थगित किया गया है । माननीय मिश्र जी ने पूछा था कि अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने, जो स्थानान्तरित हो गये थे उन्होंने 10 दिन बाद वहां के 30 लोगों को नौकरी से हटा दिया, तो उसमें कौनसी सूचना एकत्रित करने की बात थी यह मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । एक अधिशासी अधिकारी को बचाने के लिए यह सरकार इस प्रश्न को टाल रही है । मैं श्रीमन्, आपने जो सरमन प्रीच किया है, उससे संतुष्ट नहीं हूं । यह आपकी जिम्मेदारी है सरकार की नहीं । सरकार को यह हक हासिल नहीं है कि किसी सवाल को बार बार स्थगित कर दें । सरकार को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष को सन्तुष्ट करना पड़ेगा । आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि स्थगन का कोई आधार है या नहीं । यह आपकी कमजोरी है कि सवाल स्थगित हो रहे हैं । मैं जानना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि विधुती नारायण मिश्र का सवाल जो है वह क्यों साल भर से टाला जा रहा है । इसका क्या औचित्य है क्या आपको शासन ने बतलाया है । पूर्व अध्यक्षों के निर्णयों का आप ध्यान करें, मनन करें । इस कुर्सी पर बैठे हुये अध्यक्षों ने, 20 सालों में मैंने देखा है कि बार-बार मुख्य मंत्री को तंबीह किया है, मंत्रियों को तंबीह किया है और उचित समय दिया है सवाल के स्थगन के लिये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो अप्रेल का सवाल है उस सवाल को 2 बार माननीय उद्योग मंत्री ने किन आधारों पर स्थगित कराया है । यह आप उनसे पूछ लें और आप निर्णय दीजिए कि कोई आधार है या नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि आज की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 को देखने की कृपा करें । प्रश्न में पूछा गया है कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग के राज्य कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 1984 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री की उपस्थिति में कोई त्रिपक्षीय समझौता हुआ था । यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या थीं एवं उसको अब तक लागू न करने का क्या कारण है । मान्यवर, इसका उत्तर मिला है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । यह प्रश्न दो बार पहले स्थगित हो चुका है 20-5-87 तथा 15-7-87 को ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था पर तो व्यवस्था नहीं हो सकती ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिस सवाल को लेकर व्यवस्था उठायी गयी है, तो उसमें यह हो सकता है कि यह प्रश्न वक्त से नहीं आया । लेकिन इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती प्रश्न देर से आया या इसका जबाब नहीं आया इस बात पर बात हो सकती है । लेकिन प्रश्न की व्याख्या की जाय यह मुमकिन नहीं है । प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं की जा सकती ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

हरीश जी खड़े हैं, उनको मैं सुन लूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, निवेदन है कि 1984 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था राज्य कर्मचारियों, सिंचाई विभाग और शासन में उसके बारे में कह सकते थे कि नहीं हुआ । यह कहने के बाद कि समझौता नहीं हुआ था बात समाप्त हो जाती ।

मान्यवर, 1984 के समझौते की बात तीन-तीन बार स्थगित हो गयी । इसके लिए 3-3 बार स्थगित करने का क्या औचित्य है ? इसी सत्र में इसका उत्तर मान्यवर, दिलाने की कृपा करें ।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, नेता विरोधी दल की हैसियत से मुझे पहले बोलने का अवसर मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय नेता विरोधी दल को बोल लेने दीजिए ।

माननीय नेता विरोधी दल, आप बोलिए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे कहना यह है कि आज प्रश्नों के विषय में जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया, उसके उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी डा0 अम्मार रिजवी साहब ने बड़ी सफाई से यह कह दिया कि किसी प्रश्न के उत्तर को सरकार टालना नहीं चाहती है। माननीय खान गुफरान जाहिदी साहब ने बल दे दिया कि इस बिन्दु पर चर्चा नहीं होनी चाहिए । मान्यवर, आप इस सदन में हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं और यह आपकी ऐसी सरकार जो हर मसले को टालना चाहती है, प्रश्नों के उत्तर देना नहीं चाहती है, उसे आपको निर्देश देना चाहिए, जैसे कि माननीय हरीश जी का सवाल था, मई का प्रश्न था, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि इस सरकार को जानकारी के लिए महीनों-महीनों लग जायं, इसका उत्तर तो 15 दिन में आ जाना चाहिए था और आज 7 महीने हो रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा है। यह तो इस सरकार के निकम्मेपन का परिचय है। मान्यवर, इनकी नियत साफ नहीं है। मान्यवर, इस निकम्मी सरकार के लिए आप आदेश दें कि ये समय से हर प्रश्नों का जवाब दें, किसी प्रश्न को टालने की कोशिश न करें।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, पहले तो आपसे निवेदन यह है कि आप अपनी रूलिंग देकर भी उससे हट जायेंगे, तो यह सदन चल नहीं सकता, और मेरा यह आरोप है कि आपकी वजह से सदन में अव्यवस्था फैलती है।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, यह आरोप है। यह बहुत गलत आरोप लगाया गया है। मान्यवर, यह नो-कांफीडेंस का आरोप है। मान्यवर, यह कबड्डी जारी है, यह कबड्डी चल नहीं पायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा सीधा सा एक सवाल है माननीय हर्ष वर्धन जी ने और माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने, उस वक्त मुख्य मंत्री जी सदन के अन्दर नहीं थे, सीधा आरोप लगाया है । एक मामले में 3 करोड़ रुपये का और एक मामले में एक अरब से भी ज्यादा का । इन्होंने आपको लिखकर भी दे दिया और वह सदन की प्रापर्टी बन गया । उसके बाद माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने यह कहा कि जो सवाल है उसमें देरी नहीं की जायेगी हम कोशिश करेंगे कि सवाल का जवाब जल्द मिले वह तो मान्यवर, नहीं मिल सकता लेकिन इन्होंने एक बात पर जोर दिया कि किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जांच करेंगे तो यह आरोप लगाये हैं माननीय हर्षवर्धन जी ने और माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने तो इस संबंध में कौन सी एजेन्सी द्वारा जांच करायेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य एक तरफ कहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं होता है, माननीय सदस्य यह नहीं सोचते हैं कि जब दूसरे का सम्मान आप नहीं करियेगा तो आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है ।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

झूठे एलीगेशन लगायेंगे, झूठी बात करेंगे और ऐसी बात कहेंगे जो बेसलेस हो, निराधार हो, उसको लिखकर और हाउस में कोई बात कह देना यह मान्यवर, कोई हाउस के लिए, माननीय सदस्यों के लिए भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है । जहां तक प्रश्न 66 के बारे में कहा गया है, यह कहा गया कि सवाल की जो चिट्ठी मिली इसमें लिखा है कि पत्र मिला, पत्र मिलना दूसरी बात है । सवाल का जो उत्तर आता है उस उत्तर को देने में कभी यह आता है तो दिया जाता है, पूरी सूचना न आने पर कह दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । यह दोनों अलग चीज है इसमें कहीं विरोधाभास की बात नहीं है । दूसरी बात है कि जब कभी यह कह देना कि किसी चीज में किसी का हाथ है, यह बात इस तरह कह दी जाती है, यह हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, किसी पर भी कोई चार्ज लगा सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं एक भी गलत काम मैं न करूंगा और न करने दूंगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेंजें थपथपाई गयीं)

जो लोग इस तरह की बात करते हैं वह खुद गलत काम करते हैं ।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गलत आरोप लगाना इनका काम है । यह गलत आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं कि समाज में जो प्रजातंत्र है, वह कमजोर हो जाय । यह इनका षड़यन्त्र है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बात कही गयी है वह बिल्कुल निराधार है ।

(मेजों की थपथपाहट)

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रवीन्द्र नाथ जी आपने उठा लिया तो मैंने निर्देश भी दे दिया ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने जो आरोप लगाये हैं, निराधार हैं । मान्यवर, यह आरोप मैंने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर लगाया माननीय मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर लगाया, सदन में कहा मैं चुनौती देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने एक जगह प्रेस कांफ्रेंस में यह कह दिया कि अगर हिम्मत हो तो विधान सभा में यह आरोप लगाया जाय । आज हमने विधान सभा में भी वही आरोप लगया । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं एक वक्तव्य के बारे में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखबारों में कहा कि गोरखपुर में किराये के मकान में रहता हूं । जो 24 जुलाई को राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया उसमें मैंने कहा है कि इन्होंने करीब करोड़ रुपये की जमीन की लिखा पढ़ी कराई (व्यवधान) और 15 लाख रुपये के स्टैम्प ड्यूटी की चोरी की है । (घोर व्यवधान)

मान्यवर, मेरी चुनौती है कि हर्षवर्धन जी के पास . . . .

(व्यवधान)

यह नहीं चलेगा । हर्षवर्धन जी के पास, हमारे पास, मान्यवर. . . .

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

यह अनर्गल आरोप यह कब तक लगाते रहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, आप बैठें ।

श्री मुईद अहमद–

यह अनर्गल आरोप कब तक लगाए जाते रहेंगे । आप उनसे कहें कि वे क्षमा प्रार्थना करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको मौका दे दिया और कह दिया कि इस सत्र के अन्दर इसका जवाब आ जाय । अब आप बैठें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई बात छिपने वाली नहीं होती है और मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी शुरू से जब भी आए, किसी के खिलाफ एलीगेशन लगाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं रहा । जो 12वां विकास सम्मेलन हुआ, उसमें वहां की जनता कहने के लिये, फैजाबाद की जनता के लिये कोई बात इन्होंने नहीं कही । केवल कहते रहे कि यह भ्रष्टाचार, वह भ्रष्टाचार ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के पुनः खड़े होने पर) अब आप बैठें । आप जो भी बोलेंगे, लिखा नहीं जायगा । मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं, उसके मुताबिक जो कहा था, उस पर बाद में बहस होती रहे, यह मुनासिब नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत तैश में हो गये ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आप गाली देंगे तो तैश में नहीं आऊंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आरोप लगे तो किसी आधार पर लगे होंगे । यह माननीय मुख्य मंत्री जी किसी को गाली देना नहीं होता । तैश में आने से तो बेहतर यह होता कि जो भी मा0 तिवारी जी ने आरोप लगाए, सही हैं या गलत, अच्छा यह होता कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री ऊपर की तरह से आरोपों के घेरे में न फंसे, इसलिये बेहतर यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की हैसियत से आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसकी जांच हाईकोर्ट के किसी जज से करा लें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

अगर कोई आरोप हो, किसी व्यक्ति ने पेशा बना लिया हो, धंधा बना लिया हो, आरोप लगाने का, यह सरकार को बदनाम करने का षड़यंत्र है । इसका कोई शिकार नहीं बन सकता है । मैं जानता हूं, आप सब षडयंत्र करना चाहते हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप सब बैठें । नियम 301 के अन्तर्गत . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले सदन को व्यवस्थित करायें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह तो आपका काम है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री पर जब . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

राम शरण दास जी, आप दूसरों को नसीहत करते हैं, लेकिन खुद अमल नहीं करते ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जायं ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दीजिये मैं आपकी मदद करना चाहता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं खड़ा हूं, आप सब भी खड़े हैं, सदन में व्यवस्था कैसे हो। आप सब लोग कृपा करके बैठ जायं । माननीय रेवती रमण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि माननीय तिवारी जी ने और माननीय हर्षवर्धन जी ने एक बात कही, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उस पर अपनी बात कही, लेकिन उससे कोई बात साफ नहीं हो पायी है। सदन में जो आरोप लगाये गये, यह एक गम्भीर बात है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी एक जज से उसकी जांच करा लें, तो उचित होगा।

वे जांच नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सदन का परित्याग करते हैं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

(श्री मुलायम सिंह यादव, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । यह विषय सदन के सामने था ही नहीं, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं भी अपने साथियों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं, आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, गंभीर आरोप लगाये गये, माननीय मुख्य मंत्री जी जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं भी अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग करता हूं ।

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये उनके साथ श्री कौशिक रमाशंकर और श्री हरिशंकर तिवारी भी सदन से उठकर चले गये)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने एवं बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आप तो सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं। अब बात समाप्त हो गयी। मैं अगली मद ले रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं पहले खड़ा हुआ, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी खड़े हुए, लेकिन आपने माननीय मुलायम सिंह जी को बुला लिया, मैं उनके सम्मान में बैठ गया । मैं फिर खड़ा हुआ, आपने माननीय रेवती रमण सिंह जी को बुला लिया। मान्यवर, हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए । सदन चलते समय भेदभाव करना कोई शोभनीय नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप ही के दल के लोगों ने व्यवस्था उठायी थी, अपनी बात कही थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह विषय सदन के सामने नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । अब कोई बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[x x x]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्य मंत्री जी को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए थी, वह इसके लिए तैयार नहीं है। मैं भी अपने दल के साथियों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)
(श्री शतरुद्र प्रकाश व श्री फजलुल बारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

बलिया जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं। इसमें पहली सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की, दूसरी श्री राज किशोर सिंह जी की, तीसरी श्री मित्रसेन जी की, चौथी श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की, पांचवीं श्री विष्णु देव जी की, छठी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की और सातवीं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की है ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन व सरकार के संज्ञान में अत्यन्त लोक महत्व का मामला लाकर बताना चाहता हूं कि बलिया जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिला पूर्ति कार्यालय के कुछ लिपिक जनपद के आपूर्ति निरीक्षक और विपणन निरीक्षक, विपणन अधिकारी तथा कुछ कालेबाजारिया व उनके सफेद-पोश संरक्षक आदि मिलजुलकर तहस-नहस कर रहे हैं। हमारे रसड़ा तहसील के सीयर क्षेत्र में एक ही कालेबाजारियों द्वारा चालीस सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें विभिन्न नामों से चलाने व गुण्डों के बल पर जनता को सस्ते मूल्य पर वितरित किये जाने वाली चीनी, चावल, पाम आयल को चोरबाजारी में बेचने की बार-बार शिकायत के पश्चात कारगर कार्यवाही न होने तथा एक छापे में चौदह दुकानों के कागजात, आपूर्ति निरीक्षक के सादे चालान फार्म पर हस्ताक्षर, ग्राम प्रधानों की मुहरें, रजिस्टर आदि सहित घोर अनियमितता पाये जाने के बाद भी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विरोधी तत्व पर गम्भीर कार्यवाही न होने से चिन्ता व्याप्त है। नागरिकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अस्तु आपके माध्यम में माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस अत्यन्त लोक महत्व के मामले में कार्यवाही की मांग करता हूं।

वाराणसी जनपद के विकास खण्ड आराजी लाइन्स में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, जनपद वाराणसी के खण्ड विकास क्षेत्र आराजी लाइन्स के राजा तालाब के क्षेत्र के ग्राम वीरभानपुर, कचनार, हर, मेहंदीगंज, मड़ई, भिखारीपुर, बंगालीपुर, चित्तापुर, रसौना, खजुरी बड़ी, खजुरी छोटी, जोगापुर, महगांव, कोइली, ढढोरपुर, कृष्णदत्तपुर, भीमचंडी, असवारी, बूड़ापुर, दीपापुर, कचहरिया, चन्दापुर, सिगही, भीसमपुर, गंजापुर आदि पचासों गांवों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इन गांवों में आवश्यकतानुसार हैन्डपम्प भी लगवाने की कोई योजना नहीं है। जल निगम की ओर से राजातालाब में ग्राम समूह पेयजल योजना अरसे से स्वीकृत होकर कागज पर पड़ी हुई है किन्तु अमल में न आने से ग्रामवासियों में असन्तोष व्याप्त है।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन से वाराणसी जनपद के राजातालाब क्षेत्र में अतिशीघ्र पूर्व से स्वीकृत ग्राम समूह पेयजल योजना कार्यान्वित कर उक्त ग्रामों की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

विकास क्षेत्र हरिश्चन्द्रगंज, जनपद फैजाबाद में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की सूची में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, विकास क्षेत्र हरिश्चन्द्रगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अपने व्यवसाय एवं प्रयोजन हेतु आई0 आर0 डी0 योजना के तहत जो ऋण स्वीकृत किये गये हैं, उसमें लाखों रुपये का घोटाला किया गया है। ग्रामीण बैंक शाखा अछोरा तथा बैंक आफ बड़ौदा, शाखा शाहगंज, फैजाबाद से जो ऋण वितरित किया गया है उसमें 90 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को न तो पूरे ऋण की धनराशि भुगतान की गयी है और न ही वे चयनित व्यवसाय योजना को क्रियान्वित ही कर सके। चयनित व्यक्तियों में से बहुतेरे व्यक्तियों के नाम से कुपात्र लोगों को ऋण भुगतान किया गया है। जबकि उक्त ऋण की वसूली चयनित व्यक्तियों के नाम से हो रही है। इस प्रकार ग्राम निमखी, अछोरा, मुकीमपुर, घुरहेटा आदि ग्राम सभाओं के तमाम पात्र व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सका है। इस प्रशासनिक एवं आर्थिक घोटाले के प्रकरण से खण्ड विकास हरिश्चन्द्रगंज, फैजाबाद के कृषकों में भारी असन्तोष व्याप्त है।

अतएव आप अनुरोध है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को विफल करने वाले दोषी व्यक्तियों की जांच करायी जाये तथा अनियमित ऋण वितरण के घोटाले के दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में विकास शुल्क उगाही से उत्पीड़ित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, अल्लापुर क्षेत्र, इलाहाबाद के दसों हजार मध्यम कमजोर वर्ग के नागरिक नगर महापालिका, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के भय और आतंक से अत्यन्त मानसिक दबाव और दहशत में भी रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी अल्लापुर में दोहरे विकास शुल्क के नाम से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ लोगों से विकास शुल्क 6 रु0 90 पैसा लिया गया है जबकि अन्य लोगों से इस महंगाई के भीषण दौर में 151 रु0 की मांग की जा रही है। मकानों को ध्वस्त करने की नोटिसें भेजी तथा कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य हो कि 1971 में जन प्रतिनिधियों एवं शासन के बीच उत्तर दक्षिणी अल्लापुर का विवाद समाप्त करने व 5 रु0 समान विकास शुल्क लेने की बात तय होने के उपरान्त एल0एस0 जी0 डी0 लखनऊ पत्रांक संख्या 2018ख/37-36(3)25/66 दिनांकित 5-6-71 जारी किया गया। किन्तु इसके बावजूद अधिकारियों की साजिश से शोषण जारी रहा। फिर 1981 में शासनादेश संख्या 3014/27-2-81(38)(111) 25/66-81 द्वारा 6 रु0 90 पैसा विकास शुल्क निश्चित किया गया। इलाहाबाद में वर्षों से अड्डा जमाये भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश से दोहरे शुल्क लगाये जाने से आम नागरिकों में असन्तोष बढ़ रहा है और जनतांत्रिक आन्दोलन प्रारम्भ हो गये हैं।

अतः इस विलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर जारी 1971 तथा 1981 के शासन, जनप्रतिनिधियों के निर्णयों के अनुपालन की मांग करता हूं।

जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया के ग्राम जमुनियां में भीषण डकैती की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णुदेव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिहा के ग्राम जमुनिया में 25/26 अप्रैल, 1986 की भीषण डकैती का माल बरामद होने पर भी कोई कार्यवाही न होने, गृह स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र देने पर उल्टे पुलिस डकैतों द्वारा आतंकित करने, परिणामस्वरूप गृह स्वामी के घर छोड़ने पर विवश होने एवं ग्राम व देहात में आतंक की स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उक्त भीषण पचासों हजार की डकैती किशोरी लाल हरिजन के यहां हुई, कई व्यक्ति जख्मी हुए। डकैती का माल मोटर साइकिल बरामद हुई। पुलिस ने डकैतों का पता लगाकर कोई कार्यवाही नहीं की। गृह स्वामी के आवेदन पत्र देने पर स्थानीय पुलिस ने जबरदस्ती सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया। पुलिस डाकुओं के आतंक से गृह स्वामी घर छोड़ने पर विवश हुआ है। ग्राम जमुनियां व देहात में आतंक व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर डकैतों एवं स्थानीय पुलिस कर्मियों की कर्तव्यहीनता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।

प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर में श्रमिक उत्पीड़न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्लाईवुड प्रोडक्ट्स सीतापुर में सेवायोजकों द्वारा कामगारों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न चालू है। वह श्रमिक कानूनों का लाभ नहीं पाते । स्टैण्डिंग आर्डर्स लागू नहीं और न उनकी जानकारी कामगारों को दी गई। वर्षों से प्राप्त लकड़ी, बुरादा, चाय आदि की सुविधा बन्द है। मासिक वेतन वाले कर्मचारी 1985 से वार्षिक बढ़ोत्तरी से वंचित । कामगारों का वर्गीकरण नहीं । फरवरी, मार्च, अगस्त व सितम्बर, 1985 तथा इन्हीं महीनों का 1986 का परिवर्तनीय महंगाई भत्ता नहीं दिया गया । नियुक्ति पत्र नहीं दिये जाते । प्रोन्नतियां मनमाने ढंग से तथा कारखानों के लिए अनुमन्य सवेतन अवकाश, नगर, रात्रि ड्यूटी, ओवर टाइम भत्ता नहीं मिलता । कामगारों के दिवंगत होने पर आश्रितों की नियुक्तियों में भेदभाव । दैनिक मजदूरों को 18 दिन बाद निकालना ।

सेवायोजकों से मजदूर नेताओं की बातें हुईं परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । मजदूर आन्दोलित हैं। धरना घेराव हो रहा है। शासन के तुरन्त हस्तक्षेप करके मजदूरों को अपना हक दिलाने की मांग करता हूं ।

जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का जमाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में कामता प्रसाद सुन्दरलाल स्नातकोत्तर साकेत महाविद्यालय आजकल अपराधियों और अराजक तत्वों का प्रमुख केन्द्र बन गया है। सरकारी बसों में बिना टिकट बैठकर महिलाओं से छेड़खानी करने और यात्रियों को परेशान करने की घटनायें आये दिन होती हैं। मना करने पर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की भी उन लोगों ने पिटायी कर दिया और 23 दिसम्बर, 1987 को दो गिरोहों में हुई मारपीट में बमों और हथगोलों का खुलकर प्रयोग हुआ जिसके कारण कालेज अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है। इन अराजक तत्वों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमें पंजीकृत होने के बावजूद जिला प्रशासन उन पर हाथ डालने में असमर्थ है क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अपराधीगण खुले आम घूम रहे हैं और आये दिन का उनका प्रतिनिधि मण्डल जिलाधिकारी से मिलता है। इन सब बातों से जनता आतंकित है और पढ़ने वाले बहुसंख्यक छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है । अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार करने और कालेज को खोलने की मांग करता हूं ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 में 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी के बिना अनुमति खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। यदि आप बोलेंगे तो लिखा नहीं जायगा, आप बैठें। आप कल दे दीजियेगा, अब इजाजत नहीं दे रहा हूं। नियम 301 की बाकी सूचनायें अस्वीकार कर दी गयी हैं।

9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं नियम 300 में, अब मैं उनको लेता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारा गया)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए ही हमारे संविधान में व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गयी थी। इसके माध्यम से हम कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं विधान सभा में चर्चा के माध्यम से। चूंकि हम सदस्यगण विधान सभा में चर्चा के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, अतः सरकार बड़ी चालाकी से विधान सभा के उपवेशनों को कम करती जाती है। कुछ अधिकार विधान सभा के आपकी नियमावली में प्राप्त हो गये, कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट के अन्तर्गत तथा अन्य अधिनियमों में हमको मिले हुए हैं जिसके अंतर्गत हमें इनके आयोगों के लेखा-जोखा पर तथा समिति की रिपोर्टों पर चर्चा करने का अधिकार मिला हुआ है लेकिन जब उपवेशन ही नहीं होगा तो चर्चा कैसे करेंगे ? यह सरकार बड़ी चालाकी से उपवेशन न कराकर बच जाती है। महालेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, जिसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सरकार के खिलाफ हैं। हमारा हक बनता है कि चर्चा करके उसकी कमियां दूर करें, 90 दिन के उपवेशन की व्यवस्था है। स्वर्ण जयन्ती पर स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा था कि बहस होनी चाहिए और मोटी बहस होनी चाहिए लेकिन ये तो हमें पतली बहस ही नहीं करने देते तो मोटी बहस क्या करने देंगे। सेक्शन 14 में 90 दिन विधान सभा प्राविधानित है, हुई भी है 112 दिन हुई है, 108 दिन हुई है और 110 दिन भी हुई है, 1938 में और 1937 में 79 दिन और 32 दिन भी चली है। अबकी बार जो योजना है 30 दिन भी नहीं चलने वाली है। इसीलिए मैंने औचित्य का प्रश्न पूछा है। जानना चाहता हूं कि क्या कार्यपालिका ने व्यवस्थापिका के अधिकारों को विच्छेदित कर दिया है? क्योंकि यह उस ठग के समान है, जो आसानी से अपने शिकार को फंसाकर उसे लूट लेता है, इसी प्रकार यह हमारे अधिकारों को कुंठित करते जा रहे हैं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री हृदय नरायन दीक्षित का नाम पुकारा गया किन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न नियमावली के नियम 14 और 23 के सम्बन्ध में है। नियम 23 में है कि असरकारी दिवसों पर सरकारी कार्यों पर असरकारी कार्यों को अग्रता प्राप्त होगी, चार से अधिक हमारे असरकारी दिवस पहले से पेण्डिंग हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होना तो यह चाहिए था कि उनको शुरू में ही दिया जाता लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। माननीय माता प्रसाद पाण्डे जी ने जो कहा, मैं उसको दोहराता नहीं, मैं ज्यादा न कह कर आज जो प्रदेश की स्थिति है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक ओर 1987-88 की योजना के लिये सरकार को 25 अरब की धनराशि मिली है जिसमें से हम अब तक केवल 16 अरब ही ले सके। इधर सिनेमा घरों की हड़ताल के कारण सरकार का मनोरंजन कर के रूप में लगभग 10 करोड़ का घाटा हुआ है। मुख्य मंत्री का जो विवेकाधीन कोष है उससे 35 लाख रु0 की खैरात उड़ाई गयी है इन मुख्य मंत्री जी के जमाने में जैसे कि कहीं से बहुत बड़े राजा हों जो खैरात लुटा दिया। 350 करोड़ की व्यवस्था की गई है सूखा राहत में लघु सीमान्त कृषकों को देने के लिये तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए लेकिन यह सारे कार्य केवल कागजों पर ही हो रहे हैं। सूखे के लिये अभी तक उत्तर प्रदेश को केवल डेढ़ अरब रुपया मिला है जबकि उत्तर प्रदेश से छोटे-छोटे प्रदेश जैसे राजस्थान, गुजरात हमसे चार या पांच गुना अधिक सहायता ले चुके हैं। क्या ऐसी स्थिति में केवल दो दिन की ही बहस सूखे पर हो, इसे आप पर्याप्त समझते हैं?

मेरा निवेदन है कि कम से कम इस पर 14 घण्टे तक बहस होनी चाहिये क्योंकि जब तक हर क्षेत्र का सदस्य अपने क्षेत्र के लिए राहत कार्यों की बात यहां नहीं कह पाता, अपने क्षेत्र की बात को आपके संज्ञान में नहीं ला पाता, तब तक यह बहस पूरी नहीं हो सकती है। इसके अलावा तीन विधेयकों की भी बात है जिसमें से सहकारिता और स्थानीय निकायों के बारे में जो कि लोकतंत्र की रीढ़ हैं, उसकी बहस केवल दो ही घण्टे में आप कराने जा रहे हैं जबकि कम से कम इस पर तीन दिन बहस होनी चाहिये। यदि आप इस पर बहस नहीं करायेंगे तो समस्याओं के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कैसे जान पायेंगे? अभी भ्रष्टाचार के बारे में मैंने जो बात कही, मैं मुख्य मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि मैंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, उस पर आप कोई आयोग बैठा दें, कोई भी हमारी बात अगर गलत साबित हो तब कहियेगा।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, इस हाउस में एक परम्परा रही है कि कोई भी बात होती है, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य एक बात को दस बार, बार-बार कहते हैं, लगता है कि उनके पास दूसरा कोई काम रह ही नहीं गया है, तो क्या सरकार उनके लिये बेकार बैठी है? सरकार के पास और भी काम है। जो ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है, वही दूसरे को भ्रष्टाचारी कहता है।

मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि मैं जबसे इस कुर्सी पर बैठा हूं और जब तक रहूंगा, एक भी गलत काम नहीं करूंगा और न किसी को करने दूंगा। जो आप चार्ज लगा रहे हैं, वह बिलकुल निराधार है। इस तरह से कोई बात बनने वाली नहीं है। जो सही बात है उसे आप जनता के सामने रखें केवल सरकार को बदनाम करके, जनता के दिमाग को उलझा करके प्रदेश के विकास में रोक लगायें, यह बहुत बड़ा जनता के साथ षड्यन्त्र है।

(व्यवधान)

जहां तक सूखे की बात है, यह बात सही है कि बात संज्ञान में आनी चाहिये । इसके लिये मैंने हर मण्डल के सदस्यों की बैठक बुलायी थी और सबको मौका दिया था अपनी बात को कहने का । इसमें प्रदेश के अधिकारीगण भी थे । अभी केवल चार मण्डल-बनारस, लखनऊ, बरेली तथा बुन्देल खण्ड, यह चार मण्डल शेष हैं जिनसे अभी और विचार-विमर्ष करना बाकी है। बाकी और मंडलों के विधायकों से बात हो गयी है। सूखे के बारे में सभी सदस्य बोलना चाहते हैं, बोलना भी चाहिये, तो मैं चाहूंगा कि आप जितना चाहें, दो घन्टे का समय दिया गया है, आप इसको 4 घन्टे बढ़ा दें, 12 बजे रात तक चर्चा चलायें । यह चर्चा बारह बजे रात तक चलायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि.....

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह सरकार जो है वह विधान सभा से भागती है। सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं है, यह तो सड़क-सड़क की चर्चा है । सरकार रोज सूखा-सूखा चिल्लाती है, रेडियो और टेलीविजन पर इनके सारे मंत्रियों के बयान होते हैं और सूखे पर चर्चा करने से यह भागते हैं। इस पर 14 घन्टे नहीं बल्कि 14 दिन बहस चलनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर जिले में करोड़ों रुपयों की सूची भेजी है, जो सूची दिया है, उसका 10 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया है। सारा का सारा पैसा यह अधि-

(व्यवधान)

कारी रोके हुये हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस सार्वजनिक हित में जनता को सही माने में राहत पहुंचाये। सरकार उस पैसे को बरबाद न करे, उसका दुरुपयोग न करे और सही माने में जनता तक पहुंचाये । इस पर एक सप्ताह तक लगातार चर्चा होनी चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा एजेन्डा है, उसके तहत जो कार्यवाही चल रही है, उसी के अनुसार चलनी चाहिये। इस समय जो अनिवित्य के प्रश्न लाये जाते हैं, उनमें जो प्वाइन्ट इनवाल्व होते हैं वह आपके समक्ष रखे जाते हैं और उसके बाद सूखे पर बहस की बात आती है । जब सूखे पर बहस हो तो यह सब बातें आनी चाहिये । माता प्रसाद पाण्डेय जी ने यह प्रश्न उठाया है कि सदन को 90 दिन चलना चाहिये, तिवारी जी ने कहा, सिंह साहब ने कहा और हृदय नारायन, जो इस समय नहीं हैं, ने कहा कि संविधान की पहली लाइन में लिखा है कि सदन 90 दिन चलना चाहिये तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भारत के संविधान में किस आर्टिकिल में लिखा है कि सदन 90 दिन चलना चाहिये, एक तो आप यह बता दें ।

(व्यवधान)

बात तो सुन लें । इसके बाद नियमावली पर आता हूं। आपकी बात मैं सुनता हूं, आप मेरी बात को भी सुन लें। मैं उतनी योग्यता से नहीं कह रहा हूं, जितनी योग्यता से आप कहते हैं। नियमावली में मान्यवर, आप देखें कि उसमें सामान्यत: लिखा है। मेरा यह अनुरोध है कि आप भी सहमत होंगे कि सदन 90 दिन तक चलना चाहिये, तीन सत्र होने चाहिये–विन्टर, बजट और मानसून, होने चाहिये । इस साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसी की पूर्ति की जा रही है । तिवारी जी ने औचित्य के प्रश्न के द्वारा इस बात को उठाया है, मैं समझता हूं कि वह बड़े विद्वान हैं और हमेशा पढ़ा लिखा करते हैं, नियम 300 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। तिवारी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे जैसे जाहिल की बात समझ में आ जाये, नियम 300 के अन्तर्गत इसको लाकर उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन 90 दिन नहीं बल्कि सदन 100 दिन चलना चाहिए। [x x x]

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....(व्यवधान) । संसदीय कार्य मंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए.....(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

यदि अनुशासन रहेगा, तो सदन चलेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के आचरण की बात कही है । 90 दिन नियमावली में है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। यह सदन का अपमान है।

श्री अम्मार रिजवी–

मैंने कोई अपमान नहीं किया है। सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। इस पक्ष की भी है और आपकी भी है। अगर किसी की गल्ती हो तो उसको सजा दें। दोनों अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे तो सदन 100 दिन चलेगा ।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय तिवारी जी के लिये कहा है कि वे बहुत पढ़े-लिखे हैं। मैं इसे मानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों में से हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के आचरण के बारे में कहा है इस पर मुझे सख्त आपत्ति है, यह निन्दनीय है । इतना पढ़ा-लिखा समझदार संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के आचरण पर आरोप लगायें, यह शोभा नहीं देता । क्या यह आचरण है कि सरकार मंहगाई बढ़ाती चली जा रही है, सूखे के कोई भी दस गांव चुन लीजिये, क्या राहत दी गई, क्या यह आचरण है.....(व्यवधान) क्या मुख्य मंत्री का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है।- - -(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोलिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री राजस्व मंत्री भी हैं। आज सरकार अपने आचरण से उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन उद्योगपतियों को दे रही है लूट रही है । 5 हजार की जमीन उद्योगपतियों को 10 हजार में दे रही है। यही नहीं, मान्यवर, मैं आचरण की बात कह रहा हूं कि उद्योगपतियों को जितनी जमीन दी जा रही है।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप व्यवस्था पर ही बोलिये . . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरा प्रश्न यह है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 5 हजार में जमीन ली जा रही है और उसमें वे कारखाने लगा रहे हैं, 95 बीघे में खेती-बाड़ी कर रहे हैं। क्या यह आचरण है। क्या यही समाजवादी आधार है । इसी आचरण की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि आपके राजस्व मंत्री और सरकार का आचरण समाज विरोधी है, किसान विरोधी है। . . . .

(श्री शारदा प्रताप के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री . . . (व्यवधान)। माननीय मुलायम सिंह जी ने एक बात कही है। उसका उन्हें स्पष्टीकरण का मौका होना चाहिए।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह सदन की गरिमा का प्रश्न है . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर) माननीय नेता विरोधी दल मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है आप बाद में बोल लीजियेगा । (व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, अभी तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया उस पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह का आचरण किया जाता है क्या उससे 90 दिन सदन चल सकता है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री संभवतः यह कहना चाहते हैं कि हम सदन चलाने के पक्ष में हैं लेकिन विपक्ष नहीं चलने दे रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों के सहयोग से नहीं चलता है । क्या यह सदन इस तरह चलेगा कि जो आप कहेंगे हम सुनेंगे और जो हम कहेंगे आप नहीं सुनेंगे । मैं समझता हूं कि जो तिवारी जी ने कहा पूरी तरह से सूखे पर चर्चा होनी चाहिए, इस सदन में जो 425 माननीय सदस्य हैं उन सबको अपने-अपने क्षेत्र के विचार रखने हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहाना बताया कि मंडलीय सम्मेलन बुलाये हैं (व्यवधान) तो उस में मैं कहना चाहता हूं कि . . . . .

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैंने यह कहा कि अभी 4 मण्डलों के सदस्यों के सम्मेलन नहीं हुए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

पहली बात यह है कि जब सब जगह के सदस्यों से बात नहीं हुई और जहां सम्मेलन बुलाया है वहां पर भी हर माननीय विधायक को नहीं बुलाया । रुहेलखण्ड के सदस्यों को नहीं बुलाया ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभी वहां का सम्मेलन नहीं बुलाया जा सका ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यपाल सिंह–

तीसरी बात यह कि लोकतांत्रिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए यहां पर कोई बात कही जाती है तो उसमें विपक्ष भी अपनी बात कहता है तो उसके लिए सत्ता-पक्ष हमें मौका नहीं दे रहा है तो कैसे आप भरोसा करते हैं कि मण्डलीय स्तर पर आपके द्वारा किए जा रहे सम्मेलनों में हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जायेगा । इसलिए मैं समझता हूं कि सूखे के महत्वपूर्ण विषय पर जिससे सारा प्रदेश दुखी है, परेशान है पर चर्चा करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाय इसे माननीय मुख्य मंत्री स्वीकार करें और अभी इसकी घोषणा करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह को मैंने बुलाया है, वह भी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । (व्यवधान) (श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर) बरार साहब, आपको भी सुनूंगा, आप बैठ जायं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उन्होंने तथ्यों को तोड़मरोड़ कर सदन के सामने रखा । उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण, सदन में जो हो रहा है वह निन्दनीय है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मैंने यह बात नहीं कही ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहा । माननीय पाण्डेय जी ने तथा रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो कहा उसके लिये कहा कि संविधान में कहां है तो मैं इस सदन की जो नियमावली है उसको बताना चाहता हूं । यह सदन नियमावली के तहत चलता है तो सभा के उपवेशन के संबंध में इसमें लिखा है 14 में कि अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय- व्ययक, वर्षा कालीन और शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे । तो यह इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है । मान्यवर, यह काम सदन का नहीं है कि पिछले सदन में, जब हम लोग 52 आदमी सदन से बाहर निकाल दिये गये थे, जनता के सवाल उठाने पर तो एक दिन के अन्दर 5-10 मिनट में 65 विभागों का बजट सरकार ने पास कर लिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ और वह भी कार्य मंत्रणा समिति से पास नहीं हुआ था, लेकिन जब आज सूखा पड़ा है, 12 घन्टे और बढ़ा दिया जाये, ऐसा क्यों, आज पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री स्वयं कहते हैं कि इतना बड़ा सूखा 100 सालों में नहीं पड़ा और इस पर दो घन्टे की चर्चा कर रहे हैं । तो क्यों नहीं एक सप्ताह की चर्चा सदन में हो जिससे सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य इसमें भाग लें सकें । आपने कहा कि मंडलीय बैठकें कर लें, उसका काम क्या सदन से होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि मण्डलीय बैठकों से सदन का कार्य हो जाये तो सदन को बन्द कर दिया जाये और विधायकों से कह दिया जाये कि मण्डलीय बैठकें करें, ऐसा है तो पार्लियामेन्ट

क्यों साल में चार बार बैठकें करती हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री सदन में आश्वासन दें कि कम से कम एक सप्ताह सूखे पर चर्चा सदन में होगी, दो-चार घण्टे से काम नहीं चलेगा ।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा है उसकी मैं निन्दा करता हूं। उनको इस तरह की बात सदन में नहीं कहनी चाहिए थी।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता सदन खड़े हों तो आप लोगों को चाहिए कि बैठ जायं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . . (व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

व्यवस्था का प्रश्न है . . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर सुन रहा हूं । अभी कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री मुलायम सिंह यादव और नेता विरोधी दल को सुना, हमारे सामने जन मोर्चा, जनता पार्टी या लोकदल का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब नेता सदन, नेता विरोधी दल खड़े हों, तो सामान्यतः यह होता है कि पहले उनका समय दिया जाता है । लेकिन नेता सदन बैठ गये, तो मैं श्री बरार को बुलवाता हूं ।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं, एक-एक करके बोलें। श्री जयदीप सिंह बरार।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि सदन की कुछ गरिमा है, संसदीय कार्य मंत्री, जिनको मैं स्वीकार करता हूं कि पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सदन के सदस्यों के आचरण पर कुछ आक्षेप किया आपके सामने किया, यह सदन की अवमानना है । वह आक्षेप अपनी सरकार के निन्दनीय कार्यों की करें, असफल प्रशासन की करें लेकिन जो आक्षेप संसदीय कार्य मंत्री ने किया है वह संसदीय परम्पराओं को इस तरह से उन्होंने कुचला है जिस तरह काशीपुर की जनता ने उनको सदन के सदस्य होने के योग्य नहीं समझा था । तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस सदन के किसी भी सदस्य पर उसके सदन में आचरण के संबंध में, एक ऐसे व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, ऐसा आक्षेप करने का क्या अधिकार है ।

(श्री नेक चन्द्र पाण्डेय आदि कई सदस्य श्री बरार के सामने से खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे) (व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका कोई यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बरार साहब ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं इस सदन के किसी भी सदस्य को . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप आसन ग्रहण करें । अब कुछ नहीं लिखा जाएगा । आपने व्यवस्था बनाने के बजाए उसे तोड़ने का कार्य किया है।

(घोर व्यवधान) (कई सदस्य अपने अपने स्थानों से खड़े होकर एक साथ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब, आसन ग्रहण करें, मैंने इजाजत नहीं दी । आपका लिखा नहीं जाएगा । बरार साहब, आसन ग्रहण करें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

यह अपनी पार्टी का नाम बतावें, यह बरार साहब किस पार्टी में हैं?

(बहुत से माननीय सदस्य दोनों पक्ष के अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे और बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री मुईद अहमद–

यह किस पार्टी में हैं, किससे जीतकर आए हैं, इनके कौन नेता हैं यह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह बरार साहब से आप बाद में पूछियेगा, लिखकर भेज दीजिए । बरार साहब यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है, अब मैंने शतरुद्र प्रकाश जी को बुलाया है।

(श्री जयदीप सिंह बरार बराबर अपने स्थान पर खड़े रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपको बरार साहब बहुत समय दे दिया, अब समय नहीं दे सकता हूं, आप बैठ जाइये ।

श्री मुईद अहमद–

बरार साहब खड़े हैं, उनसे पूछवा लीजिए कि वह किस पार्टी से आए हैं, किस नेता का उन्होंने नारा दिया था, वह जो आज ऐसी बात कह रहे हैं । किस नेता का नारा लगाकर वह यहां पहुंचे हैं ?

श्री शारदा प्रताप–

यह लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप . . .

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इस तरह कैसे यह चलेगा, मैं कहना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं खड़ा हूं । अगर आप शान्ति नहीं बनाइयेगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है । यह सबका दायित्व है । मैंने बरार साहब को बुलाया था, उनको करीब 6/7 मिनट लग गये । उस पर शोर शराबा हो गया । अब मैंने शतरुद्र प्रकाश जी को बुलाया है, वह बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इजाजत नहीं दी है । आप सब बैठें ।

(व्यवधान)

मैंने शतरुद्र जी को बुला लिया है, आप उनको सुनें ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

अरे बरार जी, अपने जन्म का अता-पता तो बता दें ।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था के प्रश्न पर भाषण नहीं होगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अभी आचरण की दुहाई दे रहे थे क्या वह इसी आचरण की दुहाई दे रहे थे । माननीय बरार साहब व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की हठवादिता

(घोर व्यवधान)

के कारण मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री की हठवादिता के कारण बरार साहब अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, यह बरार साहब की बात में विघ्न डालना चाहते हैं ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चले इसके लिए जरूरी है कि जो सदस्य अपनी बात कहना चाहता है, उसकी बात को सुना जाए ।

(घोर व्यवधान)

इनके पक्ष के लोग बेलगाम हो रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

बरार साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसको भी तो सुनना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, हाउस चलाने की बात, जैसा कि कहा गया हम लोग भी चाहते हैं कि हाउस चले और ज्यादा से ज्यादा चले । मान्यवर, जितना भी कार्य होगा प्रदेश के लिए उसकी हमारी जिम्मेदारी है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारी भी जिम्मेदारी है ।

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

पूरे हाउस की जिम्मेदारी है । जब हम "हमारी" कहते हैं तब आप हम सब उसमें आ जाते हैं । हमारा प्रयास यह होगा कि विधान सभा का सत्र जितना ज्यादा चल सके चलायें। जहां तक सूखे की बात है वह सही है । सूखे की समस्या गंभीर है, काफी प्रदेश को उससे नुकसान पहुंचा है। सूखे पर 30 तारीख, 31 तारीख और 4 तारीख को बहस रखी गयी है । मैं चाहता हूं कि 12 बजे, 2 बजे रात तक चर्चा की जाय ।

(शोर)

सूखे के संबंध में हम खुद चिंतित हैं । मुझे याद है कि अभी जब बैठक इलाहाबाद में हुयी थी, माननीय रेवती रमण सिंह वहां बैठे हैं, साढ़े 12 बजे तक इलाहाबाद में बैठक हुयी । ऐसी और मण्डलों में हुयी हैं । हम लोग साढ़े 12 बजे, 2 बजे तक आसानी से बैठ सकते हैं । जहां तक हाउस चलाने की बात है हमारा यह प्रयास होगा कि जो हमारा बजट सेशन होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा समय तक सदन चलाकर जो भी सरकार के काम हैं, पूरा काम कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम भोजनावकाश तक के लिये उठते हैं।

(इस समय 1 बजकर 47 मिनट पर भोजनावकाश हेतु सदन स्थगित हुआ । भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, कोरम का अभाव है।

(व्यवधान)

*श्री शत्रुरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपके सामने विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव रखता हूं जो आपके संज्ञान में और सदन के अन्दर हुआ है । नियमों में यह प्राविधान है कि आपके संज्ञान में बात लाई जाय। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर नियमों के तहत 90 दिन का सत्र चलाने की बात कही थी। उसी के साथ-साथ उन्होंने विपक्ष के आचरण के संबंध में कहा कि उसके रहते सदन 90 दिन तक नहीं चल रहा है। मान्यवर, श्री अम्मार रिजवी इस सदन के सदस्य नहीं हैं । वह चूंकि इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वह इस सदन के अन्दर किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सदन के अन्दर इस तरह की टीका-टिप्पणी करके सदन की अवमानना की है । मान्यवर माननीय बरार साहब ने इस प्रश्न को उठा कर आपके संज्ञान में लाने की कोशिश की थी, परन्तु इन्हें बोलने नहीं दिया गया। मान्यवर, इस प्रश्न पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां तक कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने यह विशेषाधिकार की बात कही है, वह मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, वह जो कुछ कहें, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैंने जो सदन में बात कही थी, उसे मैं फिर दोहराता हूं। मैंने कहा था कि हम सबका आचरण ऐसा होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही 90 दिन चले। मैं 90 दिन ही नहीं, 100 दिन तक चाहता हूं कि सदन चलना चाहिए। मान्यवर, मंत्रि मण्डल में कोई व्यक्ति आता है, तो उसे 6 महीने तक मेम्बर भी होने की आवश्यकता नहीं है, इसका संविधान में प्राविधान है। उसको न देख कर, उसको माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने नजर अंदाज किया है। सम्मानित सदन के अन्दर, सदन की अथवा किसी सम्मानित सदस्य के अवमान की मेरी मंशा नहीं थी और न है। लेकिन मैंने जो कहा था, आपके माध्यम से फिर मैं यह गुजारिश करूंगा कि सदन को एजेंडे के तहत, नियमावली के तहत हम सबको सहयोग देना चाहिए। आज सूखे पर बहस होनी है, मेरा निवेदन है कि आप और आइटम ले लें, ताकि सूखे पर ज्यादा से ज्यादा बहस हो सके। मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो बात कही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कार्यवाही देख लें, बगैर कार्यवाही देखे हुए, कोई निर्णय न दें। मान्यवर, डाक्टर अम्मार रिजवी साहब सदन के अन्दर बैठ सकते हैं, परन्तु न तो वोटिंग में भाग ले सकते हैं और न ही सदन के अन्दर किसी सदस्य के प्रति टीका-टिप्पणी कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पहले वाले वाक्य वास्तव में आक्षेपपूर्ण थे। आप पहले कार्यवाही मान्यवर, देख लें। इसका आश्वासन देने में क्या दिक्कत है? मान्यवर, अगर आपका मन कहे कि वह वाक्य संसदीय भाषा के प्रतिकूल था, तो उसे आप कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा भी निवेदन यही है, कार्यवाही आप देख लें, यदि उसमें ऐसा कोई शब्द है, तो उसे आप अवश्य ही कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अगर कार्यवाही में है तब तो इनके खिलाफ अवमानना का प्रश्न उपस्थित किया जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की स्वयं मंशा नहीं रहती है, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ था उसका जरूर उन्हें एहसास हुआ होगा। मेरा अनुरोध है कि इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दीजिए न इनको आपत्ति है और न हम लोगों को आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें।

जो यह सवाल 300 के अंतर्गत उठाया गया कि सदन 90 दिन चलना चाहिए। हमारी नियमावली में भी सामान्यतः शब्द का प्रयोग हुआ है कि सामान्यतः 90 दिन सदन चलना चाहिए। लेकिन यह अधिकार महामहिम राज्यपाल को है। 174 कांस्टीट्यूशन की धारा के अन्तर्गत वह सदन को आहूत करते हैं। हमेशा यह चर्चा होती रहती है कि 90 दिन चलना चाहिए तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सदन चले लेकिन आहूत करने का अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदय का है।

विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें। दूसरा यह है कि शतरुद्र प्रकाश जी ने जो 63 के अन्तर्गत उठाया, मैं उसकी अनुमति नहीं देता (व्यवधान) अगर आचरण के बारे में कुछ कहा गया है, उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह जो कार्यक्रम 4 दिन का है वह सरकार के लिए अपशकुन है। 67 में 5 सिटिंग हुई थीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, 77 में 4 सिटिंग हुई थीं दोनों बार मुख्यमंत्री चले गये तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के पीछे क्यों पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश एवं श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह अशोक बाजपेयी जी ने दिया है, संविधान की मूल भावना का आघात, वर्ष 70 से म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हुए हैं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आप मुझे 2 मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरी बात केवल 2 मिनट सुन लें 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो निरन्तर जो संविधान की मूल भावना है उसका आघात करने का काम कर रही है। चुनाव न होने से नगर नगरीय का जीवन नरकीय हो गया है पचीसों बार विभिन्न मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि 6 माह में चुनाव करा दिये जायेंगे लेकिन चुनाव नहीं कराये गये। स्थिति यहां तक पहुंची की हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका ले जानी पड़ी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 6 माह में चुनाव करा दिये जायं। मान्यवर, यह सरकार तो झूठ का पुलिन्दा है। इसकी कथनी और करनी में अन्तर है। जब जनतंत्र की पहली सीढ़ी ही टूट जायेगी तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। (व्यवधान) मान्यवर, नगरीय जीवन नरकीय जीवन बन गया है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत मैं इसको अस्वीकार करता हूं। बाजपेयी जी, आप बैठें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं (घोर व्यवधान) सरकार इस पर कोई निश्चित आश्वासन दे कि कब तक चुनाव करायेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं एक बात कह दूं..

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इसे अस्वीकार कर दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा एक संवैधानिक प्रश्न है। संविधान की 10वीं सूची के अन्तर्गत दल बदल विधेयक बनाया गया। कोई भी मा0 सदस्य जो इस सदन का सदस्य है, दलीय है या निर्दलीय है को किसी पार्टी में शामिल होने या पार्टी बनाने का हक नहीं है। उसको न तो आपकी तरफ से न अखबारात या रेडियो, टेलीवीजन की तरफ से किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं कहा जा सकता। यह जाब्ते की बात है। हमारे देश और प्रदेश में कितना संविधान का ध्यान रखा जाता है, कैसी संविधान की व्याख्या की जाती है, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ायी जाती हैं, यह सब तो रोज यहीं पर देखते हैं। मैं आपके माध्यम से औचित्य का एक प्रश्न उठा रहा हूं। जो निर्दलीय सदस्य हैं, उनके बारे में किसी पार्टी का सदस्य होना अखबारात लिखते हैं तो, उनको बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो और टेलीविजन कहता है तो क्या वह सही करता है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको आप औचित्य के रूप में नहीं उठा सकते। नियमावली है, उसके तहत उठाइये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप रेडियो और टेलीवीजन पर रोक नहीं लगा सकते। किसी निर्दलीय सदस्य को किसी दल विशेष का सदस्य सरकार बताती है, यह सरकार की मंशा है। इस पर रोक कौन लगाएगा।

श्री उपाध्यक्ष–

आप इसको नियमावली के तहत लाइये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह किसी नियमावली के तहत आता है। इसको नियमावली के अन्तर्गत ही उठा रहे हैं। यह नियमावली कहां रखी है। किस लाइब्रेरी में रखी है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इसको व्यवस्था के रूप में ले लें। आजम खां साहब की बात को किसी रूप में ले लें। यह तो नहीं चलेगा कि हाउस में कोई निर्दलीय हो और बाहर दूसरी बात कही जाय। रेडियो बोलता है कि फलां दल का, फलां पार्टी का, आप इस पर रोक लगाएं । आप निर्देशित कीजिये। किसी इंडिपेंडेंट को किसी दल से जोड़ने से काम नहीं चलेगा।

श्री मुईद अहमद–

क्या कोई निर्दलीय सदस्य कोई दल बना सकता है, या उसमें शामिल हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

यह मामला इलेक्शन कमीशन का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसका इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

इलेक्शन कमीशन संविधान के तहत है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अभी जब बरार साहब बोल रहे थे तो इस तरफ से आवाज आयी कि जनमोर्चा के सदस्य बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने नहीं कहा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इनको इस सदन के बाहर जनमोर्चे का बोला जाता है तो यहां पर भी मानना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस मामले का इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है। इस आदरणीय सदन के दो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं टांडा और छपरौली जहां के चुनाव नहीं हो सके हैं, यह संयोग है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इनको और इनके साथियों को कांग्रेस से निकाला गया, इन्होंने जनमोर्चा बना लिया। बाहर ये कांग्रेस के नहीं कहे जाते हैं। यहां इनको जनमोर्चा का मान लेना चाहिये। जो निर्दलीय हैं उनको बाहर कांग्रेसी कैसे माना जा सकता है। यह एक उसूल की और दस्तूर की बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रदेश में दो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं . . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आजम साहब, आप बैठें । बरार साहब, आप भी बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरे बारे में सदन में बात कही गयी, मुझे भी उस सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें । मैंने माननीय गुप्त जी को बुला लिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, या तो आप उसे कार्यवाही से निकलवा दें । अब अगर सदन में मैं मौजूद हूं मेरे बारे में कोई बात कही गयी, यदि उसके बारे में मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा, तो यह कहां तक उचित है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरी बात पर आपकी कोई रूलिंग नहीं आयी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अस्वीकार कर दिया । मैंने कह दिया कि मैं उसे अस्वीकार करता हूं । एण्टी डिफेक्शन बिल के तहत नियमावली बनी हुई है, उसके तहत आप कोई बात रखना चाहेंगे तो रखियेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे आप अवसर दें । मेरे बारे में बात कही गयी ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, जिस प्रकरण पर बात समाप्त हो गयी, आप निर्णय दे चुके, उसे पर आगे बहस नहीं हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप सब बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप मुझे संरक्षण प्रदान करें । या तो आप उसे रिकार्ड से निकलवा दें या मुझे भी बोलने का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर निर्णय हो गया, मैंने उसे अस्वीकार कर दिया । बरार साहब आप बैठें उन्होंने आपके बारे में कोई आक्षेप नहीं लगाया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 289-क की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इसमें यह प्राविधान है कि किसी सदस्य के बारे में कोई बात

कही जायेगी तो पहले उसे लिखकर आपके पास दिया जायेगा, उसकी प्रतिलिपि संबंधित सदस्य को भी दी जायेगी । मान्यवर, इन्होंने तो वाद-विवाद का सहारा लेकर अपनी बात कहनी चाही । मैं नियमों के तहत ही आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे इस नियम के तहत ही बोलने का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप लोग बैठें । मैंने माननीय गुप्त जी को बुला लिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरे बारे में बात कही गयी, मैं सदन में मौजूद हूं मुझे भी आप स्पष्टीकरण का अवसर दें यह मांग तो मैं नियमों के तहत ही कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने उनकी बात को भी अस्वीकार कर दिया । उन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाये । मैंने कह दिया कि एण्टी डिफेक्शन बिल की नियमावली के तहत कोई बात आयेगी तो उस पर विचार करूंगा । अब आप लोग बैठें । गुप्ता जी को मैंने बुला लिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, या तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । मेरा तो नम्र निवेदन है कि जब इन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगा दिया, तब तो मैं आपका संरक्षण मानूंगा । मान्यवर, आप संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे तो कैसे काम चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आक्षेप लगा होगा, तो मैं देख लूंगा कार्यवाही को देख लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुये । मैं चुनाव आयोग की आपसे बात नहीं करता । मान्यवर, आप संविधान का अनुच्छेद–324 देखने की कृपा करें । इस अनुच्छेद-324 में हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की है कि एक चुनाव आयोग होगा, वह चुनाव आयोग इस तरह के चुनाव करा कर विधान सभा के सीट्स को भरने का कार्य करेगा, यह उसका काम है और दायित्व भी है । मान्यवर, आप अनुच्छेद-324 का सब क्लास-6 भी देखने का कष्ट करें । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब निर्वाचन आयोग ऐसी संस्तुति करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग को अपने कर्मचारीगण उपलब्ध करायेगा । मान्यवर, ऐसा प्राविधान है सीट्स को भरने के लिये । इस प्रकार चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भी लिखा, उन्होंने कहा कि आप चुनाव का कार्यक्रम घोषित करिये, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम घोषित नहीं किया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की इन निर्वाचन क्षेत्रों की जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजने में समर्थ नहीं हो सकी । यदि इस तरह से परिपाटी चलती रही, राज्य सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करें, तो मान्यवर, कोई इलेक्शन होंगे ही नहीं । इस भावना के बारे में मैं आपका ध्यान संविधान निर्मात्री परिषद् की ओर ले जाना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में श्री काटजू ने एक संशोधन रखा और यह कहा कि चुनाव

आयोग को ही कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी जाये ताकि उसके द्वारा चुनाव हो सकें । लेकिन यह कहा गया कि चुनाव तो कभी-कभी होते हैं । इसलिये इस काम के लिये कर्मचारियों को एक बड़ी फौज देना उचित नहीं होगा और तब श्री अम्बेदकर ने जवाब दिया कि जब निर्वाचन आयोग अगर सिफारिश करें तो उस समय राज्य सरकार अनिवार्य रूप से कार्यक्रम घोषित करेगी। संविधान निर्माताओं ने जो वर्णित किया है, कि उसकी अवहेलना की जा रही है । अब मुझे मान्यवर, यह जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने यह लिख दिया कि हमारे यहां विधि की व्यवस्था ठीक नहीं है तो, मैं यह समझता हूं कि इससे हमारे प्रदेश में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । अगर यह सरकार विधि की व्यवस्था को ठीक करने में समर्थ नहीं है, तो इस सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिये था, लेकिन उन्होंने त्याग-पत्र न देकर चुनाव कराने में बाधा उत्पन्न कर प्रजातन्त्र विरोधी कार्य किया है। यह जनता के अधिकारों को हनन करने वाला काम है। अब सरकार एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है, जो संविधान की भावना के विरुद्ध है । मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे हमारे प्रदेश की जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजने से वंचित रह गई । यह सब इन्होंने ऐसा इसलिये किया क्योंकि इनमें जनता का सामना न करने की बाध्यता, झूठे और गलत तरीकों से काम करने की बाध्यता है । आप इस संबंध में सरकार को उचित निर्देश दें कि यथा-समय चुनाव करायें जायें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह निश्चित रूप से बहुत गम्भीर प्रश्न है, इस प्रकार से तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को बागपत में, इलाहाबाद में टाण्डा में और एक जगह और है, चुनाव कराने के लिये लिखा । यहां के मुख्य मंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उसमें यह बताया है कि चूंकि इस समय राज्य में कानून-व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, यहां पर कानून का राज्य नहीं है, यहां पर अमन-चैन कायम नहीं है, इसलिए इन जगहों पर चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं । जब इस प्रकार की बात मुख्य मंत्री लिखता हो तो निश्चित तौर से एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है । इसलिए मेरी मांग है कि चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया है, उसे सदन में आना चाहिए । सारे मंत्रि मण्डल को त्याग पत्र दे देना चाहिए ।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाये जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री सूर्य प्रताप शाही जी की नोटिस है, इसलिए उन्हें सुन लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

बात तो वह वही कहेंगे जो आपने कही है । कोई नई बात तो कहेंगे नहीं । उनको मैं बाद में मौका दे दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उन्हें सुन लीजिए ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, हमारी जो यह उत्तर प्रदेश सरकार है, इसके सारे कार्य संविधान के विरुद्ध है । जिस समय हमारा यह सदन चलता है, उस समय भी यह सरकार संविधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ध्यान नहीं रखती। संविधान में स्पष्ट तौर से एक मैन्डेटरी प्रोविजन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग सरकार को लिखे तो राज्य सरकार को कर्मचारियों को मुहैय्या कराना चाहिए जिससे चुनाव हो सके। लेकिन यह उत्तर प्रदेश इतनी अक्षम है और यह लिखकर भेज दिया कि हम चुनाव कराने की हालत में नहीं हैं, जबकि यह मैन्डेटरी प्रोविजन है कि जब कभी चुनाव आयोग को आवश्यकता होगी तो वह राज्यपाल व राष्ट्रपति को लिखेगी और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को मुहय्या करवायेगी। यदि ऐसी स्थिति बनी रही, और संविधान की रक्षा नहीं होती है तो एक संवैधानिक प्रश्न पैदा हो जाता है इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरी भी सुन लें। सभी को आप मौका दे रहे हैं। मैं भी कांग्रेस संसदीय दल का विधायक हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपा करके बैठ जायं

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक संविधान की बात है। माननीय श्री गुप्ता जी ने जो संविधान का हवाला दिया। सीधी सीधी बात यह है कि चुनाव और उपचुनाव की व्यवस्था करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन आदेशित करता है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह हर स्टेट में और हर जमाने में होता आया है राज्य सरकार को इलेक्शन कमीशन लिखता है। कोई कठिनाई उस समय हो सकती है। राज्य सरकार कमीशन को लिखती है। यह इलेक्शन कमीशन पर है कि वह उसे माने या न माने। इस समय सूखे की समस्या है हर अधिकारी व कर्मचारी राहत कार्यों में लगे हुए हैं। अगर इस वक्त कोई समस्या आ गई है और इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है तो इसमें कोई संविधान की अवहेलना नहीं की गयी है बल्कि जो अधिकार दिये गये हैं और जो प्रशासनिक कठिनाइयां किसी भी राज्य सरकार को किसी समय हो सकती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन को लिखा जाता है, वह नहीं मानता है या मान लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। यह प्रश्न संवैधानिक दृष्टि से चुनाव आयोग से सम्बन्धित है, अतः यह चर्चा का विषय नहीं बन सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह हमारी जानकारी में है कि इन्होंने विधि व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा की है। सूखे का बहाना लेकर चुनाव टाला जाय, यह गलत है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संवैधानिक प्रश्न उठाया है कि हमारे प्रदेश की विधान सभा और लोकसभा में दो-दो निर्वाचन क्षेत्र अपने प्रतिनिधियों से वंचित हैं और इस समय निर्वाचन आयोग को जो उत्तरदायित्व है और जिसके सम्बन्ध में अनुच्छेद 234 का जिक्र किया है, जिसके तहत इनका चुनाव कराना चाहिये, तो

अब तो चौधरी चरण सिंह का स्वर्गवास हुए भी 7 महीने हो गये हैं, स्व0 श्री जयराम वर्मा जी को भी काफी समय हो गया है, इलाहाबाद की सीट भी खाली है । इतना समय हो गया है फिर भी अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिये कठिनाई है, तो उसका उल्लेख कर सकते हैं लेकिन अगर चारों निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक ही राय जाहिर की है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है, तो संवैधानिक संकट यह पैदा हो गया है कि अगर कानून व्यवस्था का सहारा लिया है तो इनको सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है और यदि ऐसा नहीं है, तो उस पत्र के सम्बन्ध में सदन को अवगत करायें कि क्या कठिनाइयां बतायी हैं जिनके कारण चुनाव नहीं करा पा रहे हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संवैधानिक मुद्दा उठाया है, उस सम्बन्ध में प्रशासनिक कठिनाई को स्पष्ट रूप से सदन में बतायें ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं ।

नियम 300 के अन्दर आप किसी पत्र विशेष की मांग नहीं कर सकते हैं । इसको यदि आप मांगना ही चाहते हैं तो किसी अन्य तरीके से मांग लीजिये । मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह गलत बयानी कर रही है । इसीलिये हम मांग रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जांय ।

श्री सत्यपाल सिंह–

अगर प्रशासनिक संकट है और कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो इन्हें सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है । ये निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के चारों हिस्सों में बंटे हुए हैं, इसलिये इस पत्र का आना जरूरी है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उन्होंने कहा कि सूखा राहत के कार्य में लोग लगे हुए हैं, मैं आपको दावत देता हूं कि बलिया जिले में कहीं भी कलेक्टर, डी0 एम0 या ए0 डी0 एम0 एक भी दिन सूखा राहत में दौरा करने नहीं गये । सब नसबन्दी के काम में लगे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब सूखे पर चर्चा होगी, तब आप कहें । अभी आप बैठें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 29 अगस्त, 1977 को तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए वर्ग बनाये थे जिसमें कि वर्ग 1, 2 और 3 में 15 प्रतिशत और वर्ग 4 में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की व्यवस्था की गयी थी । इसी आधार पर श्री छोटे लाल ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी जिसके संबंध में वहां से जनवरी, 1979 में फैसला किया गया कि चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के संबंध में छानबीन ठीक से नहीं करवायी है इसलिए यह आदेश संविधान के तहत नहीं है इसलिए यह आरक्षण समाप्त किया जाय ।

इस पर तत्कालीन जनता सरकार ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अब वीर बहादुर सिंह की सरकार ने इस पर कोई विवेचना नहीं करवायी और चूंकि मण्डल आयोग के कमीशन की रिपोर्ट उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हो गयी है इस बिधा पर उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार उस पर विचार करले, इस गुण-दोष के आधार पर इस पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया कि मण्डल आयोग की सरकार इस पर विचार कर रही है ।

चूंकि विवेचना ठीक से नहीं करायी गयी थी इसलिए 10 अगस्त, 1987 को उसने रिट को खारिज कर दिया । अब हमारे प्रदेश में संविधान के तहत कोई आरक्षण नहीं है और न इस संबंध में यह सरकार कोई राजाज्ञा कर रही है । अतः इसे निरस्त किया जाता है, यह कह कर न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया । अतः मैं निवेदन करता हूं कि आप सरकार को स्पष्ट आदेश दें कि आरक्षण के संबंध में अविलम्ब कोई राजाज्ञा जारी करें अन्यथा यह भ्रम की स्थिति जो आज पैदा हो गयी है इस संबंध में सरकार की क्या नीति है, इसको आप स्पष्ट कराने की कृपा करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता । हमलोग परीक्षण करा रहे हैं इसलिए ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि इस पर कुछ कह सकें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता । प्रश्न यहां टीका -टिप्पणी करने का नहीं है बल्कि प्रश्न तो यह है कि हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से जो वकालत की जानी चाहिए थी, वह वकालत नहीं की गयी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में । जब हाईकोर्ट से आरक्षण समाप्त होता है तो सरकार का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि आरक्षण के संबंध में अविलम्ब राजाज्ञा जारी करे ताकि पिछड़े वर्ग को पूरा-पूरा आरक्षण मिले । सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है । आज उत्तर प्रदेश के 52 प्रतिशत लोगों का भविष्य इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है इसलिये इस प्रश्न को मामूली तौर से न लिया जाय ।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले और पूर्व के ही समान पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजाज्ञा जारी करे । इसलिये मैं इस विषय पर बल देता हूं ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टीका-टिप्पणी नहीं की है। जो सरकार का मण्डल आयोग विचार कर रहा है इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवेचना की कार्यवाही की जा रही है इसलिये हमने इसको निरस्त किया । मैं चाहता हूं कि आरक्षण के सम्बन्ध में, जब तक आयोग विचार कर रहा है, सरकार एक राजाज्ञा जारी कराने की कृपा करे ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, [illegible]

(श्री मुलायम सिंह यादव का नाम पुकारा जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

राम नरेश यादव जी इनसे पहले खड़े हैं और आपने उनको इजाजत नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे लिये सभी समान हैं । मुलायम सिंह जी बोल लें, फिर वह बोल लेंगे ।

श्री शारदा प्रताप–

यादव जी पहले से खड़े हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह भी बोल लेंगे, मैंने कह दिया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जो औचित्य का सवाल उठा है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि हम उसको देख रहे हैं, उससे इनका इरादा साफ जाहिर होता है। उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध स्टे दिया था, उसके बाद आपने पैरवी नहीं की और दूसरा बयान दिया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को देख रहे हैं और उसी आधार पर आरक्षण समाप्त हो गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि मंडल आयोग की सिफारिशों को आपने देख लिया है या नहीं देख लिया है । यह बयान आपका 20 अगस्त के पहले का है । इतना समय बीत गया है, आपने इस पर क्या विचार किया है । मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का विचार है या नहीं, क्या इरादा है । उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब आरक्षण नहीं रहा उत्तर प्रदेश में । तो यह मानकर मैं चलता हूं कि बीर बहादुर सिंह की सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है । नरेन्द्र सिंह जैसे लोग यह काम ठीक नहीं कर रहे हैं । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । आप उनके लिये बहुत लड़ते थे और अगर आपने उनकी उपेक्षा की तो जो नारा आप देते हैं देश की एकता का, तो इससे यह साबित हो जायेगा कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं । आप 52 प्रतिशत लोगों को तोड़कर देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं । आप जब तक उनको बराबरी की हिस्सेदारी नहीं देंगे, देश मजबूत नहीं होगा । सरकार को इसलिये मंडल आयोग कि सिफारिशों पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा । संसदीय कार्य मंत्री जी का मत आज ही आ जाये कि वह इसको लागू करना चाहते हैं या नहीं लागू करना चाहते हैं । इतना बता दें, आज ही ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, अगस्त, 1977 में पिछड़े वर्ग के संबंध में सरकारी नौकरियों में आरक्षण और उसके साथ ही साथ और भी विभिन्न प्रकार की जो सेवायें थीं, उनमें उसी तरह के आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी । उस समय कुछ लोग हाई कोर्ट चले गये और याचिका कर दी । हाई कोर्ट ने उस याचिका के माध्यम से उसको निरस्त कर दिया । किन्हीं कारणों से जिस तरह की पैरवी करनी चाहिये थी वह नहीं की । सरकार ने उच्चतम न्यायालय में उस निर्णय के खिलाफ अपील की मैं श्रीमन्, बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जो मौजूदा सरकार है, उससे ऐसा लगता है कि यह जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आयी और कब लोक सभा में रखी गयी । 6 साल हो गये हैं और यह सरकार अभी तक उसका परीक्षण ही नहीं करा पायी है कि उस आरक्षण को लागू किया जाये या न किया जाये । अगस्त, 1987 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाकर मुकदमा वापस लेने की, बयान देने की क्या जरूरत थी । यहीं पर सरकार की मंशा जाहिर हो जाती है कि किसी तरह से वह पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई सुविधा देने के लिये तैयार नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस आधार पर किया है। यह आपकी सरकार बयान के आधार पर ही फैसला दिया है। आपने जिस वकील को वहां भेजा था उसने गलत बयान दिया । उसकी जिम्मेदार आप हैं, सत्ता पक्ष जिम्मेदार है । आपकी सरकार जन-विरोधी है, पिछड़े वर्ग की विरोधी है। आपकी सरकार में कुछ पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, लेकिन उनकी हिम्मत इसका विरोध करने की नहीं है । मैं संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है उसके समाधान के लिये आप एक नोटिफिकेशन इसी आधार पर जारी करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय सामान्य चर्चा नहीं हो रही है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मनोहर लाल–

आप मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बहुत सुन लिया । मैं चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मनोहर लाल–

आपको सुनना पड़ेगा ।

(नेता विरोधी दल, श्री मनोहर लाल, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होकर कुछ करते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप चर्चा चाहते हैं तो उसके लिये मांग कीजिये ।

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने पहले ही कह दिया है कि इसमें 300 के अंतर्गत चर्चा नहीं हो सकती । आप चर्चा की मांग कर लें, चर्चा हो जायेगी । . .

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

यह सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

जब उन्होंने कह दिया है कि परीक्षण करा रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आप मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत केवल सुना जा सकता है, चर्चा नहीं हो सकती है । आप चर्चा मांग लें, हो जायेगी । मैं अब इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मनोहर लाल–

यह बहुत ही अहम सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कौन से नियम के अंतर्गत 300 के अधीन चर्चा करा दें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप बैठें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है । आपने देखा कि सदन के बहुत से सदस्यों की भावना इससे जुड़ी हुई है और सरकार बराबर हीला-हवाला करके इसको टाल रही है । इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर 2 घन्टे की चर्चा सदन में करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा की मांग नहीं हुई, तो मैं कैसे करा दूं । आप सूचना दीजिये ।

श्री मनोहर लाल–

आपने कहा कि आप चर्चा की मांग करें । हमने सूचना दे दी, उसे आप स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आप सूचना देंगे तब मैं स्वीकार करूंगा । (व्यवधान) स्वीकार करने का सवाल तब पैदा होगा जब नियमानुसार आप लिखकर देंगे ।

श्री मनोहर लाल–

यह अधिकार आपको है, आप 2 घंटे की चर्चा स्वीकार करें ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

आप सूखे पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं इसलिये मैं जा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर दें, नियम से लायें

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने पिछड़े वर्गों के बारे में ध्यान आकर्षित किया । मैंने एक बात यह निवेदन की कि जहां तक पिछड़े वर्गों के हितों का सवाल है, उनको पूरी तरह से ऊपर उठाने का जहां तक संबंध है, नौकरी में रिप्रजेन्टेशन देने का संबंध है या उनको आगे लाने का संबंध है उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि उनको उनका पूरा हक दिलाया जायेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी (व्यवधान) एक स्थिति मान्यवर, उत्पन्न हुई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मैंने इसी वजह से बहुत ही दबी हुई जुबान में, बहुत ही गार्डेड लैंगवैज में कही कि यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है हम इसको दिखलवा रहे हैं । लेकिन जहां तक हमारी नीति का सवाल है उसमें किसी प्रकार की कहीं पर भी यह गुंजायश नहीं है कि पिछड़े वर्ग के हितों को पीछे रखा जाय । इनको आगे रखा जायेगा जो भी इस सदन में कार्यवाही होगी की जायेगी उनके हितों को सबसे ऊपर रखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री, पिछड़े वर्गों के संबंध में जो जजमेंट हुआ है उसमें भी यह बात कही गयी थी। एक कमीशन के तहत पिछड़े वर्ग की जातियों के संबंध में जो बातें विचाराधीन चल रही हैं, उस पर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए और मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसके संबंध में कहना चाहिये कि हम उसे लागू करने जा रहे हैं । तो इस विषय पर कम से कम दो घंटे की चर्चा करने के लिये आप सरकार को आदेश दें उनको प्रस्ताव लाना चाहिये । उनसे आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं इससे तो काम नहीं चलने वाला है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई एतराज नहीं है लेकिन नियम के तहत आयें, (व्यवधान) जब लिखकर आयेगा तो मैं अपने आप स्वीकार करूंगा । आप लिखकर दें या वह प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

आप इनसे कहें कि चर्चा करायें। सदन में यह बात आई है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह अधिकार का सवाल नहीं है यह नियमावली का सवाल है । आप लिखकर भेज दीजिये उस पर विचार हो जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

सदन में हम कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी अगर चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री मनोहर लाल–

अभी इस पर चर्चा करा लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप कुछ कह रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

आपका जो आदेश होगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा आदेश नहीं (व्यवधान) जब लिखकर देंगे तब मैं आदेश दूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, पीठ पर आप बैठे हुये हैं, हम लोग आपके आदेशों का पालन करते हैं । जहां तक उनके हितों का संबंध है, हम लोग पूरी तरह से उनको आगे लाने के लिये कटिबद्ध हैं ।

मान्यवर, इसके बाद पूरी बात सदन के सामने आ जायेगी । चाहें आप चर्चा स्वीकार करें चाहे कुछ करें, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

(चौधरी नरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी विद्वान हैं, उस फैसले को देखने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन दिया है कि हम अपनी अपील को प्रेस नहीं करना चाहते हैं और अपील विथ ड्र करते हैं, चूंकि एक कमीशन बन चुका है। मेरा प्रश्न है कि जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं वह बिल्कुल सदन में दूसरी बात कह रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं अपील को वापस ले रही है और कह रही है कि कमीशन बैठ चुका है, तो यह नई व्यवस्था कौन पैदा हो गयी, कौन सा कमीशन बैठा, यदि पिछड़े वर्ग के रक्षक थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपील किया था उसको वापस लेने का क्या औचित्य था। यह सबसे बड़ा चार्ज है कि बैकवर्ड क्लास के हितों की रक्षक यह सरकार नहीं है। जो इन्होंने आदेश वापस लेकर जो कुकर्म किया है अब किस कानून के तहत पिछड़े वर्ग की रक्षा करेंगे ? इस पर आप व्यवस्था दें।

(चौधरी नरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, क्या इस पर बहस करवा रहे हैं, यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे लिये इस सदन में कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। मुझे नियमावली के तहत जो अधिकार दिए गये हैं उनके अनुसार मैं कार्य करूंगा। आप लिखकर भेज दें, वह कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा जायेगा और जो समिति का निर्णय होगा वह सुना दिया जायेगा।

श्री मनोहर लाल–

आपने चर्चा की मांग करने के लिये कहा था, तो वह मांग की गयी, दो घंटे की चर्चा आप स्वीकार करें, यह मेरा कहना है, इस पर आप बहस करवा दें। चर्चा आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष–

लिखकर दे दें, कार्य-मंत्रणा समिति में जायेगा जो इस पर निश्चय करेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में भेजा जायेगा, तो मेरा कहना है कि वह तो तारीख का निर्धारण करेगी। यदि आप दो घंटे की इस पर चर्चा स्वीकार कर लेंगे तो कार्य मंत्रणा समिति उस पर तारीख और समय निश्चित करेगी। यह तो आप घोषित करते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं, यह तो आपका अधिकार है (व्यवधान) सदन सर्वोच्च है और यदि सदन 2 घंटे की चर्चा स्वीकार करता है तो कार्य मंत्रणा समिति उस पर केवल उसका दिन और समय तय करेगी, चर्चा स्वीकार करना आपका अधिकार है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप जो इसे कार्य मंत्रणा समिति से तय करवाने की बात कहते हैं, इसका तो यही मतलब है कि आपने इसको स्वीकार कर लिया है और अब कार्य मंत्रणा समिति को इसके लिए केवल समय निश्चित करना है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समझ नहीं रहे हैं । यह जो लिखकर देने की बात है, इसमें इसके साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी नहीं है। आप लिखकर भेज दीजिए, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। लूंगा ।

श्री मनोहर लाल–

मैं तो यह समझूं कि आपने चर्चा को स्वीकार कर लिया है या आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह नियम 300 में आता है या नहीं, यह आपका अधिकार है, किन्तु जब आपने इसको 300 में मान लिया है, स्वीकार कर लिया है तो उस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

देखिये जब एक नियम बना हुआ है, तो मैं उसका पालन करूंगा नियमों से ही चलूंगा । यदि नियम इस बारे में मौन होता तो यह बात होती ।

श्री सत्यपाल सिंह–

अभी इस पर जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार सरकार जब उसे स्वीकार करने को तैयार है तो आप इस हठवादिता पर क्यों तुल गये हैं । हमारे साथ जो इतना अन्याय हो रहा है, उसमें आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

(कृषि मंत्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृषि मंत्री जी खड़े हैं, वह शायद कोई नई बात कहना चाह रहे हैं, उनको आप सुन लीजिए ।

श्री मनोहर लाल–

इस तरह नहीं चलेगा ।

[उपरोक्त कथन के साथ श्री मनोहर लाल, लोकदल (अ) के अधिकांश सदस्यों के साथ सदन के फ्लोर में आ गये और नारे लगाने लगे पिछड़ा वर्ग विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, अल्पसंख्यक विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी ।]

(कुछ समय बाद सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने स्थान से नारे लगाने लगे कि खूब चलेगी, खूब चलेगी, वीर बहादुर की सरकार खूब चलेगी, खूब चलेगी ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करिये, सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना आसन ग्रहण करें । मेरे पास प्रस्ताव आया है, मैं बात करूंगा, आप आसन तो ग्रहण करिये ।

(व्यवधान)

(सदन में बराबर नारे लगते रहे और उपरोक्त उत्तेजित सदस्य सदन के फ्लोर में आकर नारे लगाते हुये अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे)

(घोर व्यवधान)

[श्री राम शरण दास जी रिपोर्टस टेबिल के सामने (सदन के फ्लोर पर) बैठ गये तथा कई मा0 सदस्य रिपोर्टस टेबिल के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे थे "हरिजन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी"]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी नारे लगा रहे थे:–

"वीर बहादुर की सरकार, खूब चलेगी, खूब चलेगी।")

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आधा घंटे के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(इस पर श्री उपाध्यक्ष ने 3 बजकर 55 मिनट पर सदन आधे घंटे के लिये स्थगित कर दिया।

तदुपरान्त सदन की कार्यवाही 4 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, चर्चा का क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष–

2 घंटे की चर्चा स्वीकार हो गयी है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आप पहले ही मान लेते, आप जिद पकड़ लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कोई जिद नहीं की। नियमानुसार सब काम हो गया है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, उसके लिये धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन पहले मान लेते। आपने सदन का समय खराब किया है।

एक सदस्य–

आपको हमारा ध्यान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो बैकवर्ड से एक डिग्री नीचे हूं। इसलिये पूरा ख्याल है। मुझे अपने ऊपर वालों का ध्यान है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, एक डिग्री नीचे तो उन लोगों ने बना रखा है। हम लोग आपको ऊंचा मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 की एक सूचना है। विधान सभा का जो स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था उसके संबंध में किसी ने रिट, याचिका की है।

एक सदस्य–

बहुत बुरा काम हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बुरा काम हुआ या भला यह आप जानें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस पर कोई निर्णय देने से पहले मुझे सुन लें ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, एक अच्छा काम हुआ है कि यहां पर कालीन बिछा दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसका उद्घाटन माननीय राम शरण दास जी ने कर दिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह जो विधान सभा का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था उसमें कितनी धनराशि व्यय हुयी है उसको लेकर कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में एक याचिका दाखिल की है और उस याचिका के अंतर्गत एक मुकदमा विचाराधीन है । मान्यवर, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का कार्य विभाजन का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से है। उसमें विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, तीनों की अलग-अलग स्वायत्तता है। विधान सभा की अपनी कार्यप्रणाली पूर्णरूप से स्वतंत्र तथा स्वायत्त है। इस मामले में न्यायपालिका को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस मामले को लेकर काफी विवाद हुए हैं। 1963 में केशव सिंह के मामले में जब विवाद उपस्थित हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय के पास राय मंगाने के लिये राष्ट्रपति ने एक प्रतिवेदन भेजा था । इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका और विधायिका के टकराव को बचाने की कोशिश की गयी थी । इस सम्बन्ध में एक बात साफ आयी थी । उस समय जो स्टेटमेंट बनाया गया था उसके पृष्ठ 20–25 पर साफ लिखा था कि अगर बन्दी प्रत्यक्षीकरण का मामला न हो तो कोई न्यायपालिका किसी विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी तरह से भारत के संविधान में 170, 174, 187, 194 के अन्तर्गत, इन धाराओं के अन्तर्गत विधान सभा को अपने सचिवालय की संरचना करने आदि का अधिकार दिया गया है। विधान सभा को कुछ शक्तियां और कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हुए हैं। विधान सभा का अपना सचिवालय भी होगा । इस सम्बन्ध में साफ तौर पर संविधान में प्राविधान किया हुआ है। अभी लखनऊ की खंडपीठ में जो मुकदमा दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि विधान सभा की स्वर्ण जयन्ती जो मनायी गयी है उसमें सूखे को देखते हुए बहुत ज्यादा धन का दुरुपयोग किया गया है और ऐसे सूखे को देखते हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। मुझे यह भी जानकारी दी गयी है कि जो अतिथि नियंत्रण कानून है, उसके अन्तर्गत 50 से ज्यादा लोग खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन उ0 प्र0 विधान सभा की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हजारों लोगों ने खाना खाया है, उसको देखते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। यह सही है कि यहां पर हम किसी भी मामले

में असहमत और सहमत हो सकते हैं, लेकिन सदन को खुद अख्तियार है कि वह काम करे या न करे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के पृष्ठ 61 पर नियम 210 (1) में साफ तौर से लिखा हुआ है कि–"सदन का कोई सदस्य या अधिकारी किसी न्यायालय में सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाही अथवा सदन की कार्यवाही से सम्बद्ध अथवा सदन के सचिव की अभिरक्षा में रखे हुए किसी अन्य लेख्य के सम्बन्ध में सदन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना साक्ष्य न देगा, और न ही ऐसे लेख्य को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा।" माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ की खण्ड पीठ में दायर की गयी एक याचिका के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष से यह लिखित रूप में हलफनामे के साथ जवाब मांगा है कि उक्त समारोह के अन्तर्गत जितनी भी धनराशि खर्च की गयी है, उसका लिखित रूप से न्यायालय में हिसाब दाखिल किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय के इस खण्ड पीठ के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से इस तरह का हिसाब मांगने से एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिसका सीधा सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की विधान सभा, उसके अध्यक्ष एवं उसके कार्य करने की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित है, जो कि साफ तौर पर भारतीय संविधान के मूल आधार कार्य विभाजन के कार्य का उल्लंघन करता है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अगर कोई ऐसी अपेक्षित जानकारी मांगी भी गयी है, तो उसे नहीं देना चाहिए। मान्यवर, करण के पृष्ठ 61 के नियम 210(1) में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सचिव की अभिरक्षा में रखे हुए किसी अन्य लेख्य के सम्बन्ध में सदन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना साक्ष्य न देगा, और न ही ऐसे लेख्य को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा।

मान्यवर, हाई कोर्ट के मांगने पर अगर विधान सभा द्वारा कोई डाकूमेंट देना है, तो पहले सदन में रखा जायगा। अगर हाई कोर्ट को या किसी भी न्यायालय को कोई ऐसी जानकारी लेनी है, तो वह सदन से मांगेगा। मान्यवर, नियम 210(2) में लिखा है कि किसी मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होने की दशा में अथवा उस दशा में जब लेख्य का उपस्थापन उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि वह विषय स्वयं सदन के स्वविवेक का है, वे अपेक्षित अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेंगे और उसकी जांच करने एवं उस पर प्रतिवेदन देने के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

मान्यवर, नियम 210(3) में लिखा है कि सदन या सदन का किसी समिति की कार्यवाही से संबंध किसी लेख्य का जब किसी न्यायालय में उपस्थित किया जाना अपेक्षित हो, तो न्यायालय अथवा विधिक कार्यवाही से सम्बद्ध पत्र अपेक्षित लेख्यों, प्रयोजन जिसके लिये वे अपेक्षित हैं, और दिनांक जब तक उनकी अपेक्षा हो, का सुतथ्यता वर्णन करते हुए सदन से निवेदन करेगा। प्रत्येक मामले में इस बात का भी निश्चित रूप से उल्लेख किया जायगा कि केवल प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी जाय अथवा इसको सदन का कोई अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। मान्यवर, यह मैं सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, हालांकि कुछ मामले में हमारे कुछ साथी असहमत हो गये हैं और कुछ लोग ऐसे आचरण भी करते हैं, जिससे गरिमा गिर जाती है। 19 तारीख को [x x x]के सम्बन्ध में जो टिप्पणी की है, उससे सदन की गरिमा गिरी है।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश ग्राह्यता से हट कर बोल रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

(श्री शतरुद्र प्रकाश के पुनः बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपका समय समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं लिखा जायगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें, कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कभी-कभी नादानी में इस तरह की टिप्पणियां हो जाती हैं, इससे सदन की गरिमा गिरती है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, ग्राह्यता पर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष–

जो इस समय माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कुछ न कहें।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो दुनिया में नहीं हैं उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। [x x x] विधान सभा समारोह में कैसे बात करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उस समय कोई सदन नहीं था उस समय तो एक अधिवेशन था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। चौधरी चरण सिंह किसानों के बल पर प्रधान मंत्री बने थे (व्यवधान)। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप चाहें तो इस सवाल पर यह निर्देश दें और यह साफ-साफ सदन के अन्दर बतायें कि इस तरह के जो अभिलेख मांगे गये हैं या मांगने की अपेक्षा की गयी है, उसको नहीं भेजा जायेगा और सदन में बताया जायेगा कि इतना खर्चा स्वर्ण जयन्ती समारोह में किया गया।

(श्री राम गोविंद चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी नियम 300 के अन्तर्गत आप शतरुद्र प्रकाश जी की बात सुन रहे थे। मेरा निवेदन है कि इन्होंने स्वर्ण जयन्ती समारोह में धन के दुरुपयोग की रिट हाई कोर्ट में दाखिल होने की बात कही है, उसमें धन का दुरुपयोग हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल धन के दुरुपयोग का नहीं है, यह सरकारी फंक्शन नहीं था, वह विधान सभा का फंक्शन था ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो [x x x] भूतपूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ सदन में बात कही . . .

(घोर व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, कोई बात सदन में नहीं कही गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह विधान सभा समारोह आप लोगों का था, सरकार का नहीं था।

श्री राम शरण दास–

मेरा खून खौल रहा है जो [x x x] को कहा गया है।

(घोर व्यवधान)

(श्री राम शरण दास कुछ कहते हुए सदन के फ्लोर तक आकर फिर वापस चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

राम शरण दास जी, कैसे नाराज हो गये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अभी जो राम शरण दास जी नाराज हो रहे थे, क्रोधित हैं, दुःखी हैं, उस पर मैं अलग से बात करूंगा । लेकिन मान्यवर, यह जो सवाल उठाया है माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने, एक मायने में तो ठीक है लेकिन इन्होंने घुमाफिराकर उठाया, सही सवाल नहीं उठाया । इसलिए नहीं उठाया कि इनमें हिम्मत नहीं है, आत्मबल नहीं है कि पूरी तरह से उठायें । जो यह फिजूलखर्ची हुई वह दिन में उजाले की तरह है। जो अखबारों से पता चला है कि 3 करोड़ रुपया स्वर्ण जयन्ती समारोह को मनाने पर खर्च हुआ, बरबाद किया गया अगर यह आपको करना ही था तो सारे कालेजों को निदेश दे देते और एक डिबेट रख देते और एक भी पैसा नहीं खर्चा होता और स्वर्ण जयन्ती मनायी जा सकती लेकिन इनको देश के प्रति कोई मुहब्बत नहीं है। फिजूलखर्ची की गयी. . . .

(व्यवधान)

. . . .मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगर इस सदन को व्यवस्थित रूप से चलाना चाहते हैं तो मा0 पाण्डे जी को मिनिस्टर बनवा दें। सदन बड़े व्यवस्थित रूप से

नोट :– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चलेगा । यह उछल कूद केवल मिनिस्टर बनने के लिये है। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस प्रदेश की जनता के प्रति, इस देश और प्रदेश के प्रति इस सरकार को कोई मुहब्बत नहीं है, जो इतनी फिजूलखर्ची की गयी. . .

(व्यवधान के मध्य ''क्रान्ति-रथ कितने का बना'' की आवाजें)

क्या कह रहा हूं, सुन तो लें. . .

श्री उपाध्यक्ष–

आपस में बात न करें, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह जो क्रांति-रथ बना है, इनको परेशानी हो गयी क्रांति रथ से । यह 6 लाख तो छोटी चीज है, 8 करोड़ भी रथ पर खर्च हुए तो जनता से लेकर उसको बनवाकर आपको उखाड़कर फेंक देंगे. . . (व्यवधान) क्रांति-रथ पर भी चर्चा हो जाय, जैसा कि मा0 सदस्यों का कहना है तो ठीक होगा । मान्यवर, मैं कह रहा था कि सूखे के समय, जबकि फसलें सूखी हैं, बिजली पैदा नहीं हो रही है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने यह सबसे ज्यादा शर्मनाक काम किया है । गरीबों का पेट काटकर यह खर्च किया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय सूखे पर चर्चा नहीं हो रही है। यह मामला हाईकोर्ट में गया, जाना चाहिये या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह भूमिका है, उच्च न्यायालय वाली बात ही कह रहा हूं। मा0 सदस्यों को बुरा नहीं लगना चाहिए । मेरी राय में इधर के बैठने वालों ने चौधरी चरण सिंह को सबसे ज्यादा बदनाम किया है, जितना उन्होंने नहीं किया है। इन लोगों ने माला पहनाकर फिजूलखर्ची की है। इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इसीलिए इनका उच्च न्यायालय की ओर ध्यान गया, लेकिन असली मुद्दे को इसीलिये नहीं उठाया। इनको चौधरी चरण सिंह का नाम लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने मा0 प्रधान मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया है, यहां पर उनको फेयरफेक्स और बोफोर्स का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग आसन ग्रहण करें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। क्या इनके दल के आन्तरिक झगड़ों के लिए यह सदन मंच बनेगा । यह इनका आपसी झगड़ा है, बाहर तय करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी, अपनी बात समाप्त करें एक मिनट में ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह माननीय सदस्य समझ नहीं पाये हमारी बात ।

(व्यवधान)

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, यह नेता विरोधी दल का अपमान कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं कह रहा था कि माननीय प्रधान मंत्री पर आरोप लगाने का अधिकार इनको कोई नहीं है, अधिकार है हम लोगों को।

श्री शत्तरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें । माननीय मुलायम सिंह जी, अपनी बात खत्म करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि यहां पर जो भी हुआ है उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए आप लोगों को । प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से व्यर्थ किया गया। प्रदेश की जो जनता भूखी है, प्यासी है बजाय उसको राहत पहुंचाने के, यह फिजूलखर्ची हुई है। 40 हजार गांवों में पानी की समस्या है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। माननीय मुलायम सिंह जी अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अगर यह समारोह मनाना ही था, तो प्रदेश के कालेजों में कार्यक्रम रख देते, मेरा यह सुझाव भी था । उत्तर प्रदेश के कालेजों में वाद प्रोग्राम भेज देते, उसमें डिबेट का समय रख देते, उसमें सब लोग भाग भी ले लेते, एक पैसा भी खर्च न होता और प्रदेश की जनता स्वर्ण जयंती मना लेती। लेकिन, यह लोग अज्ञानी हैं, सरकार अज्ञानी है, इसे किसी का सुझाव लेने की जरूरत नहीं है। मेरा यह निवेदन है और मैं जानबूझकर कह रहा हूं कि माननीय शत्तरुद्र प्रकाश जी को यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था और न इसका इन्हें किसी प्रकार का अधिकार था । चौधरी साहब के सम्मान की, प्रतिष्ठा की हत्या की है, यह सब बैठे लोगों ने की है।

श्री शत्तरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है एक मिनट का मौका दें दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की गयी है, आप मुझे अवसर दें बात कहने का।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, शतरुद्र जी, आप लोग बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मुलायम सिंह जी ने जो आरोप मुझ पर लगाये हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र जी, आप बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप अनुमति नहीं देंगे, तो कोई कुछ भी कह देगा और कुछ भी आरोप लगा देगा।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर अगर आप लोगों को डिबेट करनी है, तो अलग बैठकर कर लीजिये। नेता विरोधी दल अपनी बात करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि वह इस इश्यू पर न बोलें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिसको उठाने का हमारा अधिकार है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, यह जो विषय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया है, जिसके तहत इस बात के लिए मांग की गयी है कि हाईकोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि हमारी विधान सभा में जो खर्च स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर हुए हैं, उसका कोई भी ब्यौरा वह मांग सकें। क्योंकि मान्यवर, हमारे दल के ऊपर आरोप लगाया गया है और चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात कही गयी है, इसलिए मुझे स्पष्टीकरण देना है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ फिर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

मान्यवर, स्वर्ण जयन्ती समारोह के लिए जो भी बहस होगी, उसके लिये हम तैयार हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि इस समारोह के लिये जो कमेटी बनी थी, उसमें कुछ सत्ता पक्ष के लोग थे और कुछ लोग विपक्ष के थे, जिसमें नेता विरोधी दल की हैसियत से मुलायम सिंह यादव जी थे, जिस समय इस समारोह के लिये पहली मीटिंग हुई थी, उस समय मैं नेता विरोधी दल नहीं था। क्रान्ति मोर्चा की तरफ से मीटिंग में कुंवर रेवती रमण सिंह ने भाग लिया था।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह सब [xx] बन्द कराइये।

नोट :– [xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

जिस समय इसकी कमेटी बनी और जब इसकी 4 बैठकें हुईं तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन बैठकों में कभी भी शामिल नहीं हुआ ।

(श्री मुलायम सिंह यादव व अन्य लोकदल (अ) के माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

जो लोग यह कहते हैं कि हमने प्रधान मंत्री का स्वागत किया, यह तथ्य से परे है। हमने किसी भी प्रधान मंत्री को माला नहीं पहनाई और न ही कोई स्वागत किया। जिस समय यह समारोह यहां पर चल रहा था, लोकदल (ब) को छोड़कर विपक्ष के सभी दल यहां मौजूद थे। जो लोग यह कहते हैं कि इन्हें चुल्लूभर पानी में डूब मरना चाहिए था, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर विधान परिषद् का भी स्वर्ण जयन्ती समारोह हुआ, ये लोग उसमें शामिल थे, उस समय ये लोग चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरे। हां, उस समय प्रधान मंत्री जी ने जो कहा, वह उनका [xx] था कि उन्होंने माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं लिया। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जो प्रधान मंत्री ने इस विधान सभा में शरीक हुए, उनका नाम लेता हूं, उस समय उनकी पार्टी वालों ने जिन्दाबाद के नारे लगाये लेकिन हम लोगों ने [xx] मुर्दाबाद के नारे लगाये । यह समारोह कोई वीर बहादुर सिंह का नहीं था और न ही किसी प्रधान मंत्री का था, यह समारोह, हमारे लोकतंत्र की प्रतीक विधान सभा है, उसका था, उसमें यदि हमने हिस्सा लिया या विरोध पक्ष के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया तो कोई गलत काम नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[xx] को माला पहनाने वाला [xx] होता है।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि इसी प्रकार आप लोग शोर करते रहोगे तो कैसे हाउस की कार्यवाही चलेगी । मैं माननीय नेता विरोधी दल से भी निवेदन कर रहा हूं कि वह इस प्रकरण को समाप्त कर दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था क्यों नहीं देते हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता, विरोधी दल बैठें, तभी तो मैं व्यवस्था दूं।

(लोकदल "अ" तथा लोकदल "ब" के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर आपस में वाद-विवाद करने से घोर व्यवधान)

नोट :– [xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गौरी शंकर भैया–

मान्यवर, आप इस सब तमाशे को बन्द क्यों नहीं कराते हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निवेदन कर तो रहा हूं।

(लोकदल 'अ' तथा लोकदल 'ब' के सदस्यों का आपस में वाद-विवाद जारी रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जब माननीय नेता, विरोधी दल बोल रहे हैं तो आप लोग आपस में बात न करें।

श्री सत्यपाल सिंह–

[xx] ने, जितना चौधरी साहब के विषय में कहा, विपक्ष के सदस्यों ने विरोध किया और [xx] मुर्दाबाद के नारे लगाये गये।

(लोकदल 'अ' तथा लोकदल 'ब' के सदस्यों का आपस में वाद-विवाद जारी रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह सदन की गरिमा के विपरीत है, माननीय नेता, विरोधी दल खड़े हैं और उनके साथ-साथ आप सब भी खड़े हैं। यह उचित नहीं है, आप लोग कृपया बैठें। आप लोग मर्यादा में रहिये। आप बुनियाद हुसैन अन्सारी, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि जब आप कह सकते हैं, तो आपको सुनना भी चाहिये। अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? आप मर्यादा में रहिये।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

आप पहले इनको बैठाइये, हम इनको नहीं बोलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल बोल रहे थे और अब भी वे खड़े हैं उनको पूरा अधिकार है बोलने का। जब वे बोल रहे हैं तो मैं किसी और को नहीं सुनूंगा।

श्री सत्य पाल सिंह–

मैं कह रहा था कि यह स्वर्ण जयन्ती विधान सभा की थी। उसके लिये यह कहा जाना कि मैंने प्रधान मंत्री को फूल माला पहनायी, मैंने किसी भी प्रधान मंत्री को फूल माला नहीं पहनायी। इसके अलावा जो और आरोप लगाये गये हैं मुझ पर, तो मेरा कहना है कि यदि प्रधान मंत्री ने अपने [xx] में, अपने [xx] में चौधरी चरण सिंह के खिलाफ कोई बात कह दी तो हमारी तरफ से उसके संबंध में 'प्रधान मंत्री मुर्दाबाद' के नारे भी लगाये गये।

(व्यवधान)

स्वर्ण जयन्ती के संबंध में जो चार कमेटी की चार बैठकें हुई उनमें से किसी भी बैठक में मैं नहीं था। एक बैठक में तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह थे शेष तीन बैठकों में क्रान्तिकारी मोर्चा के नेता कुंवर रेवती रमण सिंह उपस्थित थे। मैंने स्वयं कमेटी की सारी मिनिट्स देखी हैं उसमें कदम-कदम पर उन्होंने कहा कि

नोट :– [xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मितव्ययिता न बरती जाय । मैंने तो उस दिन व्यंग के रूप में अपने भाषण के शुरू में ही कहा था कि "सूखे के समय में जो यह स्वर्ण जयन्ती मनायी जा रही है उसमें आपने बड़ी मितव्ययिता बरती है।" इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब विधान परिषद् में स्वर्ण जयन्ती मनायी गयी थी तो क्या उसमें तत्कालीन नेता विरोधी दल नहीं सम्मिलित हुए थे ? तब क्या वे चुल्लू भर पानी में डूब मरे थे? जो आज वे यह कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ण जयन्ती में सम्मिलित होने के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए?

इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के स्वर्गवास के बाद पहली बार अबकी उनका जन्म दिन मनाया गया लेकिन उनके भक्त कहलाने वाले ये लोग उसमें नहीं आये क्योंकि वहां मैं नेता विरोधी दल के रूप में सम्मिलित हुआ था और आज यहां मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है, इनका यहां कोई औचित्य नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, [xxx] को धन्यवाद देने वाला [xxx]

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो अचित्य का प्रश्न मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया था, उस पर आप व्यवस्था दे दें क्योंकि आर्टिकल 211, 212 में यह है, आप उसे देख कर अपनी व्यवस्था दे दें और जो सम्मानित सदस्य इस सदन के नहीं हैं उनके संबंध में जो शब्द कहे गये हैं उनको कार्यवाही से खारिज करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो शतरुद्र प्रकाश जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है उस पर मैं अपना निर्णय स्थगित रखता हूं और जो ऐसे शब्द या नाम कार्यवाही में आये हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । अब हम मद संख्या 3-को लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1987

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

(व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम आँतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 के सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मद संख्या 4 के बारे में मुझे दो आपत्तियां करनी हैं । हमारी एक संवैधानिक, टेक्निकल और विधिक आपत्ति है कि जब विधान मण्डल सत्र में न हो, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन उसकी भावना को भी देखना है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

जब मद निकल गयी तो आपत्ति उठा रहे हैं। यह सदन किसी नियम से चलेगा या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मद संख्या 4 के बारे में मैंने तत्काल आपत्ति की थी और लिखित भी आपत्ति की है । आपने मुझे पुकारा भी है । इसलिये मैं अपनी आपत्ति को रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब मंत्री जी सदन के पटल पर रखने के लिये खड़ी हुईं, तो आप उठे नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं तत्काल उठा था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब माननीय मंत्री जी ने उसको सदन के पटल पर रख दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं तत्काल उठा था। आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं साफ-साफ उठा था। आपकी नजर उधर टिकी हुई थी ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

अब आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम चार लोग खड़े हुये थे और आप कह रहे हैं कि उठे नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

फिर मौका आयेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह मेरे साथ अन्याय होगा, मैंने लिखित भी दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

अन्याय नहीं हो रहा है, आपको देरी हो गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आज बैठने वाला नहीं हूं । मैंने लिखित भी आपत्ति की थी । सदन की नियमावली के साथ अन्याय होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तो विधेयक भी आयेगा, तो बात कह लीजियेगा ।

(श्री औसान सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश विकल सदन के फ्लोर में आ गये)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

यह नियमावली के साथ अन्याय नहीं होगा । जब मंत्री जी ने उसको सदन के पटल पर रख दिया, तो अब बात नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्यवाही में है, कि मंत्री जी उसको पढ़ चुकी हैं । आप को फिर समय मिलेगा। अगर ऐसे ही होगा तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा, तो क्या होगा । ऐसा नहीं है कि समय न मिले, आपको समय मिलेगा । गुप्ता जी को खड़ा हो जाना चाहिये था, मैंने आपका नाम भी लिया, मंत्री जी उसको पढ़ गयीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपको रोकना चाहिए था। जब मैं खड़ा हो गया था और मेरी लिखित आपत्ति भी थी . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपका नाम लिया था । आप नहीं उठे और मंत्री जी पढ़ गये ।

(श्री औसान सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश विकल सदन के फ्लोर पर बैठे रहे और विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे ।)

यदि वहां पर बैठकर समस्या हल होती हो तो फिर ठीक है लेकिन नियमावली के अनुकूल मंत्री जी ने उसे एक सेकण्ड में पढ़ दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उसके पहले ही मैं खड़ा हो गया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय औसान सिंह जी, माननीय विकल जी, कृपया आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आप मेरी एक बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब सदन व्यवस्थित हो तभी तो मैं कोई बात सुनूंगा ।

(श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी के प्रयास से श्री आँसान सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश विकल अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं बोलने दगे तो फिर हम आगे आयेंगे ।

मान्यवर, मुझे अफसोस है, मैं दल का नेता भी रहा हूं। आज उप-नेता हूं आज मेरे जीवन में पहला मौका है जिस समय मैंने एक अन्याय के खिलाफ इस बात की अनुमति अपने सदस्यों को दी है कि वे सदन के फ्लोर पर चले जायं। यह शोभनीय नहीं है। लेकिन कभी बगावत एक फर्ज बन जाता है। मैंने लिखित रूप में भी आपको आपत्ति दे दी थी । आपने जब माननीय मंत्री जी को बुलाया तो मैं तत्काल खड़ा हो गया । लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी । . . . (व्यवधान) । मान्यवर, मुझे दो आपत्तियां उठानी हैं . .

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । अब आप आगे निकल गये हैं और उस समय कोई आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि आपने इस पर निर्णय दे दिया इसलिये आप फिर अपने निर्णय को रिवाइव नहीं कर सकते । तीसरी बात यह है कि सदन की नियमावली हर सदस्य के पास है । इस तरह से यदि उसका दुरुपयोग होगा तो सदन कैसे चलेगा । यही मेरा आपसे व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्यों को हर तरह से अधिकार है कि वे वाक-आउट कर लें लेकिन यह अधिकार नहीं है कि वह सदन के अन्दर आगे आयें ।

(ऊर्जा राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी, आप कृपया बैठ जायं।

माननीय गुप्त जी, आप कृपया मेरा निवेदन स्वीकार कर लें। ऐसा है कि एक सेकिन्ड में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई । . . (व्यवधान) । आप वह नियम बता दें कि जब सदन के पटल पर रख दिया तो फिर आप इसे कैसे उठा सकते हैं । . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस पर मुझे दो आपत्तियां हैं एक तो यह कि जो आर्डिनेंस जारी हुआ वह 14 ता0 को हुआ जब कि 31 ता0 तक इसका समय था ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । बात कहने से पहले नियमावली को देखें उस पर आचरण करना सबको जरूरी है । हमारे लिये बोलना जरूरी नहीं है लेकिन नियमावली में जो कुछ दिया है उसके तहत हमें कार्य करना है वह सब के लिये है, उससे कोई अछूता नहीं है (व्यवधान) अब थोड़ी गड़बड़ समझ लीजिये, मैं मंत्री जी को बुला चुका था और मंत्री जी ने उसे पढ़ दिया तब आप खड़े हुये । (व्यवधान) मैं गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं, उनको सुन नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी आपने आइटम नम्बर 4 पुकारा उस पर मंत्री जी खड़ी हुई और उन्होंने उसे पढ़ दिया । उनके पढ़ने के बाद आपने आइटम नम्बर 5 पुकारा उस पर सहकारिता मंत्री भी खड़े हुये उन्होंने भी उसे पढ़ा । तो उस वक्त तक यह खड़े नहीं हुये माननीय राम शरण दास जी से पूछ लीजिये कि क्या वह खड़े हुये थे । जब आइटम नम्बर 5 बुला लिया सहकारिता मंत्री भी पढ़ रहे थे, तब भी यह खड़े हो जाते ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी आपत्ति यह है कि यह पुराना अधिनियम था उसमें 31 ता0 तक का समय था । सरकार ने 31 ता0 से पहले आर्डिनेंस जारी कर दिया । 31 ता0 से पहले विधान मण्डल का सत्र आहूत हो गया था। तकनीकी दृष्टि से यह बात सही हो सकती है, लेकिन संसदीय परम्परा से नहीं । 31 ता0 से पहले चुनाव कराने का मौका था इन्होंने संसदीय परम्पराओं की अवहेलना की है (व्यवधान) माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक निर्णय दे दिया (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, जब कोई बगैर अनुमति के बोलता है तो वह लिखा नहीं जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आप बैठें । (व्यवधान)

श्री आँसान सिंह–

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री आँसान सिंह, डाक्टर दिनेश जौहरी, सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये।) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने 5 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी ।

5 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट और बढ़ा दिया है ।

तदुपरान्त सदन की कार्यवाही 5 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना थी कि जो आपत्ति मैंने दी थी, उस पर आपने अपना निर्णय दिया वह सही है, लेकिन पूर्व दृष्टान्त अनेक इस बात के भी हैं कि निर्णय देने के बाद भी विशेष परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी ने उस पर पुनर्विचार किया है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें । और जो आर्डिनेन्स आज संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रखा जा रहा है, उस पर हमारी दो आपत्ति हैं। जहां तक तकनीकी आपत्ति है, यह आर्डिनेन्स उस समय

जारी हो सकता है जब सदन की बैठक न हो रही हो। इस समय मामला दूसरा है, 31 दिसम्बर, तक नगरपालिकाओं के प्रशासकों का कार्यकाल था और उसके पूर्व यह आर्डिनेन्स कर दिया गया। करना यह चाहिए था कि संसदीय परम्पराओं का आदर करते हुए आज उसका बिल इस सदन में आता उस पर चर्चा होती और वह उसमें पास होता, भले ही दो दिन पहले विधान सभा की बैठक बुला ली जाती, लेकिन इस तरह से करके यह विधान सभा की अवमानना की गई है।

आपको मान्यवर, स्मरण होगा कि इस आदरणीय सदन में इस पर काफी शोरगुल पिछली बार हुआ था। सभी प्रतिपक्ष के लोग उत्तेजित थे, कई दलों ने तो पूरे समय तक सदन का बहिष्कार किया था (व्यवधान) ठीक है बहिष्कार नहीं वे निलम्बित किये गये थे और उसकी एक ही मांग थी कि स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराये जायं, लेकिन उस पर माननीय सरकार की ओर से वादा किया गया था कि उच्च न्यायालय की ओर से 6 माह का जो समय दिया गया है, वह बढ़ाया नहीं जायगा और हमारे ही मुद्दों पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का रिवीजन नहीं किया जाएगा। लेकिन समाचार पत्रों आदि में जैसा आया है उससे हमें मालूम हुआ है कि यह फिर उच्च न्यायालय में चला गया है, यह फिर उच्च न्यायालय में चले गये हैं। क्या बात वहां रखी ? आवश्यकता थी कि आर्डिनेन्स में उन मुद्दों को भी रखा जाता। लेकिन मेरी जानकारी है कि वहां पर प्रदेश की स्थिति को सही रूप में न रखकर, उच्च न्यायालय में जो कारण रखे गए हैं उसके द्वारा उच्च न्यायालय को भ्रमित करके समय लेने का प्रयास इस सरकार ने किया है। 6 माह में सरकार ने अपने यह चुनाव नहीं कराये और हमारी जनता के उस अधिकार को एक स्थानीय निकायों में प्रशासन करने का उसे अधिकार है, को इस सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक हनन किया है। इसके द्वारा कोर्ट की भी अवमानना की गई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप चाहे उसको पेश करने दें, लेकिन शासन को इस बात के लिए इस तरह की भर्त्सना अवश्य करें कि भविष्य में वह इस तरह से न्यायालय की अवमानना न करें तथा संसदीय मान्यताओं की भी अव्हेलना नहीं होनी चाहिए और इन स्थानीय निकायों के चुनाव तत्काल कराये जाएं जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जब वह अपना उत्तर देने के लिए खड़े हों, तो वह स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में तिथि अवश्य घोषित कर दें। यह 6 माह का समय बहुत अधिक है। यह प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।

अब मद संख्या 5 के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 30 तारीख को निर्वाचन हो गया और उसके आगे की कार्यवाही भी हो गयी और कहीं कहीं पर नामांकन शुल्क भी जमा हो गया और अनेक स्थानों पर चुनाव भी हो गये, लेकिन आपने उसे स्थगित कर दिया। जब प्रशासक भी बन गये तो उसके बाद 6 माह का समय बढ़ाना इस बात का द्योतक है कि यह जो प्रशासक बन गये हैं, क्या उनको चार्ज नहीं दिलाया जाएगा, वरना 6 माह का समय लेने का कारण क्या है? सरकार पर हमारा आरोप है कि सरकार इन निकायों पर अपने दलीय लोगों को बिठाने का कार्य कर रही है, जिनका जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रशासन की बात सर्वहारा दल की नीति है,

उसके साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैं सरकार की इस नीयत पर आपत्ति करते हुए आपसे कहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें और 5 के बारे में भी उसकी भर्त्सना करें और चेतावनी दें कि अब यह कार्यकाल और आगे न बढ़ायें जो प्रशासक चुने गये हैं 28 तारीख को इनको तत्काल चार्ज दिला दिया जाए।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, सदन के अधिकारों का हवाला देते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो चार-पांच मद के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया है, विशेषकर गुप्ता जी ने जो आपत्ति उठाई है, उस पर पुर्नविचार कर लें। दोनों विषय ऐसे हैं जिन पर आपत्ति सही है। आर्डिनेन्स का मजाक बनाया गया है इसको जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब विधान सभा का सत्र आरम्भ होने जा रहा था, तो उस समय यह बिल ला सकते थे मेंडामस रिट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छः महीने में चुनाव करा लेंगे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने यह आश्वासन दिया था। आश्वासन का यह पहला मौका नहीं है यह बार-बार कहते हैं। 16 वर्ष हो गये हैं यह सरकार चुनाव कराने में सफल नहीं हो पा रही है। हमारे लोक तंत्र में चुनाव का सही होना यह लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है लेकिन चुनाव के नाम पर यह लोग इतनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। जगह जगह सत्तापक्ष के लोग इतनी बेईमानी कर रहे हैं, जिससे जो लोग इन्साफ की अपेक्षा करते हैं वह इन्साफ नहीं हो पा रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि चुनाव में बेईमानी न होने पाए, बेईमानी न करें, लेकिन सत्ता पक्ष बेईमानी करता आ रहा है। आज यह सरकार नौकरशाही के दबाव में बुरी तरह दबी हुई है। जिन संस्थाओं के अन्दर जो प्रतिनिधि होते वह नहीं हैं, सब अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। सहकारी समितियां और निकाय जो हैं उसके चुनाव न कराके जनता के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने निर्णय पर विचार करें। (व्यवधान)

और निकम्मी सरकार के मंत्री मंडल के सदस्यों को मौका न दें कि वह दोनों मदों को सदन के पटल पर रख सकें।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 25 बार समय बढ़ाया गया है एक गम्भीर स्थिति बनी हुई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह विधेयक अभी चर्चा के लिए आएगा।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी–

31 दिसम्बर, तक चुनाव करा लिए जायेंगे यह कहा गया था। 25 बार आश्वासन देने के बाद भी वह चुनाव नहीं करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी यह खतम नहीं हो रहा है, इसमें चर्चा होगी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न उठाया। माननीय गुप्ता जी की आपत्ति के दो हिस्से हैं एक संवैधानिक है एक में कहा गया है कि सदन बुलाया जा रहा था सदन चालू हो रहा था इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

(व्यवधान)

मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संविधान के आर्टिकिल 213 की तरफ जिसमें साफ कहा गया है कि अगर राज्यपाल संतुष्ट हैं, अगर राज्यपाल को सैटिस्फैक्शन है, उनकी संतुष्टि है तो अध्यादेश लाया जा सकता है उनकी संतुष्टि को चैलेंज नहीं किया जा सकता। विधान सभा या विधान परिषद् सत्र में न हो तो उस समय आर्डिनेंस लाया जा सकता है। यह राज्यपाल के सैटिस्फैक्शन पर है कि किस समय आर्डिनेंस को आना चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से पटना हाई कोर्ट में एस0 एस0 सन्धवालिया, नगेन्द्र प्रसाद सिंह, उदय सिन्हा की बेंच में एक मामला आया और उसमें एक फैसला किया गया जिसके अंदर राज्यपाल के सैटिस्फैक्शन के बारे में बात कही गयी है। मैं सिर्फ 2 लाइनें उसकी पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में है, उसका अनुवाद कर दूंगा।

बोथ आन प्रिसिपल एन्ड प्रेसीडेन्ट दि सैटिस्फैक्शन आफ दि गर्वनर अन्डरआर्टिकल 213 परटेनिंग टू दि इमीडिएसी फार दि प्रोमलगेशन आफ एन्ड आर्डिनेन्स इज नाट जस्टिसिएबिल यानी सिद्धान्त रूप से और जो परम्परायें रही हैं उनको देखते हुये गर्वनर की जो संतुष्टि है, उनका जो सैटिस्फैक्शन है, उसके ऊपर किसी प्रकार की न्यायालय में कोई बात नहीं हो सकती। वह चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहां तक आर्डिनेंस लाने का प्रश्न है, राज्यपाल संतुष्ट हुये, एक बात कही गयी उनकी संतुष्टि हो गयी और आर्डिनेंस आ गया। वह बात अलग हो गयी। रही दूसरी बात जो समय के बारे में है, वह बात सही है कि चुनाव होने चाहिये था। 31 दिसम्बर के पहले, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने अभी कहा कि 16 साल से चुनाव नहीं हुये हैं, तो यह जो 16 साल की अवधि है, इसमें 77 और सन् 80 का हिसाब भी जोड़ लिया जाय। यह भी देखना पड़ेगा। जब कभी कोई इतिहास लिखेगा तो यह देखेगा कि इन इलेक्टेड लोकल बाडीज को किस सरकार ने, किस पार्टी ने उसका गला दबाया था। यह जो फैक्ट है उस फैक्ट से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चुनाव होने चाहिए थे,

हाईकोर्ट ने एक बात का निर्णय दिया । हाईकोर्ट के पास हम गये अपनी समस्या को लेकर। माननीय गुप्ता जी ने कहा कि सरकार ने तोड़ मरोड़ कर फैक्ट्स को रखा और हाईकोर्ट ने गलत निर्णय दिया, यह कहना मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर टीका टिप्पणी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने यह नहीं कहा ।

श्री अम्मार रिजवी–

आपने कहा कि तोड़मरोड़ कर हाईकोर्ट के सामने फैक्टस रखे गये । मान्यवर, फैक्टस पार्टीज रखती हैं लेकिन वह लोग देखकर फैसला करते हैं । एक फैसला हाईकोर्ट ने पहले किया था और एक इस समय किया है । हम हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसको पूरी तरह से मानेंगे । मान्यवर, दूसरी बात कही गयी है कि चुनाव का एक कार्यक्रम जो था वह उसी के साथ एनाउंस कर दिया जाना चाहिये । मान्यवर, 30 जून तक की कोर्ट ने अनुमति दी है। तो जो समय कोर्ट ने दिया है, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होगा । कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाय । मान्यवर, चौथी बात कोआपरेटिव के चुनावों के बारे में कही गया है । मान्यवर, यह खुद जानते हैं कि कोआपरेटिव के चुनाव एक दिन में नहीं होते उसका एक समय होता है, एक प्रकार का उसका प्रोसेस होता है वह पूरा करना पड़ता है । प्रशासक और बोर्ड बनाकर पूरी तरह से चुनाव होते हैं तब जाकर वह अपने वजूद में आते हैं । वह प्रक्रिया चालू हो चुकी है । अब इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचारी लोग आ रहे हैं । कोई भी कार्य होता है तो कुछ न कुछ शिकायतें आयेंगी । लेकिन मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि चुनाव का जहां तक संबंध है स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जायंगे । उसमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं किया जायगा । अध्यादेश तो संविधान में जो अधिकार निहित है, दिया गया है, उसी के अनुसार ईशू किया गया है । इसलिये औचित्य का प्रश्न उठाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यादेश को सदन के पटल पर रखना एक संवैधानिक आवश्यकता है, अतः श्री गुप्ता जी की आपत्तियां अस्वीकार की जाती हैं ।

वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी की अष्टम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1983–84

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड वाराणसी की अष्टम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1983-84 को, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौवालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1186 टी/130-4-22 पी-77 दिनांक 30 मार्च, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौवालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार, को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे 1984-85 एवं विनियोग लेखे 1984-85, उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे 1984-85 एवं विनियोग लेखे 1984-85, उत्तर प्रदेश सरकार, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740सं0/सत्तरह-1-87-132(1) सं0/80, दिनांक 20 मार्च, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 194 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 में किये गये शोधनों का विवरण

सचिव विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 में किये गये शोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या-12 पढ़ी हुई मान ली जाय?

(सदन की सहमति से मद संख्या-12 पढ़ी हुई मान ली गयी।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा—

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा—

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1987 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 जुलाई, 1987 की बैठक में पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव विधान सभा—

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिकसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव विधान सभा—

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 जुलाई, 1987 की बैठक में पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 जुलाई, 1987 की बैठक में पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन की दिनांक 28 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 जून, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 जुलाई, 1987 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा नें अपने दिनांक 17 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 1987 की बैठक में पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 1987 की बैठक में पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 20वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 जुलाई,

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1987 की बैठक में पारित किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया।]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या–15 पढ़ी हुई मान ली जाय ?

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

श्री उपाध्यक्ष–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28-12-87 की बैठक में सदन के दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 से दिनांक 4 जनवरी, 1988 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :––

दिसम्बर, 1987

29 मंगलवार .. निधन के निर्देश।

30 बुधवार .. 1––औपचारिक कार्य।
2––सूखे पर चर्चा।

31 गुरुवार .. 1––सूखे पर चर्चा।
2.5 बजे अपराह्न
वित्तीय वर्ष 1987–88 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।
3––अनुदानों के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनका पारण।
(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987––एक घण्टा।
(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987––आधा घण्टा।

जनवरी 1988

1 शुक्रवार .. 1––सदन में लम्बित असरकारी संकल्प (आधा दिन)।
2––वित्तीय वर्ष 1987–88 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
3––वर्ष 1986-87 के बकाया गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों को भुगतान सम्बन्धी श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना एव गन्ने की खरीद तथा उसके यथोचित मूल्य के सम्बन्ध में श्री जयदीप सिंह बरार की सूचना के विषय पर नियम 54 के अन्तर्गत डेढ़ घण्टे की समेकित चर्चा

जनवरी, 1988

2 शनिवार
3 रविवार .. बैठक नहीं होगी।

4 सोमवार .. 1––असरकारी विधेयक, जो सदन में लम्बित हैं।
2––सूखे पर चर्चा।]

नोट :––[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा की समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना अभी माननीय उपाध्यक्ष ने सदन में दी, को स्वीकार किया जाय ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं नियम 226(2) के अन्तर्गत कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि शासन मात्र 4 दिन का सत्र बुला रहा है और प्रदेश की करोड़ों जनता के सामने सूखा, नगरपालिकाओं के चुनाव, सहकारी समितियों के चुनाव इत्यादि विषय जो लम्बित हैं और करोड़ों गन्ना कृषक, जिनका करोड़ों और अरबों का नुकसान हो रहा है, इन विषयों पर विचार होना है। परन्तु मात्र 4 दिन के अधिवेशन में यह सम्भव नहीं है, इसलिए इन विषयों पर विचार करने के लिए पूरा समय निर्धारित होना चाहिए, जिससे पूर्णतया सभा सदस्य इन विषयों पर अच्छी तरह से चर्चा कर सकें। इसलिए आप इसे कार्य मंत्रणा समिति को इस पुनर्निर्दिष्ट कर दें।

श्री हुकुम सिंह–

संशोधन क्या है? कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कोई प्रस्ताव लाये हों, तो आप उसे पेश कर दें। कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

यह बगैर अनुमति के है, आपसे इसके लिए इन्होंने अनुमति नहीं ली है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जब तक नियम 226(2) विधान सभा की नियमावली में मौजूद है तब तक आपको उसका संरक्षण मुझे देना पड़ेगा और यदि आप इन नियम को निलम्बित कर दें, तो मैं सहर्ष बैठने के लिए तैयार हूं, परन्तु जब तक नियम नियमावली में है, तब तक आपको उसका संरक्षण मुझे देना होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बरार साहब तो वरिष्ठ सदस्य हैं, यह प्रस्ताव तो कार्यसूची में छपा हुआ है, अगर संशोधन देना था तो लिखित रूप में आपके पास संशोधन आ जाना चाहिए था। मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या कोई संशोधन आपके पास में आया है।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे पास नहीं आया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

अगर आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं तो मुझे बैठने के लिए निदेश दें दें।

श्री उपाध्यक्ष–

संशोधन तो आना चाहिए । (घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, या तो आप नियमों को निलम्बित कर दें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि आप मुझे बोलने की अनुमति दे दें ।
(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें ।

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसका प्रस्ताव संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये)

(श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित भी सदन से उठकर चले गये)

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

*पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं "चूंकि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और सदन द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा द्वारा समय-समय पर स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक है,

और चूंकि समिति उक्त बढ़ाई गई अवधि में भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है,

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय सदन के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष–

जो प्रस्ताव सूचना मंत्री जी ने रखा है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करती हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिसमें (1) श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राम गोविन्द चौधरी, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह की विधायक निवास, रायल होटल में दिनांक 10-11-87 को पुलिस द्वारा विधायकों से दुर्व्यवहार संबंधी सूचना, (2) श्री किरन पाल सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री भोपाल सिंह, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री जगवीर सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री राम नरेश यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री बदन सिंह, श्री सरदार सिंह तथा श्री शारदा प्रताप की जनपद बुलन्दशहर के भूड़ चौराहे पर दिनांक 23 दिसम्बर, 1987 को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाए

जाने संबंधी सूचना, (3) डा0 संजय सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री काशी सिंह एरेरी, श्री गोपाल दास यादव, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित तथा श्री देवतादीन की दिनांक 24 नवम्बर, 1987 को रायबरेली जिले के मावा विकास खण्ड के प्रमुख श्री चुन्नी सिंह की हत्या संबंधी सूचना (4) श्री फजलुल बारी की प्रदेश में सूत रेशम एवं पालिएस्टर धागों के दाम बढ़ने संबंधी सूचना, (5) श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री राजकिशोर सिंह की जनपद मिर्जापुर के अदल हाट थाने के खिरोड़ी गांव में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने संबंधी सूचना, (6) श्री मुलायम सिंह यादव तथा श्री कौशिक रमाशंकर की दिनांक 28 दिसम्बर, 1987 को क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार सम्बन्धी सूचना तथा (7) श्री सुखपाल पाण्डे श्री हरिश्चन्द्र "हरीश जी" की उत्तर प्रदेश में डीजल के अभाव से गम्भीर स्थिति संबंधी सूचना, इन सात सूचनाओं को परसों लिया जायेगा। बाकी सब अस्वीकार की गयीं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, हमारी गन्ने वाली चर्चा का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

गन्ने पर चर्चा लगी हुई है।

प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इस साल इस शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। अगर हम पिछले 16 साल को देखें और उससे और आगे जाकर देखें तो सबसे कम वर्षा इस साल हुई है। जो हमारे साधन हैं, उनको देखते हुए, अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हर फ्रन्ट पर हमने सूखे का सामना किया है, राहत का कार्य किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

कल यह चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज दिनांक 30-12-87 को कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्री शारदानन्द अंचल की जनपद जौनपुर के शाहगंज कस्बे में स्थित रत्ना शुगर मिल कम्पनी लिमिटेड मालिकों प्रबन्धकों की साजिश से दो साल से बन्द होने सम्बन्धी सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

30 दिसम्बर, 1987

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

सुरक्षा व्यवस्था में व्यय धनराशि का विवरण

अनुलग्नक 'क'

क्रमांक	इकाई का नाम	सुरक्षा एजेंसी का नाम	अवधि	व्यय (रुपए)	सुरक्षा कर्मियों की संख्या प्रतिमाह	
					कम से कम	अधिक से अधिक
1	2	3	4	5	6	7
1=पी0सी0डी0एफ0 लि0, मुख्यालय, लखनऊ।		ईगल्स आई इंडस्ट्रियल गार्ड, लखनऊ	जून, 85 से मार्च, 86	70,252.80	7	10
2× फीडर बैलेंसिंग डेरी, वाराणसी।		1–स्मार्ट भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस, वाराणसी। 2–सुपर भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस, वाराणसी।	अप्रैल, 85 से मार्च, 86	1,14,088.99	21	25
3× सी0एफ0पी0, वाराणसी		स्मार्ट भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी सर्विस, वाराणसी।	अप्रैल, 85 से मार्च, 86	28,905.33	4	8
4× फीडर बैलेंसिंग डेरी, मेरठ		डोंगरा सिक्योरिटी सर्विस, गाजियाबाद।	अप्रैल, 85 से मार्च, 86	1,26,713.84	24	27
5=डी0सी0एस0 प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा।		चौहान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, आगरा	मई, 85 से मार्च, 86	10,376.95	2	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
6=	डी0सी0एस0 प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ।	निशात सिक्योरिटी सर्विस, गाजियाबाद।	अप्रैल, 85 से मार्च, 86	13,860.00	3	3
7×	कैटिल फीड प्लान्ट, मेरठ	क्रैक डिडेक्टिव प्रा0लि0, दिल्ली	अप्रैल, 85 से मार्च, 86	58,080.00	8	8
8=	रीजनल मार्केटिंग आफिस, वाराणसी।	ईगल्स आई इंडस्ट्रियल गार्ड, लखनऊ	नवम्बर, 85 से मार्च, 86	12,627.31	4	4
9×	साकेत डेक्ट0 फैजाबाद	इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्डस एण्ड लेबर सर्विसेज, फैजाबाद।	अप्रैल, 85 से मार्च, 86	61,597.53	14	14
10=	रीजनल मार्केटिंग आफिस, लखनऊ।	ईगल्स आई इण्डस्ट्रियल गार्ड, लखनऊ।	नवम्बर, 85 से मार्च, 86	14,002.41	4	4
11=	रीजनल मार्केटिंग आफिस, रामपुर।	ईगल्स आई इण्डस्ट्रियल गार्ड, लखनऊ	जनवरी, 86 से मार्च, 86	7,611.00	4	4
			कुल व्यय	5,18,116.18		

नोट—=प्रशासनिक कार्यालय।

×कारखाना जहां पर तीन पालियों में कार्य होता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्रं0सं0- 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

शिकायती पत्रों का विवरण

क्रमांक	शिकायतकर्ता	दिनांक
1	2	3
1	श्री कौशल किशोर शर्मा तथा श्री वली मोहम्मद रायनी।	6-7-85
2	श्री अम्बिका सिंह, विधायक	10-7-85
3	श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी	4-2-86
	श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी	29-11-85
	श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी, सांसद	4-2-86, 18-1-86 7-1-86
	सुश्री गेन्दा देवी, विधायक	6-1-86
	श्री द्वारिका प्रसाद, विधायक	30-1-86
4	श्री दीनानाथ पाण्डेय, विधायक	10-1-86
5	श्री माता प्रसाद पाण्डेय, विधायक	30-4-86
6	श्री शमशेर सिंह	..
	श्री जनार्दन प्रसाद ओझा	3-12-85
7	श्री दीना नाथ पाण्डेय, विधायक	21-6-86
8	श्री दीनानाथ पाण्डेय	दिनांक जून, 86
	सुश्री गेन्दा देवी, श्री धनराज यादव, विधायकगण	12-6-86, 16-9-86 एवं 17-9-86
9	सुश्री कमला साहनी, विधायिका	2-9-86

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0स0 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

अतारांकित प्रश्न सं0 36 के उत्तर का संलग्नक
इकाइयों जिनमें वसूली नहीं हो रही तथा किए गए प्रयास

क्रम-सं0	इकाई का नाम	की गयी वसूली कार्यवाही
1	मेसर्स कृष्णा राइस मिल	वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रतिक्रिया जारी है।
2	मेसर्स हरमैन कोल्ड स्टोरेज	रिकाल नोटिस दिनांक 19-10-87 जारी किया गया है।
3	मेसर्स महमूद हैन्डलूम	इकाई का वर्तमान प्रबन्ध अक्षम होने के कारण इकाई के प्रबन्ध को अन्य सक्षम उद्यमकर्ता के पक्ष में बदलने का कार्य प्रगति पर है।
4	मेसर्स रती आईस इंडस्ट्रीज	इकाई का पुर्नजीवीकरण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हेतु विचाराधीन है।
5	मेसर्स सीको केमिकल्स	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।
6	मेसर्स उमेश टेक्सटाइल्स	दिनांक 19-3-87 को धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है।
7	मेसर्स नेल्विक राइस मिल	दिनांक 28-12-83 को धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था तथा 30-4-87 को कब्जा लिया गया उक्त इकाई को बेच दिया गया।
8	मेसर्स सिम्भा प्लास्टिक्स	दि0 4-1-87 को धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था।
9	मेसर्स सन्तोमा आर्गेनिक्स	30-1-87 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी नोटिस को चस्पा किया गया।
10	मेसर्स जार्ज सिलेकेट इंडस्ट्रीज	दि0 21-1-85 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया मूल रूप से 25-8-87 को वापस कर दिया गया तथा धारा 29 का नोटिस चस्पा कर दिया गया।
11	मेसर्स स्टोजम रेमिडीज	दि0 25-9-85 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया तथा दि0 7-12-87 को धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया गया।
12	मेसर्स किसान राइस मिल	दि0 20-10-87 को धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया गया।
13	मेसर्स वर्मा राइस मिल	दि0 9-10-86 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किय गया।
14	मेसर्स झुनझुनवाला आर्गेनो केमिकल्स	दि0 24-3-87 को इकाई के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	इकाई का नाम	की गयी वसूली कार्यवाही
15	मेसर्स यशोदा लाइम इंडस्ट्रीज	दि0 24-3-87 को इकाई के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।
16	मेसर्स रसौली कोल्ड स्टोरेज	धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस दि0 29-1-87 को जारी किया जा चुका है उद्यमकर्ताओं के विरुद्ध व्यक्तिगत जमानत को इन्वोक प्रतिक्रिया जारी है।
17	मेसर्स ग्रामीण विकास	देयों की वसूली हेतु 29-12-83 को धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया।
18	मेसर्स जय दुर्गा स्ट्राबोड	दि0 3-12-84को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
19	मेसर्स गरही क्रिस्टल शूगर फैक्ट्री	दिनांक 28-2-87 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
20	मेसर्स जय ट्रांसमिशन	दि0 15-11-83 को धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया इनका वाद मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
21	मेसर्स अक्वास इजीनियरिंग	यह इकाई वसूली प्रक्रिया के अन्तर्गत तृतीय पार्टी के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गयी है। बाकी देयों की वसूली की जा रही है।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0–72 का उत्तर पीछे पृ0 54 पर)

संलग्नक–1

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के विकास खंड हारिग्टंनगंज, अमानीगंज व मिल्कीपुर में वर्ष 80 से दिसम्बर, 86 तक बनाए गए नलकूपों का विवरण

क्रम सं0	छिद्रण वष	छिद्रण का विवरण			12/86 तक वितरण प्रणाली का विवरण				सिंचित क्षेत्र एकड़ में						
		नलकूप सं0 व समूह	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	उर्जीकरण वर्ष	कच्ची गूल कि0मी0	पक्की गूल कि0मी0	पाइप लाइन कि0मी0	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87 12/86 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		बीजी													
1	1/80 से 3/81 तक।	316	अमानीगंज	खेमापुर	81-82	1.60	1.50	..	..	71	168	184	148	67	60
2	,,	317	,,	सिप्ती	,,	1.60	1.60	..	..	63	126	116	56	102	62
3	,,	318	,,	जुगनाही	,,	1.60	1.50	..	..	7	81	97	96	94	54
4	,,	334	,,	शिवदासपुर	82-83	1.60	1.50	..	..	..	..	3	11	94	28
5	,,	335	मिल्कीपुर	अगरवा	,,	0.65	1.60	..	..	..	4	33	67	78	90
6	,,	336	,,	कटहारा	,,	1.50	1.60	..	..	..	1	64	95	132	122
7	,,	327	हरिग्टनगंज	देवनपारा	,,	..	1.35	..	..	..	26	65	91	113	62
8	,,	328	,,	जम्बुना	,,	0.40	0.20	..	..	..	..	5	19	30	21
9	,,	333	,,	लक्ष्मणपुरग्रंट	,,	..	..	..	..	..	3	52	56	64	31
10	1981–82	344	मिल्कीपुर	सिनौली-किनौली।	83-84	1.60	1.20	..	..	..	..	..	37	66	108

अनुवाद विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		वीजी													
11	,,	343	अमानीगंज	जखवा	,,	1.50	..	1.00	..	..	..	..	27	46	47
12	,,	245	हरिंग्टन गंज	निमड़ी विलई।	,,	2.70	..	..	..	..	..	..	..	40	24
13	1982-83	355	,,	हरदोइया	84-85	3.05	..	1.00	..	..	..	..	..	29	22
14	,,	349	अमानीगंज	ववां	83-84	1.70	1.40	..	..	..	..	..	..	24	7
15	,,	351	,,	कन्जी	,,	2.10	0,70	..	..	..	..	..	40	33	19
16	,,	352	मिल्कीपुर	नरेन्द्रमादा	84-85	2.00	..	1.74	..	..	..	..	..	1	1
17	1984-85	359	मिल्कीपुर	मवई	84-85	..	..	3.7	..	..	..	..	..	..	..
18	,,	362	हरिंग्टनगंज	शंकरपुर	85-86	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19	,,	358	,,	मलेधबुजुर्ग	,,	..	..	4.00	..	.			..	..	..
20	,,	361	,,	साल्हीपुर	,,	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
21	,,	363	अमानीगंज	दुर्जनपुर मजरा।	,,	..	..	..	..	..	..	..	..	..	127
22	1985-86	372	हरिंग्टनगंज	रजौरा	,,	..	..	..	..	..	..	..	..	..	52
23	,,	376	,,	मुमास्तिनगर	86-87	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24	4/86 से 12/86 तक।	377	,,	उखावश्य	,,	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

जिला प्लान योजना के अन्तर्गत पक्की गूल/पाइप लाईन के लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक वर्ष फैजाबाद में निर्माण का कार्य किया जा रहा है। चूंकि जल वितरण प्रणाली का अवशेष कार्य लक्ष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है जिसके कारण सभी नलकूपों पर जल वितरण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है जिसके फलस्वरूप सिंचाई की प्रगति धीमी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 130 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर)

डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, 52बी-ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ
विधायक, अतर्रा, बांदा ।

दिनांक 8-9-86

पत्रांक : 115/सी0 पी0/सिंचाई/86

माननीय मुख्य मंत्री जी,
उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।

मान्यवर,

आपका ध्यान बांदा जनपद के सिंचाई विभाग (तृतीय) के भ्रष्टाचार एवं फर्जी पेमेंट की ओर आकर्षित कर रहा हूं। केन नहर कैनाल में लाखों रुपया इस विभाग के अधिकारी हड़प रहे हैं। बिन्दुवार विवरण निम्न है :—

1—बरियारपुर बांध के पास मेन केन कैनाल में फर्जी एग्रीमेंट रु0 60 हजार के कुछ ठेकेदारों के नाम बनाकर रुपये निकाल लिये गये ।

2—मेन केन कैनाल में ही महुवा पुरवा एक्वाडेंट में मौके पर विंगवाल बनी है परन्तु उनका फर्जी टेन्डर निकाल कर उनका फर्जी पेमेंट कराकर रुपया निकाला गया ।

3—मेन कैनाल में ही बरियारपुर इनलेट्स में भीषण घपला किया गया और हजारों रुपये डकार गये ।

4—मेन केन कैनाल में ही फर्जी एग्रीमेंट पत्थर के छटाई के बनाकर रुपया निकाला गया ।

5—बरियारपुर बांध में पहले से बनी पिचिन रिलेइंग दिखाकर रुपये निकाले गये जबकि रिलेइंग नाम मात्र की हुई है।

6—बरियारपुर बांध में बरियारपुर कोठी से बन्धे तक बिजली की लाइन ले जाने के लिए कुटेशन मांगे गये परन्तु कम दर पर कार्य करने वाले ठेकेदार को यह कार्य न देकर कमीशन लेकर अधिक दर पर कार्य करने वाले बांदा के एक पालतू ठेकेदारों को कार्य दिया गया ।

7—मेन केन कैनाल में वीरापुर के पास 9'' के पत्थर लगे हैं या इससे कम के हैं परन्तु 1 (फिट) के पत्थरों का दिया गया और लम्बा कमीशन लिया गया ।

8—मसौनी पम्प कैनाल में 10 टन लोहा बेच लिया गया जो अब अधिशासी अभियन्ता (तृतीय) द्वारा बरियारपुर बांध आदि जगहों से पूरा किया जा रहा है।

9—मेन केन कैन्सल के कि0मी0 55, 56, 57 में मिट्टी का कार्य पटरी बनवाने में किया जा रहा है। जिसमें पटरी में बड़े-बड़े टेले अन्दर मेन केन कैनाल के कि0मी0 55, 56, 57 में मिट्टी का कार्य पट्टी बनवाने में किया जा रहा है जिसमें पटरी में बड़े-बड़े टेले अन्दर पड़े हैं और ऊपर मिट्टी डाल दी गयी है, कुटाई कहीं भी नहीं की गयी और न ही पानी का छिड़काव किया गया ।

10–पट्टी का स्लोप जितना होना चाहिए उतना नहीं है और न ही स्लोप की कटाई की गयी है। जिसमें स्लोप में दरारें पड़ गयी हैं।

11–कि0मी0 56 में जो मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है उसका कटेशन एवं एग्रीमेंट सहायक अभियन्ता द्वारा घर में ही बैठकर बनाया गया है और पालतू ठेकेदार को ठेका दिया गया है।

12–55, 56, 57 कि0मी0 में जिन खेतों की मिट्टी डाली गयी है उन खेतों के मालिकों को जमीन के मुआवजे का आश्वासन दिया गया, परन्तु अभी तक फसल के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

13–केन मेन कैनाल में कि0मी0 55, 56, 57 में शीशम की पेड़ की डालें सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता ने कुछ पालतू लोगों से कटवाकर बाजार में बेच दिया है और आधे रुपये आपस में बांट लिये हैं।

14–केन मेन कैनाल भड़हेा झाल में नहर की ही मिट्टी युक्त बालू का ही प्रयोग किया गया और लगभग 50 ट्रक पहले से पड़े नहर विभाग के बोल्डरों का प्रयोग सहायक अभियन्ता ने रुपये लेकर ठेकेदार से झाल निर्माण करवाया है जिसका ठेकेदार ने पुनः विभाग से पेमेंट लिया है।

15–भड़हेा झाल की फाउन्डेशन में कच्ची मिट्टी का प्रयोग किया गया है सीमेंट नामगात्र की प्रयोग की गयी है।

16–यह भी जानकारी मिली है कि ठेकेदार ने टेन्डर में लोहा का रेट 28 रुपये डाला था जो विभाग के अधिकारियों ने बाद में ठेकेदार से रुपया लेकर रेट टेण्डर में बढ़ा दिया है।

17–भड़हेा की दोनों झालों में सीमेंट बहुत ही कम प्रयोग की गयी है और अधिकारियों की साजिश से सीमेंट बेचकर ठेकेदार से साझेदारी में लिया गया है।

18–भड़हेा के ऊपर नीचे की झालों की फाउन्डेशन में सूखी मिट्टी का प्रयोग किया गया है।

19–अधिकांश मिट्टी कच्ची है जो पास के पहाड़ से तुड़वा कर प्रयोग की गयी है और क्वेरी के मुताबिक ग्रेनाइट मिट्टी का प्रयोग नहीं है।

20–भड़हेा ऊपर वाली झाल के क्रस्ट में केवल से रद्दे चलाये गये हैं पीछे सपोर्ट में बनायी गयी है क्रस्ट चौड़ी की गयी है और पूरी क्रस्ट का नव निर्माण दिखा-कर फर्जी प्रयास किया गया है जो नहर में पानी आने पर टूट गयी है।

21–भड़हेा झाल नीचे वाली के विंग वाल का हिस्सा पुराना है जिसको नव-निर्माण दिखाने का फर्जी प्रयास किया गया है।

22–इसी भड़हेा झाल के ऊपर तथा नीचे नियमानुसार कंकरीट नहीं है।

23–दोनों भड़हेा झालों में सीमेंट बहुत कम प्रयोग की गयी, बोल्डर कच्चे हैं इसी तरह की अनियमितता बीरा झाल में भी हुई है।

24–करतल डिवार्ड में मिट्टी के कार्य में हजारों रुपयों का घपला किया गया है।

25—करतल डिवाई में पंचमपुर गांव के पास साईफन बनवाया गया है सीमेंट बहुत कम ही लगायी गयी है।

26—करतल डिवाई में एक माइनर पोंगरी तरफ निकलती है जिसके पुल के निर्माण में कम सीमेंट एवं घटिया मेटीरियल प्रयोग किया गया है।

27—अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग तृतीय एवं अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई की साजिश से जमनारों के पास शीशम का एक पेड़ कटवाया गया जिसकी एफ0 आई0 आर0 16-8-86 थाना नरैनी (बांदा) हुई। बांदा जनपद के मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा कार्यों में भीषण भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसके बिन्दु निम्न हैं :—

1—माँहरिया बांध जो एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के तहत बंधवाया जा रहा है उसमें मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी न देकर कटौती की जा रही है और अधिकारी हजारों रुपया डकार रहे हैं।

2—हेला बांध, रामपुर बांध, बराह बांध में फर्जी मिट्टी का कार्य दिखाकर हजारों रुपया सिंचाई विभाग द्वारा हड़पा जा रहा है जबकि मिट्टी का कार्य पहले से था। इन्हीं बांधों में पहले से बनी पिचिन का भी फर्जी पेमेंट नयी पिचिन के नाम से निकाल लिया गया है।

3—जिन ठेकेदारों के नाम वर्क आर्डर बनाये जहां हैं उनसे भुगतान के पहले 4 प्रतिशत कमीशन अधिकारियों द्वारा ले लिया जाता है।

इस प्रकार सिंचाई विभाग (तृतीय) और मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा भीषण घपला करके लाखों रुपया डकारे जा रहे हैं। जिसमें सीधा हाथ अधिशासी अभियन्ता (तृतीय) एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग का है यह भी जानकारी मिली है कि सिंचाई विभाग (तृतीय) द्वारा इन्हीं घपलों में साझेदार अधीक्षण अभियन्ता को इस साझेदारी के अतिरिक्त एक मारुति कार भी उपहार स्वरूप दी जा रही है। जिसका नम्बर लगा है।

अतः कृपया निवेदन है कि उपरोक्त की जांच शासन के टेकनिकल आडिट से कराने का कष्ट करें ताकि सरकारी राजस्व में डकैती डालने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो सके।

सधन्यवाद,

भवदीय,
ह0/- सुरेन्द्र पाल वर्मा
8-9-86

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1—माननीय मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ।
2—प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
3—माननीय सिंचाई सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

दिनांक 8-9-86

सुरेन्द्र पाल वर्मा

पी0एस0यू0पी0—एल0 296 विधान सभा (548)—1988—813।